वार्षिक रिपोर्ट

2004-2005

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

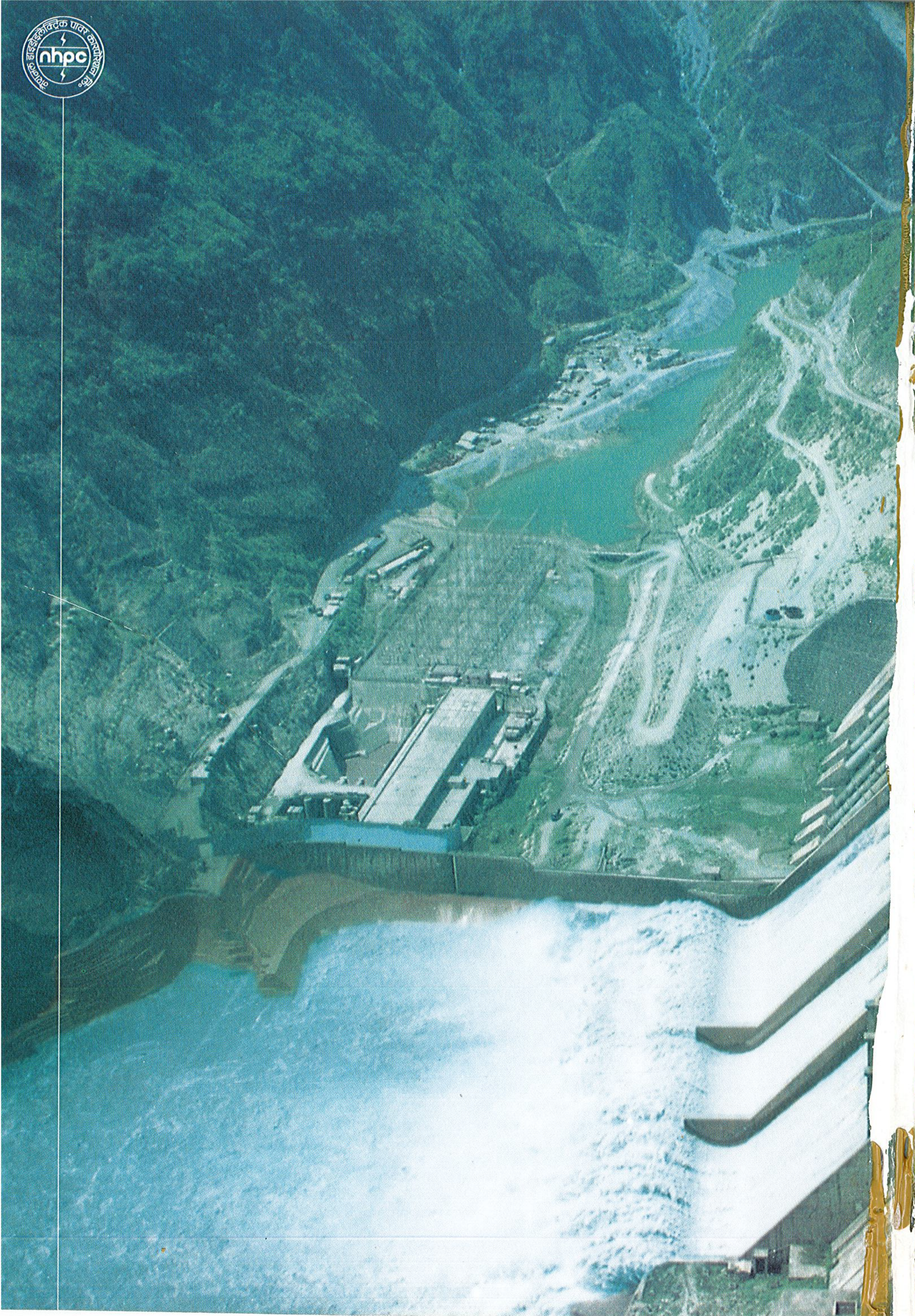
nhpc

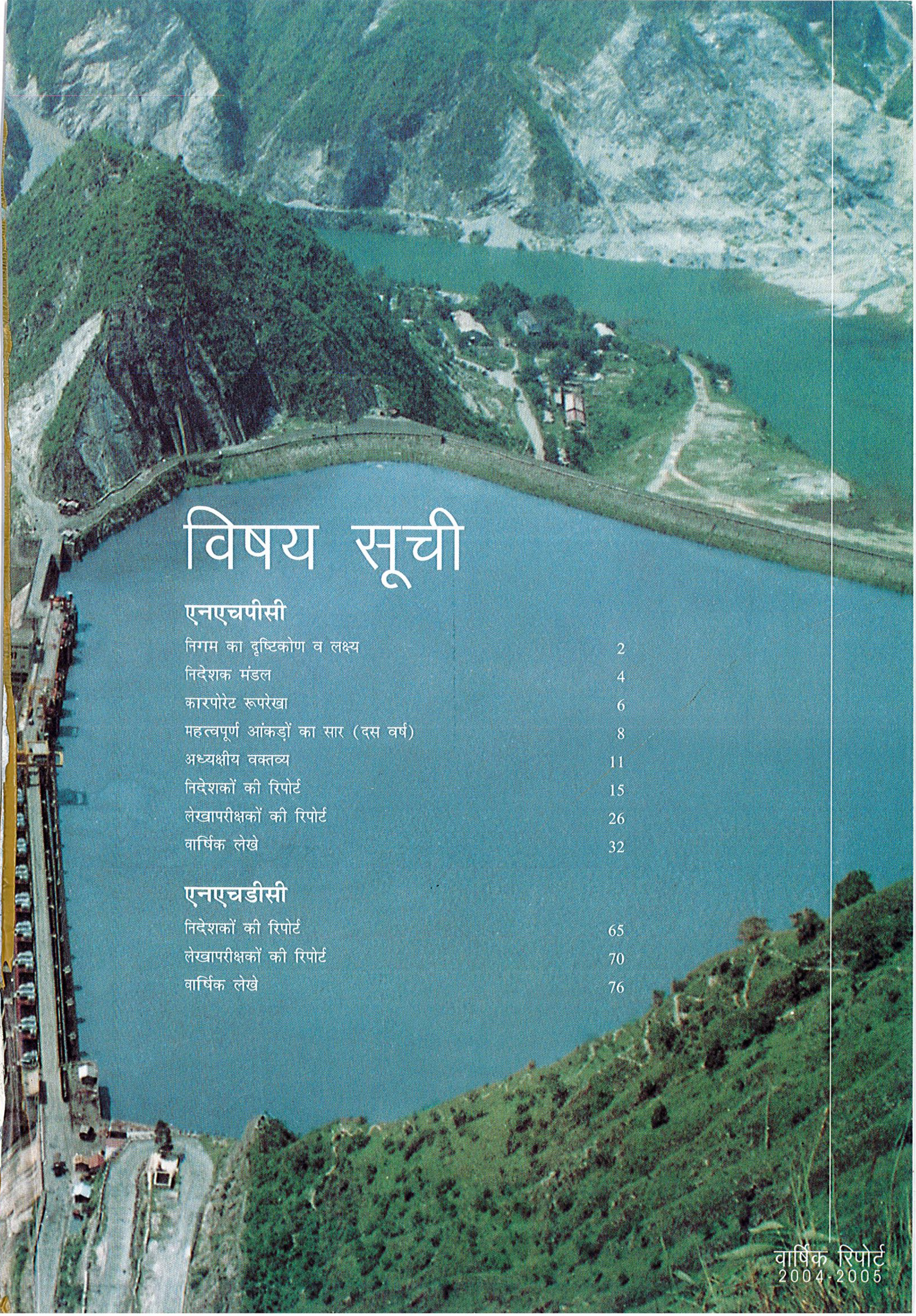

विषय सूची

एनएचपीसी

निगम का दृष्टिकोण व लक्ष्य 2
निदेशक मंडल 4
कारपोरेट रूपरेखा 6
महत्वपूर्ण आंकड़ों का सार (दस वर्ष) 8
अध्यक्षीय वक्तव्य 11
निदेशकों की रिपोर्ट 15
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 26
वार्षिक लेखे 32

एनएचडीसी

निदेशकों की रिपोर्ट 65
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 70
वार्षिक लेखे 76

निगम का दृष्टिकोण

पर्यावरण के प्रति मजबूत धारणा रखते हुए जल विद्युत तथा जल संसाधनों का निरंतर विकास करने वाला एवं विश्व स्तरीय, विविध क्षेत्रीय एवं राष्ट्र व्यापी संस्थान बनना।

निगम का लक्ष्य

- जल विद्युत एवं विविध व्यावसायिक क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्टता प्राप्त करना।
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं संचालन कम लागत, पर्यावरण हितैषी एवं सामाजिक–आर्थिक जिम्मेवारी को निभाते हुए करना।
- सक्षम, प्रशिक्षित तथा विविध क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति को बढ़ावा देना।
- नए अनुसंधान व विकास के माध्यम से अद्यतन तकनीक का निरंतर विकास करना तथा सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाना।
- कारपोरेट विनियोजन (गवर्नेंस) की सर्वोत्तम पद्धति को अपनाना तथा मजबूत निगम की पहचान के लिए संगठन में मूल्य–आधारित सर्वोत्तम प्रबंधन करना।
- आंतरिक निधि एकत्र करने तथा संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम संपत्ति की व्यवस्था करना।

निगम के उद्देश्य

- अधिक समय व लागत जैसी कमियो को दूर करते हुए अनुकूलतम लागत पर विशाल जल–विद्युत सम्भाव्यता का तीव्र गति से विकास करना।
- निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा करना।
- संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना तथा सिस्टम की बेहतर स्थिरता में मदद करना।
- नई परियोजनाओं की स्थिरता एवं विस्तार के लिए आंतरिक संसाधनों का पर्याप्त विकास करना।
- निगम के विकास के साथ–साथ मानव संसाधन का विकास भी करना।

निदेशक मण्डल

25.08.2005 को

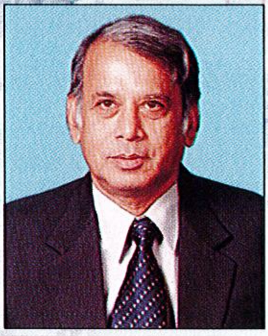

श्री ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

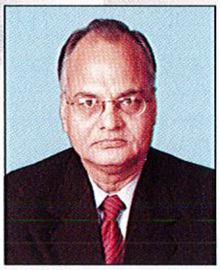

श्री एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

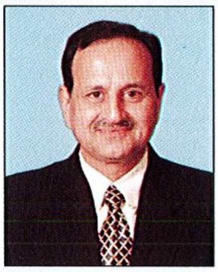

श्री एस.के. चतुर्वेदी
निदेशक (कार्मिक)

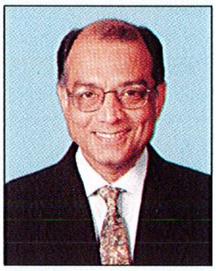

श्री एस.पी. सेन
निदेशक (तकनीकी)

श्री अनिल कुमार कुट्टी
संयुक्त सचिव (हाइड्रो) विद्युत मंत्रालय

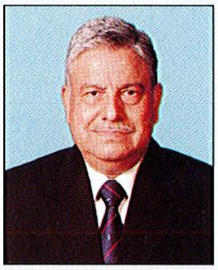

श्री गुरुदयाल सिंह
सदस्य (हाइड्रो), सीईए

श्री विजय गुप्ता
कम्पनी सचिव

सांविधिक लेखापरीक्षक

बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
एफ-14, शिवम हाउस, अमर चैम्बर्स,
अपार्टमेंट नं. 17 कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली-110001

शाखा लेखापरीक्षक

गांधी मिनोचा एण्ड कंपनी
1-ए ट्रिब्यून कॉलोनी, जगधारी रोड,
अम्बाला-131001, हरियाणा

ए.आर. मैती एण्ड कंपनी
इण्डिया स्टीम शीप हाउस, 21 ओल्ड कोर्ट,
हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001,
पश्चिम बंगाल

भूषण बंसल जैन एसोसिएट्स
4648/21 सेधुमल बिल्डिंग, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली-110002

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
जे. एण्ड के. बैंक लि.
आईसीआईसीआई बैंक लि.
ड्यूश बैंक लि.
यू.टी.आई. बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ भूटान
केनरा बैंक
स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
आई.डी.बी. आई बैंक लि.

पंजीकृत कार्यालय : **एनएचपीसी, ऑफिस कॉम्पलेक्स, सेक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)**

कारपोरेट रूपरेखा

वित्तीय		2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
बिक्री	**	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00
विविध आय	@	395.96	551.69	302.96	330.40
ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व लाभ	$	1438.17	1477.37	1153.39	1183.50
ब्याज एवं मूल्यह्रास के बाद लाभ		777.53	643.48	555.00	513.10
ब्याज, मूल्यह्रास व कर के बाद लाभ		684.58	621.38	510.50	470.90
लाभांश		140.00	120.00	75.00	50.00
आरक्षित एवं अधिशेष (संचयी)		3863.83	3338.46	2852.46	2420.10
कारपोरेशन के स्वामित्व में क्या है					
सकल नियत परिसंपत्तियां		10876.28	10342.71	8280.95	8113.50
मूल्यह्रास		2148.20	1882.95	1672.19	1526.70
शुद्ध नियत परिसंपत्तियां		**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**
चालू पूंजीगत कार्य		8787.19	6975.83	7078.00	5218.30
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		849.25	805.55	621.74	525.50
निवेश		3769.43	3660.87	2415.66	1965.00
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां		59.58	107.76	1889.77	1512.20
बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		1.18	0.71	1.20	2.00
		22194.71	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**
कारपोरेशन द्वारा क्या देय है					
शुद्ध मूल्य					
- अंश पूंजी		9933.27	8629.03	7240.61	6345.70
- आरक्षित		3863.83	3338.46	2852.46	2420.10
आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा		304.66	255.81	213.24	178.40
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम प्राप्त आय		1071.15	939.40	801.06	648.40
उधार		7021.80	6847.78	7507.76	6217.20
		22194.71	**20010.48**	**18615.13**	**15809.80**

प्रचालन कार्यनिष्पादन	2004-2005	2003-2004	2002-2003	2001-2002
उत्पादन (मि.यू.)	11286	11046	9863	8912
मशीन उपलब्धता (प्रतिशत)	95.30	96.82	96.62	96.86
बिक्री (करोड़ रूपए)	1449.98	1276.09	1172.23	1221.00
जनशक्ति (सख्या)	13470	13648	13017	13054

** बिक्री प्रभार समायोजन और मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के पश्चात शुद्ध है

@ संविदाओं के प्रति प्राप्ति शामिल है

$ पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात

(करोड़ रुपए)

2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96
1179.90	1075.70	1194.40	993.00	534.40	509.10
575.70	202.60	39.10	4.40	21.70	2.00
1209.70	1070.70	999.20	849.10	481.10	433.00
484.20	401.20	305.30	299.40	106.70	77.40
443.40	401.20	305.30	299.40	106.70	77.40
30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
1999.20	1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30
7892.70	7752.70	7090.40	6903.60	3893.80	3727.50
1280.10	1029.00	811.10	598.60	622.80	490.10
6612.60	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**	**3237.40**
3710.80	2768.60	2576.00	2073.10	4895.70	4444.70
613.00	511.50	322.80	332.00	116.70	169.00
679.90	–	–	–	–	–
1864.20	2100.90	1471.80	1252.50	486.80	395.40
9.80	1.90	0.40	1.70	5.00	8.60
13490.30	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**	**8255.10**
5188.20	4446.20	3825.00	3393.00	2917.40	2890.30
1999.20	1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30
139.90	101.70	65.90	31.20	–	–
519.90	386.10	245.50	130.50	–	–
5643.10	5583.70	5307.70	5492.20	5223.30	4820.50
13490.30	**12106.60**	**10650.30**	**9964.30**	**8775.20**	**8255.10**
2000-2001	**1999-2000**	**1998-1999**	**1997-1998**	**1996-1997**	**1995-1996**
8774	8691	9917	8816	5614	6141
92.09	91.05	88.39	83.00	83.25	85.30
1179.90	1075.70	1194.40	993.00	534.40	509.10
11850	12150	11860	11799	12119	11984

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़ों का सार (दस वर्ष)

	वित्तीय		2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
क	ऊर्जा की ब्रिकी	$	1581.73	1414.43	1324.86	1349.60
ख	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम		131.75	138.34	152.63	128.60
ग	अन्य आय	#	395.96	551.69	302.96	330.40
घ	**कुल आय(क)-(ख)+(ग)**		**1845.94**	**1827.78**	**1475.19**	**1551.40**
ड	उत्पादन एवं अन्य व्यय (संविदा एवं परामर्शी प्राप्ति शामिल है)		407.77	350.41	321.80	367.90
च	**सकल मार्जिन (घ)-(ड)**		**1438.17**	**1477.37**	**1153.39**	**1183.50**
छ	मूल्यह्रास		248.37	208.14	140.36	231.60
ज	**सकल लाभ (च)-(छ)**		**1189.80**	**1269.23**	**1013.03**	**951.90**
झ	ब्याज एवं वित्त प्रभार		412.27	625.75	458.03	438.80
ञ	**शुद्ध लाभ (ज)-(झ)**		**777.53**	**643.48**	**555.00**	**513.10**
ट	कर		92.95	22.10	44.50	42.20
ठ	**कर पश्चात शुद्ध लाभ (ञ)-(ट)**		**684.58**	**621.38**	**510.50**	**470.90**
ड	**सृजित आंतरिक संसाधन(छ)+(ठ)+(ख)**		**1064.70**	**967.86**	**803.49**	**831.10**
ढ	प्राधिकृत पूंजी		15000.00	15000.00	10000.00	7000.00
ण	इक्विटी प्रदत्त पूंजी	**	9933.27	8629.03	7240.61	6345.70
त	आरक्षित एवं अधिशेष		3863.83	3338.46	2852.46	2420.10
थ	आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा		304.66	255.81	213.24	178.40
द	ऋण निधि		7021.80	6847.78	7507.76	6217.20
घ	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम प्राप्त आय(एएडी)		1071.15	939.40	801.06	648.40
न	सकल नियत परिसम्पत्तियां		10876.28	10342.71	8280.95	8113.50
प	मूल्यह्रास		2148.20	1882.95	1672.19	1526.70
फ	**शुद्ध नियत परिसम्पत्तियां (न)-(प)**		**8728.08**	**8459.76**	**6608.76**	**6586.80**
ब	चालू पूंजीगत कार्य		8787.19	6975.83	7078.00	5218.30
भ	निर्माण भंडार एवं अग्रिम		849.25	805.55	621.74	525.50
म	निवेश		3769.43	3660.87	2415.66	1965.00
य	कार्यकारी पूंजी		59.58	107.76	1889.77	1512.20
कक	बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय		1.18	0.71	1.20	2.00
कख	**सकल नियोजित पूंजी(फ)+(ब)+(भ)+(म)+(य)**		**22193.53**	**20009.77**	**18613.93**	**15807.80**
कग	**शुद्ध मूल्य (ण)+(त)-(कक)**		**13795.92**	**11966.78**	**10091.87**	**8763.80**
कघ	विद्युत क्रय एवं प्रशा. एवं उत्पादन के अनुसार किया गया निवेश		6.98	2.67	2.65	6.90
कड·	**मूल्यवर्धन (क)-(ख)-(कघ)**		**1443.00**	**1273.42**	**1169.58**	**1214.10**

$ प्रभार समायोजन, व्हीलिंग प्रभार और संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान सहित।

** अंश जमा और इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि शामिल है।

संविदाओं के प्रति प्राप्तियां शामिल है।

	अनुपात	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
1.	नियोजित संकल पूंजी पर आय (ज)/(कख)	5.36%	6.34%	5.44%	6.02%
2.	शुद्ध मूल्य पर आय (ठ)/(क ग)	4.96%	5.19%	5.06%	5.37%
3.	नियोजित सकल पूंजी में शुद्ध बिक्री (क)-(ख)/(क ख)	6.53%	6.38%	6.30%	7.72%
4.	शुद्ध बिक्री में मूल्यवर्धन (क ड.)/(क)-(ख)	99.52%	99.79%	99.77%	99.43%
5.	इक्विटी में ऋण का अनुपात (द)/(ण)+त+(थ)+(ध)	0.46	0.52	0.68	0.65
6.	शुद्ध बिक्री में शुद्ध लाभ (ठ)/(क)-(ख)	47.21%	48.69%	43.55%	38.57%

(करोड़ रूपए)

2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96
1313.70	1216.30	1309.40	1123.50	534.40	509.10
133.80	140.60	115.00	130.50	–	–
575.70	202.60	39.10	4.40	21.70	2.00
1755.60	**1278.30**	**1233.50**	**997.40**	**556.10**	**511.10**
545.90	207.60	234.30	148.30	75.00	78.10
1209.70	**1070.70**	**999.20**	**849.10**	**481.10**	**433.00**
238.70	219.80	215.20	114.00	111.10	102.90
971.00	**850.90**	**784.00**	**735.10**	**370.00**	**330.10**
486.80	449.70	478.70	435.70	263.30	252.70
484.20	**401.20**	**305.30**	**299.40**	**106.70**	**77.40**
40.80	–	–	–	–	–
443.40	**401.20**	**305.30**	**299.40**	**106.70**	**77.40**
815.90	**761.60**	**635.50**	**543.90**	**217.80**	**180.30**
7000.00	5000.00	5000.00	3500.00	3500.00	2500.00
5188.20	4446.20	3825.00	3393.00	2917.40	2890.30
1999.20	1588.90	1206.20	917.40	634.50	544.30
139.90	101.70	65.90	31.20	–	–
5643.10	5583.70	5307.70	5492.20	5223.30	4820.50
519.90	386.10	245.50	130.50	–	–
7892.70	7752.70	7090.40	6903.60	3893.80	3727.50
1280.10	1029.00	811.10	598.60	622.80	490.10
6612.60	**6723.70**	**6279.30**	**6305.00**	**3271.00**	**3237.40**
3710.80	2768.60	2576.00	2073.10	4895.70	4444.70
613.00	511.50	322.80	332.00	116.70	169.00
679.90	–	–	–	–	–
1864.20	2100.90	1471.80	1252.50	486.80	395.40
9.80	1.90	0.40	1.70	5.00	8.60
13480.50	**12104.70**	**10649.90**	**9962.60**	**8770.20**	**8246.50**
7177.60	**6033.20**	**5030.80**	**4308.70**	**3546.90**	**3426.00**
7.10	6.00	13.30	6.00	4.80	1.30
1172.80	**1069.70**	**1181.10**	**987.00**	**529.60**	**507.80**

2000-01	1999-2000	1998-99	1997-98	1996-97	1995-96
7.20%	7.03%	7.36%	7.38%	4.22%	4.00%
6.18%	6.65%	6.07%	6.95%	3.01%	2.26%
8.75%	8.89%	11.22%	9.97%	6.09%	6.17%
99.40%	99.44%	98.89%	99.40%	99.10%	99.74%
0.72	0.86	0.99	1.23	1.47	1.40
37.58%	37.30%	25.56%	30.15%	19.97%	15.20%

280 मे.वा. धौलीगंगा परियोजना (उत्तरांचल) - पावर हाउस

अध्यक्षीय वक्तव्य

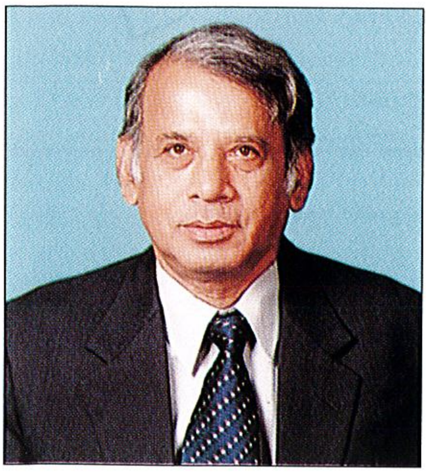

अध्यक्षीय वक्तव्य

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके निगम की 29वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु लेक्षा परीक्षित लेखे पहले से ही आपके पास विचार तथा स्वीकार करने के लिए हैं। आपकी अनुमति से मैं इसे पढ़ा गया समझता हूँ।

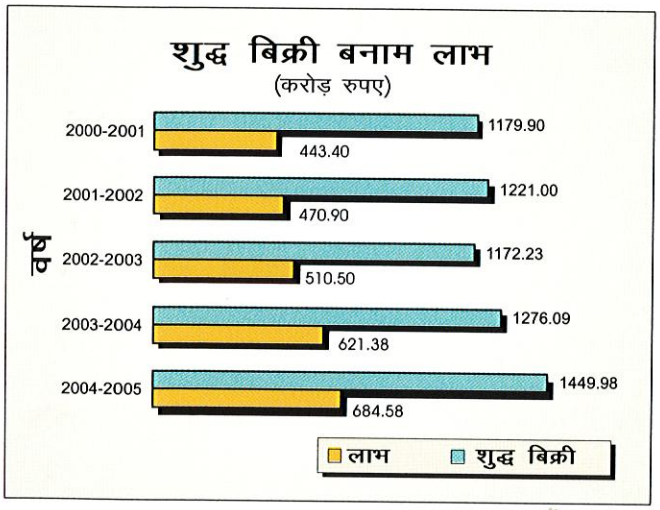

मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम के भौतिक तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। आपके निगम ने 10800 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में 11286.43 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया। निगम ने 1668.27 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार किया और 684.58 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जिसके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि दर्ज की है। आपके निदेशकों ने पिछले वर्ष के 120 करोड़ रुपये के कुल लाभांश की तुलना में 60 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित 140 करोड़ रुपये के लाभांश की संस्तुति की है।

यह सूचित करना अत्यधिक हर्ष का विषय है कि वर्ष 2004-05 के दौरान एनएचपीसी के सभी पावर स्टेशनों ने अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है। चमेरा-I तथा उड़ी को छोड़कर। चमेरा-I में विद्युत उत्पादन बड़े अनुरक्षण हेतु कार्य को बन्द किए जाने के कारण प्रभावित हुआ जबकि उड़ी में संचरण बाध्यताओं तथा कम जल उपलब्धता के कारण उत्पादन कम हुआ था। निगम ने वर्ष के दौरान समझौता ज्ञापन के 94.50% के एम.ओ.यू. लक्ष्य की तुलना में 95.28% का क्षमता सूचकांक प्राप्त किया। उत्पादन के रूप में कार्यनिष्पादन सूचकों में वर्तमान वर्ष में भी श्रेष्ठता बनी हुई है जो जुलाई, 2005 के दौरान 1657.50 मिलियन यूनिट के अब तक के सबसे अधिक मासिक उत्पादन की प्राप्ति के कारण है। पावर स्टेशनों की उपलब्धता में और सुधार करने के लिए कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण प्रणाली प्रारम्भ की गई है। निगम की दक्षता तथा लाभप्रदता में सुधार करने के एक भाग के रूप में हमारे पावर स्टेशनों की ऊर्जा जाँच प्रारम्भ की जा रही है। सलाल पावर स्टेशन हेतु ऊर्जा जाँच का कार्य सेन्ट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीपीआरआई), तिरूवनन्तपुरम को दिया गया है।

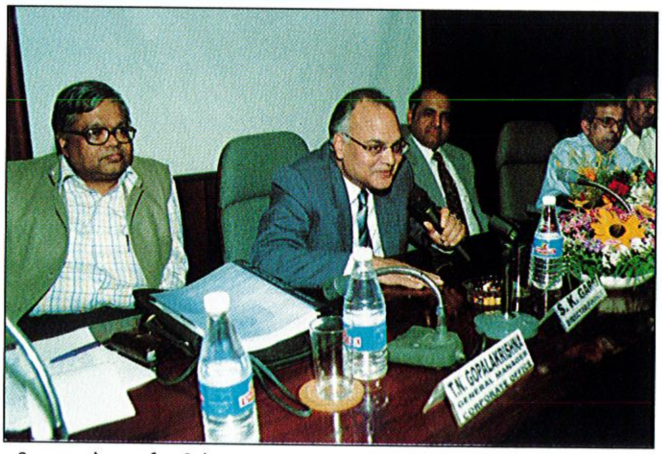

श्री एस.के. गर्ग, निदेशक (वित्त) चतुर्थ वित्तीय बैठक को सम्बोधित करते हुए

यह सूचित करना अत्यधिक हर्ष का विषय है कि उत्तरांचल में धौलीगंगा परियोजना (4X70 मेगावाट) की दो यूनिटों को जुलाई, 2005 के दौरान ग्रिड के साथ सफलतापूर्वक समक्रमित (सिंक्रोनाइज़्ड) किया गया है। बांध स्थल पर गम्भीर भू-वैज्ञानिक बाध्यताओं जिनके कारण निर्माण के मध्य में विन्यास में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया, के बावजूद इस परियोजना में कार्यों को निर्धारित कार्यक्रम के भीतर पूरा किया गया। मैं इस अवसर पर इस उपलब्धि की प्राप्ति के लिए निगम के कर्मचारियों की सराहना करता हूं।

वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में दुलहस्ती (3X130 मेगावाट) परियोजना पर कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में है। यह आशा की जाती है कि

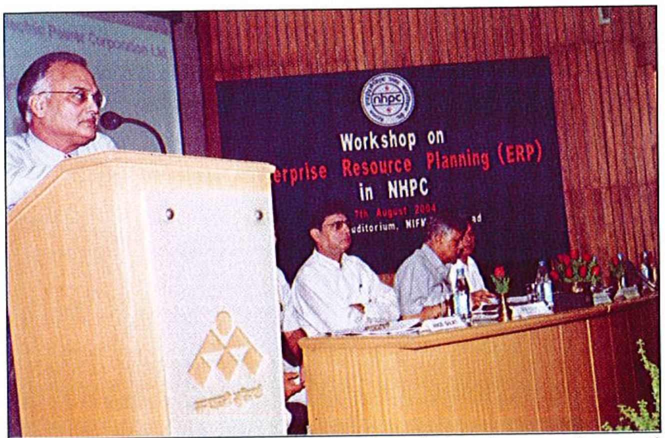

श्री एस.के. गर्ग, निदेशक (वित्त) एनएचपीसी में ईआरपी पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक इस परियोजना से उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। सिक्किम में तीस्ता चरण-V (3X170 मेगावाट) और हिमाचल प्रदेश में पार्बती जल-विद्युत परियोजना चरण-II (4X 200 मेगावाट) में भी कार्यों की प्रगति संतोषजनक है। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कर लिए जाने की आशा है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम-III (4X33 मेगावाट) और जम्मू कश्मीर में सेवा-II जल-विद्युत परियोजना (3X40 मेगावाट) में कार्यों में तेजी आ रही है और वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अरूणाचल प्रदेश में सुबानसिरी

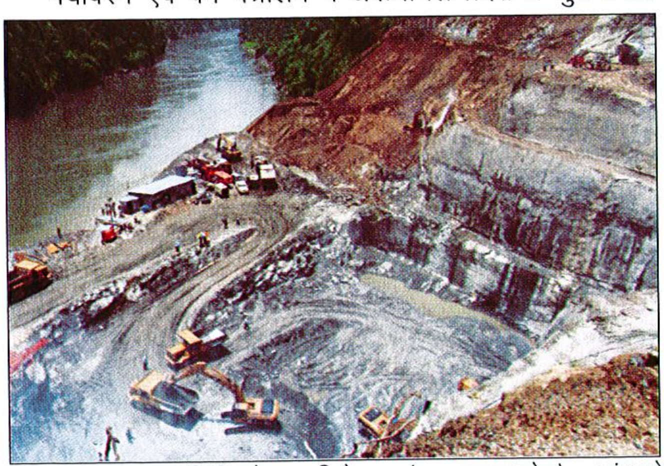

2000 मे.वा. सुबानसिरी लोअर परियोजना (अरुणाचल प्रदेश) - बांध के स्थल पर डाइवर्शन टनल इनलैट्स

लोअर जल-विद्युत परियोजना (8X250 मेगावाट) हेतु अंतिम स्वीकृति दे दी है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और इसके सितम्बर, 2010 तक विद्युत उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है। इस परियोजना में प्रमुख कार्यों के निष्पादन में धीरे-धीरे तेजी आ रही है।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके निगम में 11वीं योजना के दौरान 7707 मेगावाट के क्षमता वर्धन की परिकल्पना की है।

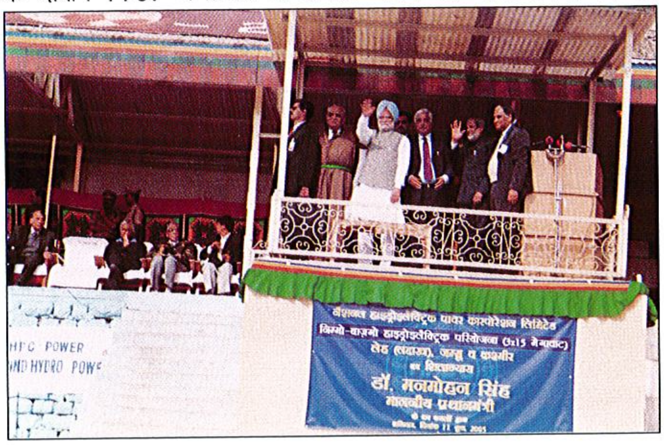

लेह जिले में 45 मे.वा. की निम्मो बाजगो परियोजना के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह

पहले से ही कई चिन्हित परियोजनाओं में अंतः संरचनात्मक ढांचे के विकास हेतु अग्रिम कार्रवाई जारी है। मुझे यह सूचित करते हुए भी हर्ष हो रहा है कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन हेतु 6 परियोजनाओं अर्थात जम्मू कश्मीर में 240 मेगावाट उड़ी-II , 45 मेगावाट निमो बाजगो और 44 मेगावाट चुटक परियोजना, हिमाचल प्रदेश में 231 मेगावाट चमेरा-III तथा 520 मेगावाट पार्वती-III परियोजना और पश्चिम बंगाल में 160 मेगावाट तीस्ता लो डैम-IV परियोजना के निष्पादन हेतु प्रस्तावों की सिफारिश की है। इन परियोजनाओं में निर्माण पूर्व क्रियाकलाप पहले ही प्रारम्भ हो चुके हैं। मुझे यह सूचित करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 11.06.2005 को जम्मू कश्मीर में निमो बाजगो तथा चुटक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अन्य परियोजनाओं में भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य प्रगति पर हैं।

इन परियोजनाओं के निर्माण क्रियाकलापों का वित्त पोषण करने के लिए आपके निगम ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों से 583 करोड़ रुपये के ऋण जुटाए हैं। यह भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ 20 वर्षों की अवधि हेतु 6500 करोड़ रुपये के लाइन-ऑफ-केडिट हेतु पहले से ही निष्पादित समझौते के अतिरिक्त है। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि निगम की वरिष्ठ अप्रतिभूत राष्ट्रीय रेटिंग की, एक अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंगस द्वारा ''एएए'' के तौर पर पुनः पुष्टि की गई है। इसी प्रकार फिच रेटिंगस तथा स्टेण्डर्ड एण्ड पुअर द्वारा भी वरिष्ठ अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा तथा साथ ही देशीय मुद्रा हेतु निगम की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग की ''बीबी+'' हेतु पुनः पुष्टि/पुष्टि की गई है।

वर्ष 2004-05 के दौरान आपके निगम ने लाभग्राहियों को बिक्री की गई ऊर्जा के प्रति 1645.58 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूल की (बकाया बिल के लिए प्राप्त भुगतान सहित)। तदनुसार, मूल बकाया देयों के प्रति समग्र वसूलियां वर्ष 2004-05 के दौरान बिल की गई ऊर्जा राशि का 100.66% है और इस प्रकार यह श्रेष्ठ रेटिंग हेतु 97% समझौता ज्ञापन के लक्ष्य से अधिक है।

आपके निगम ने अपने निगमित सामाजिक दायित्व को महसूस करते हुए ग्रामीण भारत में विद्युतीकरण और पहुंच सड़कों के विकास तथा रखरखाव में शामिल होने का विकल्प चुना है। एनएचपीसी ने 1लाख गांवों तथा 1 करोड़ परिवारों के तीव्र विद्युतीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजाओं के निरूपण तथा क्रियान्वयन हेतु भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)

पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा जम्मू व कश्मीर में ग्रामीण विधुतीकरण के लिए आरईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में एनएचपीसी को पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को सौंपा गया है। अन्य राज्यों में भी ग्रामीण विद्युतीकरण के आवंटन की आशा है।

आपके निगम ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक शतप्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण सड़कों के विकास तथा अनुरक्षण हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया है।

दिसम्बर, 2004 में एक विनानशकारी भूकंप ने अंडमान निकोबार में कलपोंग पावर स्टेशन का विद्युत उत्पादन बाधित कर दिया और एनएचपीसी के दल ने 6 दिनों के भीतर इसे पुनः प्रारम्भ करने के लिए 24 घन्टे कार्य किया। एनएचपीसी तथा इसके कर्मचारियों ने सुनामी पीड़ितों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में 1.65 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया।

यह उल्लेख करना असंगत नहीं होगा कि आपका निगम प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अत्यधिक महत्व देता है। प्रत्येक परियोजना पर पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अध्ययन किए जा रहे हैं और उन अध्ययनों के आधार पर क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) निरूपित की गई है। आपके निगम को पर्यावरण प्रबन्धन आईएसओ 14001 प्रमाण-पत्र की पुनः पुष्टि की गई है।

आपका निगम सम्पूर्ण औद्योगिक शान्ति बनाए रखने में सफल रहा है। सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक भी श्रम दिवस की हानि नहीं हुई थी। अधिशेष श्रमशक्ति को कम करने के लिए आपके निगम ने पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारम्भ की है। विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और रोजगार में भी आरक्षण भारत सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार किया जाता है। निगम अपने मुख्यालय तथा साथ ही परियोजनाओं में भी राजभाषा के उत्तरोत्तर प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। आपके निगम में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया है और सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों हेतु कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपकी संयुक्त उद्यम कम्पनी "नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड" ने इन्दिरा सागर परियोजना (आईएसपी) पर 125 मेगावाट प्रत्येक की सभी 8 इकाइयों को प्रारम्भ कर दिया है और आईएसपी से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के ग्रिड में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश को राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ठीक करने के लिए इस परियोजना की 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता से काफी अधिक लाभ होगा। 520 मेगावाट ओमकारेश्वर परियोजना में निर्माण क्रियाकलाप निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं।

मैं निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, विशेषकर विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, योजना आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग और विद्युत बोर्डों/निगमों सहित राज्य सरकार की विभिन्न संस्थापनाओं से प्राप्त सहयोग तथा समर्थन को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूं।

मैं इस अवसर पर राज्य सरकारों तथा साथ ही भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की गई सहायता तथा समर्थन की सराहना करता हूं और इसे रिकार्ड में लेता हूं। मैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण संस्थानों को उनके द्वारा एनएचपीसी के प्रति विश्वसनीयता बनाए रखने और उनकी सतत वित्तीय सहायता हेतु हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

मैं बोर्ड के सभी निदेशकों की ओर से अपने कर्मचारियों को वर्ष के दौरान श्रेष्ठतम चहुंमुखी कार्य-निष्पादन देने के लिए सभी स्तरों पर उनके समर्पण तथा प्रतिबद्धता हेतु धन्यवाद देता हूं।

अ. कु. गंगोपाध्याय

(ए.के.गंगोपाध्याय)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 25 अगस्त, 2005

स्थान : फरीदाबाद

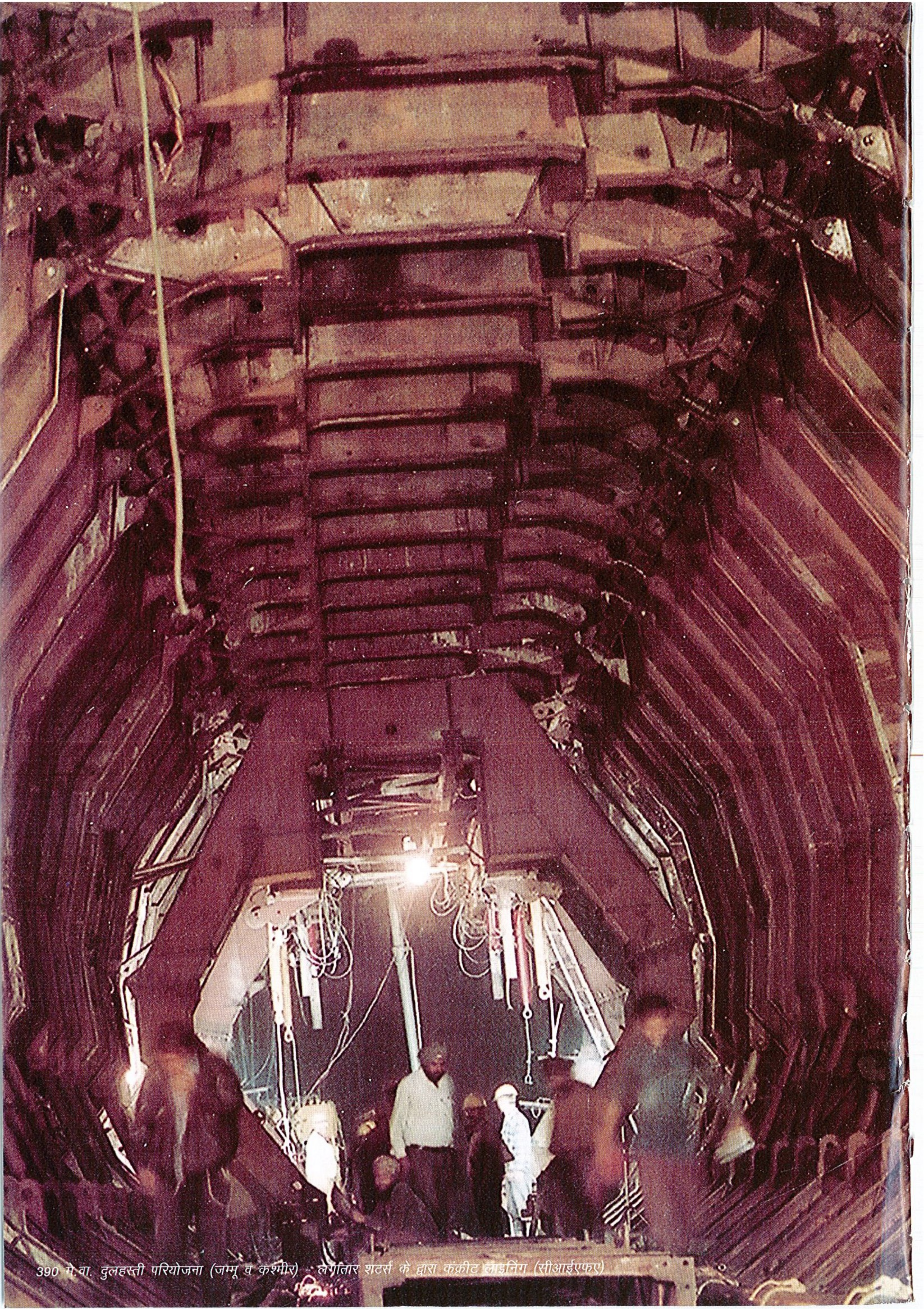

390 मे.वा. दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर) - लगातार शटर्स के द्वारा कंक्रीट लाइनिंग (सीआईएफए)

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपके निगम की 29वीं वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखापरीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखे की समीक्षा को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय कार्यनिष्पादन

आपके निगम ने कार्य निष्पादन संकेतकों को उच्च स्तर तक ले जाकर प्रचालन का एक और सफल वर्ष पूर्ण किया। बिक्री कारोबार पिछले वर्ष में 1414.43 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 1668.27 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 18% की वृद्धि दर्ज की गई और शुद्ध लाभ बढ़कर 684.58 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि निगम द्वारा अपने प्रारम्भ से अब तक का सबसे अधिक अर्जित किया गया लाभ है।

31 मार्च, 2005 को वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार निम्नानुसार है -

सारणी - 1

वित्तीय विशिष्टताएं

(करोड़ रुपये)

विवरण	**2004-2005**	**2003-2004**
विद्युत की बिक्री	1668.27	1414.43
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	1354.95	1198.79
मूल्यह्रास	248.37	208.14
मूल्यह्रास के पश्चात और ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	1106.58	990.65
ब्याज लागत	329.05	347.17
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात, किन्तु कर पूर्व लाभ	777.53	643.48
कर	92.95	22.10
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर के पश्चात लाभ	684.58	621.38
पहले के वर्षों के लाभ हानि लेखे का अधिशेष	1753.00	1267.00
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	2437.58	1888.38
विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	60.00	60.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	80.00	60.00
निगमित लाभांश कर	19.21	15.38
बाँड रिडम्पशन आरक्षित हेतु पश्च लेखन	90.65	——
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित शेष लाभ	2369.02	1753.00

2. विद्युत उत्पादन

निगम के 8 प्रचालनरत विद्युत स्टेशनों ने वर्ष के दौरान 11286.43 मिलियन यूनिट का उत्पादन किया जो समझौता ज्ञापन के 10800 मि.यू. के लक्ष्य और पिछले वर्ष के 11045.52 मि.यू. के उत्पादन से अधिक है। मणिपुर में लोकतक पावर स्टेशन (105 मेगावाट) ने 488 मि.यू. के लक्ष्य की तुलना में 629.67 मि.यू. का अब तक का सबसे अधिक बिजली उत्पादन किया। जम्मू तथा कश्मीर में सलाल पावर स्टेशन (690 मे.वा.) ने 3443.28 मि.यू. बिजली उत्पादन किया, जो 3150 मि.यू. के निर्धारित लक्ष्य से 293.28 मिलियन यूनिट अधिक है। क्षमता सूचकांक के रूप में मापी जाने वाली प्रचालनरत विद्युत स्टेशनों की मशीन उपलब्धता 94.50% के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य की तुलना में 95.28% रही है। परियोजना-वार उत्पादन सारणी-2 में दिया गया है।

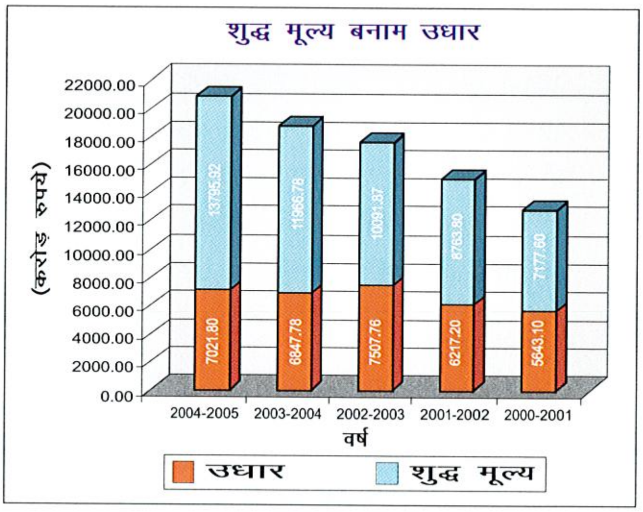

परियोजना-वार वार्षिक उत्पादन

सारणी -2

पावर स्टेशन	लक्षित उत्पादन (मियू) 04-05	वास्तविक उत्पादन (मियू) 04-05	वास्तविक उत्पादन (मियू) 03-04	लक्षित सीआई (%)	वास्तविक सीआई (%)
बैरास्यूल 180 मे.वा.	690	689.68	687.79	93.74	94.72
लोकतक 105 मे.वा.	488	629.67	503.20	94.43	90.06
सलाल 690 मे.वा.	3150	3443.28	3477.42	98.13	99.91
टनकपुर 94.20 मे.वा.	452	495.17	510.99	98.08	100.00
चमेरा-I 540 मे.वा.	2157	2104.69	2462.08	90.50	91.51
उड़ी 480 मे.वा.	2223	2206.65	2873.54	98.15	99.10
रंगित 60 मे.वा.	340	369.73	344.26	90.32	91.97
चमेरा-II 300 मे.वा.	1300	1347.56	186.24	87.76	86.69
कुल	**10800**	**11286.43**	**11045.52**	**94.50**	**95.28**

निगम ने भारत में सर्वश्रेष्ठ जल-विद्युत स्टेशनों की तुलना में पावर स्टेशनों के कार्य-निष्पादन तथा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्किंग की एक प्रणाली प्रारम्भ की है। इससे सुधारे जाने के क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पावर स्टेशनों की उपलब्धता में सुधार के लिए प्रचालनरत पावर स्टेशनों की नियमित तकनीकी जाँच भी की जाती है। निगम ने पावर स्टेशनों की उपलब्धता में और सुधार के उददेश्य से एससीएडीए प्रणाली जैसी विभिन्न कम्प्यूटरीकृत अनुरक्षण तकनीकों को लागू किया है।

3. वसूली/बकाया देयताएं

वर्ष 2004-05 के दौरान निगम ने मूल बकाया देयताओं (बकाया बिलों के लिए प्राप्त भुगतान सहित) के मुकाबले 1645.58 करोड़ रुपये की वसूली की, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान बिल की ऊर्जा राशि का 100.66% होता है, इस प्रकार वसूली हेतु श्रेष्ठ रेटिंग के लिए 97% के समझौता ज्ञापन के लक्ष्य से कहीं अधिक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनएचपीसी ने दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से दीर्घावधि अग्रिम के रूप में 25.41 करोड़ रुपये, अधिभार के लिए 2.80 करोड़ रुपये और असूचीवद्ध अंतर परिवर्तनों के लिए 47.89 करोड़ रुपये वसूल किए। मूल राशि की वर्तमान बकाया देयताएं 147.38 करोड़ रुपये (31.3.2004 को) से कम होकर 73.80 करोड़ रुपये (31.3.2005 को) हो गई हैं, इस प्रकार औसत बिलिंग के महीनों की बकाया देयताएं घटकर 1.15 से 0.54 रह गई हैं। संदेहास्पद ऋण भी संबंधित लाभग्राहियों से निपटान करके तथा तत्संबंधी वसूली करके 84.75 करोड़ रुपये से घटकर 77.56 करोड़ रुपये रह गए हैं।

4. प्रस्तावित लाभांश

आपके निदेशकों ने 60 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश सहित वर्ष 2004-05 हेतु 140 करोड़ रुपये (लाभांश कर के अतिरिक्त) का एकमुश्त लाभांश देने की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयर धारकों के अनुमोदन की शर्त अधीन है।

माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री को 80 करोड़ रूपए का लाभांश चैक प्रस्तुत करते हुए निदेशकगण

5. पूंजीगत ढांचा

वित्तीय वर्ष के समापन पर प्रदत्त हिस्सा पूंजी 9425.6197 करोड़ रुपये थी, जो और बढ़कर 30 जून, 2005 को 9584.5097 करोड़ रुपये हो गई है।

6. ऋण

आपके निगम ने आने वाले वर्षों में व्यापक क्षमतावर्धन की योजना बनाई है। क्षमतावर्धन कार्यक्रम हेतु निधियों की आवश्यकता को बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधनों तथा ऋण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। निगम ने 6500 करोड़ रुपये के सैकिंड लाइन क्रेडिट हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समझौता किया है। वर्ष के दौरान निगम ने अपने चालू निर्माण क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए विभिन्न बैंकों से घरेलू ऋण के रूप में 583 करोड़ रुपये जुटाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग द्वारा निगम की प्रवर अप्रतिबद्ध राष्ट्रीय रेटिंग "एएए" की पुनः पुष्टि की गई है। इसी प्रकार, निगम की वरिष्ठ अप्रतिबद्ध विदेशी मुद्रा तथा साथ ही स्थानीय मुद्रा हेतु फिच रेटिंग्स तथा स्टेण्डर्ड एण्ड पुअर द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग की पुनः पुष्टि/पुष्टि "बीबी+" के रूप में की गई है।

7. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति

उत्तरांचल में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (4X70=280 मे.वा.) के कार्य पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना की यूनिट 3 तथा 4 को क्रमशः 28.7.2005 तथा 26.7.2005 को समक्रमित किया गया था। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3X130=390 मे.वा.) के निर्माण क्रियाकलाप भी पूरा होने के अंतिम चरण में हैं। यह प्रत्याशा है कि परियोजना को दिसम्बर, 2005 में चालू कर दिया जाएगा।

सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-V (3X170=510 मे.वा.) के कार्यों की प्रगति भी संतोषजनक है। परियोजना को फरवरी, 2007 में पूरा करने का कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता लो डैम (4 X 33=132 मे.वा.), चरण-III और जम्मू व कश्मीर में सेवा जल विद्युत परियोजना (3X40=120 मे.वा.) के सभी प्रमुख सिविल कार्यों के निर्माण क्रियाकलाप जोर-शोर से चल रहे हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना क्रमशः मार्च, 2008 तथा सितम्बर, 2007 है।

अरूणाचल प्रदेश में स्थित सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.) में संविदाकर्ताओं ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अंतिम वन मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात संसाधन जुटा लिए हैं और प्रमुख कार्य प्रगति पर हैं। संसाधनों के संचलन तथा अन्य अंतः संरचनात्मक कार्यों को सुगम बनाने के लिए सुबानसिरी नदी के ऊपर स्थाई पुल पहले ही पूरा किया जा चुका है। परियोजना को सितम्बर, 2010 में चालू करने का कार्यक्रम है।

हिमाचल प्रदेश में पार्वती जल विद्युत परियोजना चरण-II (4X200=800 मे.वा.) हेतु निर्माण क्रियाकलाप पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं। परियोजना को सितम्बर, 2009 में चालू करने का कार्यक्रम है। मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक डाउनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (3X30=90 मे.वा.) के प्रमुख कार्य कानून एवं व्यवस्था की समस्या के कारण प्रारम्भ नहीं हो सके। अनिश्चितता तथा अंतर्निहित उच्च टैरिफ पर विचार करते हुए एनएचपीसी बोर्ड ने परियोजना को बन्द करने का निर्णय लिया है और मामले को विद्युत मंत्रालय को भेज दिया है।

अरूणाचल प्रदेश में स्थित कामबांग लघु जल विद्युत परियोजना (3X2=6 मे.वा.) चालू किए जाने के लिए तैयार थी परन्तु इसे मार्च, 2005 के अंतिम सप्ताह में अचानक आई बाढ़ के कारण क्षति पहुंची। इसका पुनरूद्धार कार्य प्रगति पर है। सिप्पी लघु जल विद्युत परियोजना (2X2 मे.वा.) प्रगति पर है और इसके दिसम्बर, 2005 में पूर्ण होने की आशा है।

निगम ने 11वीं योजना के दौरान 7707 मे.वा. के क्षमतावर्द्धन की योजना बनाई है। इसमें से 6 परियोजनाएं सार्वजनिक निवेश बोर्ड की स्वीकृति की प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार की स्वीकृति के अधीन हैं। ये परियोजनाएं हैं - तीस्ता लो डैम-IV (160 मे.वा.), पश्चिम बंगाल, चमेरा-III (231 मे.वा.), हिमाचल प्रदेश, उड़ी-II (240 मे.वा.), जम्मू तथा कश्मीर, पार्वती-III (520 मे.वा.), हिमाचल प्रदेश, चुटक (44 मे.वा.) व निम्मो बाजगो (45 मे.वा.) जम्मू व कश्मीर।

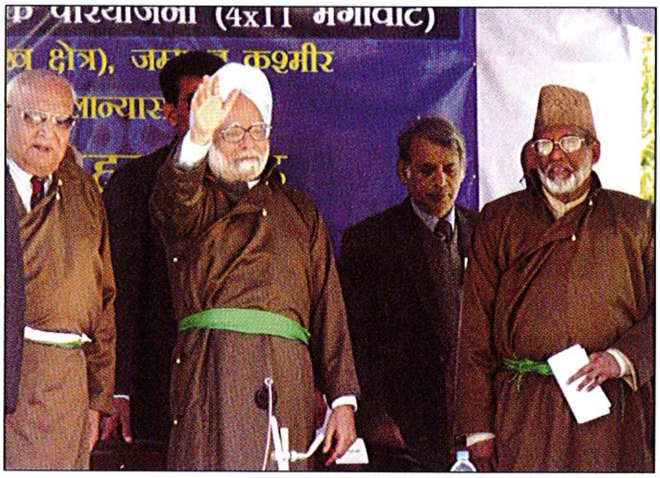

एनएचपीसी की 44 मे.वा. की चुटक परियोजना, कारगिल, जम्मू व कश्मीर के शिलान्यास समारोह के दौरान जम्मू व कश्मीर के महामहिम राज्यपाल लेफ्ट. जन. (सेवानिवृत्त) एस.के. सिन्हा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, श्री ए.के. गंगोपाध्याय, सीएमडी, एनएचपीसी एवं माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री पी.एम. सईद

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 11.6.2005 को चुटक एवं निम्मो-बाजगों परियोजनाओं की आधारशिला रखी। दोनों परियोजनाओं को चार वर्ष के भीतर चालू किए जाने का कार्यक्रम है। पूर्ण होने पर ये परियोजनाएं विद्युत की कमी वाले इस क्षेत्र को सस्ती, विश्वसनीय तथा स्वच्छ विद्युत मुहैया कराएगी और क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त, जम्मू तथा कश्मीर में स्थित किशनगंगा जल विद्युत परियोजना (330 मे.वा.) को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक मंजूरी प्राप्त हो गई है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सर्वेक्षण व अन्वेषण के अंतर्गत अन्य नई योजनाओं की स्थिति नीचे दी गई है -

क्र.सं.	परियोजना	स्थिति
	डीपीआर तैयार किए जाने के अधीन परियोजनाएं	
1.	**पाकल दुल (1000 मे.वा.) तथा बरसर (1020 मे.वा.), जम्मू तथा कश्मीर**	विस्तृत अन्वेषण कार्य अंतिम चरण में हैं और डीपीआर को तैयार किया जाना प्रगति पर है। तथापि, किश्तवाड़ अत्यिधक ऊंचाई पर स्थित नैशनल पार्क के मुद्दे को अभी जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा सुलझाया जाना बाकी है।
2.	**सुबानसिरी मिडिल (1600 मे.वा.) तथा सुबानसिरी अपर (2000 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश**	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने एनएचपीसी को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और आवश्यक अंतः संरचनात्मक कार्य करने का परामर्श दिया है। तथापि, डीपीआर तैयार किए जाने में बाधा आई है, क्योंकि चरण-II की स्थल मंजूरी हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत प्रस्ताव सुबानसिरी लोअर परियोजना के मामले में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की इस सिफारिश के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि "भविष्य में सुबानसिरी नदी के अपस्ट्रीम में किसी बांध का निर्माण नहीं होगा।" माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सुबानसिरी लोअर परियोजना के विरूद्ध मामले को निपटाते हुए 19.4.2004 के अपने आदेश में उसी स्थिति की पुनः पुष्टि की है। मामले को स्थल मंजूरी हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ पुनः विचार के लिए भेजा गया है। राज्य सरकार ने भी इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की है।
3.	**दिबांग (3000 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश**	परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
4.	**सियांग लोअर (1600 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष के दौरान चरण-II स्थल के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। डीपीआर को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।
5.	**लखवार व्यासी (420 मे.वा.), उत्तरांचल**	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। तथापि, सिंचाई हेतु परियोजना की लागत को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और पेय जल हेतु दिल्ली सरकार द्वारा बांटे जाने के संबंध में पुष्टि की प्रत्याशा में इसे सीईए को प्रस्तुत किया जाना प्रतिक्षित है।
6.	**सियोम (1000 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश**	सीईए को प्रस्तुत डीपीआर जाँच के अधीन है। वन प्रस्ताव राज्य वन विभाग को इसके आगे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अग्रेषित किया जा चुका है। कार्यान्वित सारांश को सिद्धान्ततः अनुमोदन प्राप्त करने के लिए योजना आयोग को भेजा जा चुका है।
7.	**बाव चरण-II (20 मे.वा.), महाराष्ट्र**	महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के साथ 6.1.05 को विद्युत क्रय करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है।

सर्वेक्षण तथा अन्वेषण के अधीन परियोजनाएँ

1.	**सियांग अपर/ इंटरमीडिएट (11000 मे.वा.), अरूणाचल प्रदेश**	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति जारी कर दी गई है। व्यावहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए जाँच कार्य प्रगति पर है। स्थापित क्षमता को उपलब्ध आंकड़ों, जिसके लिए सर्वेक्षण तथा जाँच कार्य मध्यवर्ती स्थल पर किए जा रहे हैं, के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना / संशोधन करते हुए कमी की जानी है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मध्यवर्ती स्थल के चरण-I के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
2	**कोटली भेल चरण-I ए, (240 मे.वा.), उत्तरांचल**	एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सीईए द्वारा परियोजना को वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान की जा चुकी है। योजना आयोग ने परियोजना हेतु सिद्धांततः अनुमोदन भी प्रदान कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए स्थल मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। डीपीआर को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।
3.	**कोटली भेल चरण-I बी, (280 मे.वा.), उत्तरांचल**	एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई व्यावहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सीईए द्वारा वाणिज्यिक व्यावहार्यता प्रदान की जा चुकी है। योजना आयोग ने भी सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए स्थल मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। डीपीआर को तैयार करने के लिए सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किए गए हैं।
4.	**कोटली भेल चरण-II, (440 मे.वा.), उत्तरांचल**	एनएचपीसी द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्यता रिपोर्टों के आधार पर सीईए द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदान की जा चुकी है। योजना आयोग ने भी सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है। चरण-II हेतु स्थल की मंजूरी को भागीरथी तथा अलकनन्दा के संगम स्थान देवप्रयाग पर स्नान घाट के डूब जाने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। स्थल मंजूरी (चरण-II) के अनुसार पुनर्विचार हेतु संशोधित प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. परामर्शी सेवाएं

एनएचपीसी जल विद्युत विकास के क्षेत्र में भारत तथा विदेश में विभिन्न एजेंसियों/संगठनों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करती है। आपके निगम ने वर्ष 2004-05 के दौरान 52.42 करोड़ रुपये के परामर्शी कार्य किए हैं, जो श्रेष्ठ रेटिंग हेतु 11 करोड़ रुपये के एमओयू लक्ष्य से 377% अधिक है। इन कार्यों में विदेश मंत्रालय तथा एनएचपीसी लिमिटेड के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद म्यामार में 1200 मे.वा. की तामंती जल विद्युत परियोजना की पूर्व व्यावहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) को तैयार करने का प्रतिष्ठित कार्य शामिल है। पीएफआर को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से म्यानमार सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है और इसे उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ताजाकिस्तान में 7.4 मे.वा. के वारजोब-I जल विद्युत संयंत्र की मरम्मत, आधुनिकीकरण तथा अपरेटिंग को संयुक्त रूप से बीएचईएल के साथ करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है। उक्त कार्यों को करने हेतु विदेश मंत्रालय का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

एनएचपीसी को बिहार के सात जिलों तथा पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले और छत्तीसगढ़ में 8 जिलों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य भी सौंपा गया है।

9. भू-तापीय परियोजनाओं का विकास

भू-तापीय ऊर्जा हेतु नोडल एजेंसी होने के कारण एनएचपीसी ने अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता/संविदाकर्ता अर्थात मैसर्स जियोथरमेक्स, यू.एस.ए. के सहयोग से पहले ही रैंकिंग अध्ययन शुरू कर दिए हैं। 6 सबसे अधिक संभावना वाले भू-तापीय क्षेत्रों की पहचान की गई जिनके नाम हैं - छत्तीसगढ में तत्तापानी, जम्मू कश्मीर में पुगा, जम्मू कश्मीर में झूमथांग, गुजरात में कैम्बे ग्रेबन, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और झारखण्ड में सूरजकुण्ड। ततापानी भू-तापीय क्षेत्रो के समग्र विकास से संबंधित प्रस्ताव को गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा चुका है।

10. डिजाइन एवं अभियांत्रिकी

जल परियोजनाओं के विकास में डिजाइन एवं अभियांत्रिकी की एक अहम भूमिका है। पिछले वर्षों में एनएचपीसी ने अग्रणी तक्नोलॉजी के उपयोग के साथ देश में सबसे बड़ा डिजाइन एवं अभियांत्रिकी समूह स्थापित किया है जिसे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स, रॉक मैकेनिक्स, भू-तकनीकी अभियांत्रिकी, ढांचागत अभियांत्रिकी तथा हाइड्रोमैकेनिकल अभियांत्रिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। इसने अभियांत्रिकी ड्राइंगों को तैयार करने संबंधी प्रक्रिया और डिजाइन हेतु अभियांत्रिकी सॉफ्टवेयरों के उपयोग का सफलतापूर्वक कम्प्यूटरीकरण किया है। उचित डिजाइन के साथ प्रारम्भ की गई नवीनतम निर्माण तकनीकों में पार्वती-II जल विद्युत परियोजना में प्रैशर शाफ्ट के उत्खनन हेतु प्रवृत्त टीबीएम और तीस्ता लो डैम परियोजना (चरण-IV) में आरसीसी बांध बनाने की निर्माण तकनीकें शामिल हैं।

डिजाइन एवं अभियांत्रिकी विभाग ने सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना हेतु 135 मीटर ऊंचाई वाले कंक्रीट बांध का डिजाइन तैयार किया है जिसका निर्माण कार्य कठिन नींव पर किया जा रहा है। इस विभाग ने विशेष उपचार के द्वारा सुबानसिरी अपर हेतु कारसिटीफाइड चूना पत्थर पर बांध बनाने की योजना भी तैयार की है।

11. पर्यावरण प्रबन्धन

एनएचपीसी का यह मानना है कि समाज का आर्थिक विकास उसके प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत प्रबंधन पर निर्भर करता है। इसलिए यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षणों को अत्यधिक महत्व प्रदान करती है। बनाए रखे जा सकने वाले विकास की अवधारणा को इन परियोजनाओं के डिजाइन, क्रियान्वयन तथा क्रियान्वयन पश्च में एकीकृत किया गया है। एक जल विद्युत परियोजना में प्रचालन के दौरान कोई प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव की पहचान के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव आकंलन (ईआईए) अध्ययन किए जाते हैं। अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) क्रियान्वयन हेतु तैयार की जाती हैं। जिन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाता है उनमें प्रतिपूरक वनीकरण योजना, जल-ग्राहय क्षेत्र उपचार योजना, हरित पटटी विकास योजना, जैवकीय विविधता संरक्षण योजना, परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली, मछली प्रबंधन योजना, खदान क्षेत्र का स्थिरीकरण और मलबा (मक) निपटान योजना, आपदा प्रबन्धन योजना आदि हैं।

12. सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार

एनएचपीसी कारपोरेट कार्यालय तथा 40 से अधिक परियोजनाओं तथा विद्युत स्टेशनों को कवर करते हुए संगठन में एक उन्नत सूचना ढांचे के निर्माण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्रों में उपकरणों तथा तकनोलॉजियों के नियोजन में अग्रणी रही है। जहाँ इन कार्य स्थलों पर एकीकृत कम्प्यूटरीकरण सुविधाओं के सृजन हेतु पर्याप्त संख्या में डेस्कटॉप कम्प्यूटर, सर्वर तथा उच्च गति वाले लोकल एरिया नेटवर्क मुहैया कराए गए हैं वहीं उपग्रह आधारित वाइड एरिया नेटवर्क इन सभी कार्य स्थलों को समूचे संगठन में सूचना तथा ध्वनि संचार के अबाधित प्रवाह हेतु आपस में जोड़ता है। सृजित किए गए सूचना ढांचे का लाभकारी उपयोग महत्वपूर्ण व्यापार कार्यों को कवर करने वाले उपयोगों हेतु किया जा रहा है जैसेकि परियोजना निर्माण मानिटरिंग उत्पादन मानिटरिंग तथा नियंत्रण, सामग्री प्रबंधन, वित्त एवं लेखे, मानव संसाधन, ऊर्जा लेखांकन तथा बिलिंग और अन्य उपयोग जैसकि वीडियो कांफ्रेंसिंग, इंटरनेट/ई-मेल, वायस एण्ड डाटा कम्युनिकेशन। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्र अनुरक्षण, इनफ्लो पूर्वानुमान और समूचे उपक्रम में ईआरपी हल के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण को प्रारम्भ करने हेतु पहल भी की जा रही है।

13. मानव संसाधन विकास

मजबूत पर्यावरण चेष्टा के साथ जल विद्युत तथा जल संसाधनों के बनाए रखे जा सकने वाले विकास हेतु एक विश्वस्तरीय बहुआयामी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनने के निगमित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को अपने को कौशल विकसित करने तथा उन्हें अद्यतन करना होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इन उददेश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान 49.5% श्रमशक्ति (मैनपावर) प्रशिक्षित की गई और कुल 673 कार्यक्रम आयोजित किए गए। निगम ने कर्मचारियों के लिए इंट्रानेट के माध्यम से कर्मचारियों हेतु "कभी भी, कहीं भी शिक्षण अवसर" प्रारम्भ किया है जिसका सभी कर्मचारी निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं।

14. सतर्कता क्रियाकलाप

कारपोरेट कार्यालय में एनएचपीसी के सतर्कता प्रभाग को बीआईएस द्वारा आईएसओ-9001- 2000 प्रमाणीकरण दिया गया है। सभी प्रक्रियाविधि को प्रलेखित किया गया है और विलंब से बचने के लिए सतर्कता शिकायतों तथा अनुशासनात्मक मामलों के अनुरक्षण की प्रणालियों को क्रियान्वित किया गया है। सीवीसी तथा सीटीई संगठन के परिपत्रों को नियमित रूप से परिचालित किया जाता है और कर्मचारियों की सुविधा तथा सूचना हेतु लैन प्रणाली पर भी डाला जाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में "कार्यपालकों तथा पर्यवेक्षकों हेतु निवारात्मक सतर्कता" पर 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15. राजभाषा क्रियान्वयन

दिन प्रति दिन कार्यालयीन कार्य में हिन्दी के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दक्षता को प्रभावित किए बिना नियमित कार्य में हिन्दी के उपयोग को अधिकतम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे कर्मचारी जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है को उचित प्रशिक्षण दिया जाता है। हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद द्वारा राजभाषा शील्ड एनएचपीसी को प्रदान की गई

16. कारपोरेट संचार

भारत के राष्ट्रपति महामहिम डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2004 के एनएचपीसी पैविलियन में

कारपोरेट संचार किसी संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता को सुदृढ़ करने और छवि में सुधार के लिए कार्य करता है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी की उपलब्धियों को प्रिंट तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया में छवि बनाने और जल विद्युत के विकास हेतु नकारात्मक दुष्प्रचार को समाप्त करने के लिए उचित रूप से प्रचार किया गया। निगम ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का उपयोग किया जैसे कि नई दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2004, मुम्बई में पावर टैक 2004, गुवाहटी में नैशनल एक्सपो 2004, नई दिल्ली में पावर जेन 2004, इंडिया हाइड्रो 2004 और फरीदाबाद में सूरजकुंड व्यापार मेला 2004 का उपयोग एनएचपीसी को भारत की प्रमुख जल विद्युत उपयोगिता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक मंच के रूप में किया। एनएचपीसी के पैविलियनों ने जल विद्युत के विकास में एनएचपीसी की क्षमताओं तथा उपलब्धियों को दर्शाया। "एनएचपीसी न्यूज" सभी परियोजनाओं / विद्युत स्टेशनों/इकाइयों को आंतरिक रूप से सूचना के प्रसार हेतु एक प्रभावी उपाय माना गया है।

खेलकूद तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एनएचपीसी ने टनकपुर पावर स्टेशन में 7वां अन्तर-सीपीएसयू कैरम, नौवां अन्तर-सीपीएसयू ब्रिज टूर्नामेंट और कोलकाता में पांचवा अन्तर-सीपीएसयू फुटबाल टूर्नामेंट, पावर स्पोर्टस कंट्रोल बोर्ड, विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित किया। इन खेलों के अतिरिक्त, एनएचपीसी की टीम ने इस अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू द्वारा आयोजित विभिन्न टूर्नामेंटों में भी भाग लिया।

17. सुनामी आपदा - एनएचपीसी का योगदान

दिसम्बर, 2004 में आए विनाशकारी भूकंप ने उत्तर अंडमान में अंडमान तथा निकोबार के प्रशासन के कालपोंग जल विद्युत परियोजना (3 X 1.75 मे.वा.) से मशीनों को जाम करके विद्युत उत्पादन रोक दिया और समूचे डिगलीपुर क्षेत्र में पूर्ण अंधकार छा गया। अंडमान तथा निकोबार के उप राज्यपाल के अनुरोध पर एनएचपीसी तत्काल हरकत में आई और उसने विद्युत स्टेशन पर एक दल भेजा, जिसने दिन-रात घंटे कार्य करके 6 दिन के भीतर विद्युत उत्पादन बहाल कर दिया।

राष्ट्र के साथ खड़े होते हुए एनएचपीसी ने दिसम्बर, 2004 के दौरान सुनामी लहरों के कारण आपदा हेतु एक करोड़ रुपये का अंशदान दिया और निगम के कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन का अंशदान दिया, जिसकी राशि 65,24,616/- रुपये होती है।

18. अनुषंगी निगम /संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

1. नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर इन्दिरा सागर पावर स्टेशन (1000 मे.वा.) और ओंकरेश्वर परियोजना (520 मे.वा.) के निष्पादन हेतु स्थापित किया गया था। इन्दिरा सागर पावर स्टेशन की सभी इकाइयां (125 X 8) को निर्धारित कार्यक्रम से पहले चालू कर दिया गया है और इसने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 1331.85 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया।

मध्य प्रदेश की ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना (8 X 65मे.वा.) के निर्माण क्रियाकलाप जोर-शोर से चल रहे हैं। परियोजना के फरवरी, 2008 में पूरा होने का कार्यक्रम है।

2. नैशनल पम्पड स्टोरेज पावर कारपोरेशन लिमिटेड -

एनएचपीसी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के मध्य इस संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन सार्वजनिक निवेश बोर्ड के विचाराधीन है। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के साथ हुई एक बैठक में यह सूचित किया गया कि पुरलिया पम्पड स्टोरेज परियोजना के सिविल तथा हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। चूंकि इस चरण पर इस संयुक्त उद्यम में एनएचपीसी के शामिल होने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ देने का निर्णय लिया गया।

19. कारपोरेट अभिशासन (कारपोरेट गवर्नेंस)

आपका निगम इस बात पर विश्वास करता है कि अच्छा कारपोरेट शासन व्यवहार एक महान निगम बनने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह उद्यम तथा समग्र रूप से देश के लिए सम्पत्ति के सृजन हेतु प्रचालन में पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली विकसित करने और व्यापार उद्यम की दक्षता में सुधार करने पर बल देता है। बोर्ड के तीन सदस्यों वाली एक लेखा परीक्षा समिति 2001 से विद्यमान है। लेखा परीक्षा समिति सभी वित्तीय विवरणों को बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व नियमित रूप से उनकी समीक्षा

करती है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मानिटरिंग करती है। निगम के लेखे को लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कड़ाई से तैयार किया जाता है और उन्हें बोर्ड द्वारा रिकार्ड में लिए जाने के पश्चात नियमित रूप से राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहा है। इन्हें समग्र जनता की जानकारी के लिए संचार के साथ-साथ निगम की वेबसाइट पर भी डाला जाता है। निगम कानूनी प्रावधानों, नियामक प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशों और सूचीबद्ध करार के क्लोजों की अनुपालन पर भी विशेष ध्यान देता है। पूंजीगत बाजार से संबंधित किसी मामले में एनएसई/सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

20. अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अ.पि.व. हेतु आरक्षण

निगम सेवा में अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अ.पि.व. हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुदेशों का पालन करता है।

21. विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत सरकार के निदेशों के अनुसार रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

22. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय के संबंध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) जिसे कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्योरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पठित प्रावधानों की अनुसार सूचना इस रिपोर्ट के **अनुबंध-I** में दी गई है।

23. कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य है।

24. लेखा परीक्षक

वर्ष 2004-05 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स बत्रा सप्रा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स गांधी मिनोचा एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, अम्बाला, मैसर्स भूषण बंसल जैन एसोसिएटस, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, नई दिल्ली और मैसर्स ए.आर.मैती एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंटस, कोलकाता को निगम के शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

25. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निगम द्वारा अनुसूची-21 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख स्वतः स्पष्ट हैं। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन द्वारा दिए गए उनके उत्तर अनुबंध-II में दिए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर रिपोर्ट के अनुबंध-III में संलग्न हैं।

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई समीक्षा इस रिपोर्ट के अनुबंध-IV के रूप में संलग्न है।

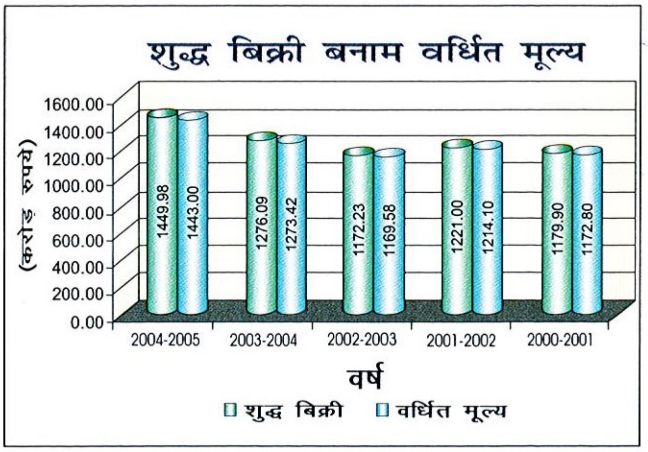

26. अनुषंगी निगम के लेखे

आपके निगम की एक अनुषंगी नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत विवरण सहित संलग्न हैं।

27. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के अंतर्गत यथापेक्षित निदेशकगण इस बात की पुष्टि करते हैं कि -

i) वार्षिक लेखे तैयार करने में लेखाकरण के लिए लागू मानकों का अनुपालन किया गया है और यदि कोई वास्तविक विचलन हुआ तो उसका उचित स्पष्टीकरण दिया गया है।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं तथा अनुमान लगाए हैं जो कि तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि हेतु कम्पनी के लाभ की वास्तविक तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं;

iii) निदेशकों ने अपनी पूर्ण जानकारी तथा योग्यता के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण पर उचित तथा पर्याप्त ध्यान दिया है;

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखे निरंतर संबंध आधार पर तैयार किए हैं।

28. निदेशक मंडल

श्री आर.के. शर्मा 21.10.2004 से टीएचडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप निदेशक (तकनीकी) नहीं रहे।

श्री एम.साहू, संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय 22.12.2004 से एनएचपीसी के निदेशक नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद 30.4.2005 को सेवा-निवृत्ति की आयु पर पहुंचने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

श्री एस.के. चतुर्वेदी ने 8.10.2004 से निदेशक (कार्मिक) के रूप में बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री गुरूदयाल सिंह, सदस्य (हाइड्रो), सीईए ने 22.12.2004 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री ए.के.गंगोपाध्याय, निदेशक (परियोजनाएं) को 1.5.2005 से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

श्री एस.पी. सेन ने निदेशक (तकनीकी) के रूप में 4.8.2005 से बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया है।

आभार

निदेशक मण्डल भारत सरकार और विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, लोक उद्यम विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग और साथ ही राज्य सरकारों, क्षेत्रीय तथा राज्य विद्युत बोर्डों/कंपनियों से प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं तथा साथ ही भारतीय निवेशकों का भी निगम को निरन्तर सहायता देने, उस पर अपना भरोसा तथा विश्वास बनाए रखने के लिए आभारी है।

निदेशक मण्डल विद्युत लेने वाले उपभोक्ता राज्यों और परामर्शी कार्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण ग्राहकों के प्रति अपना विशेष आभार व्यक्त करता है। मंडल, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में संविदाकारों, विक्रेताओं तथा परामर्शदाताओं के योगदान के लिए उनके प्रयासों के लिए विशेष आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सराहना करता है। इसके साथ ही निदेशक मंडल एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता है जिनके जोश समर्पण तथा सहयोग से संतोषजनक कार्य-निष्पादन की प्राप्ति संभव हुई है। बोर्ड को यह भी विश्वास है कि कर्मचारी आने वाले वर्षों में भी अपना श्रेष्ठ योगदान देना जारी रखेंगे।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से।

अ. कु. गंगोपाध्याय

(ए.के.गंगोपाध्याय)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक - 22 अगस्त, 2005

स्थान - फरीदाबाद

कंपनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन पर निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

क. ऊर्जा संरक्षण

क) किए गए और किए जा रहे ऊर्जा उपाय -

(क) किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय

25 वर्ष से अधिक पुराने पावर स्टेशनों के कार्य निष्पादनों का आंकलन करने और उन्हें इष्टतम करने के उद्देश्य से बैरास्यूल पावर स्टेशन के इलैक्ट्रो-मैकेनिकल संयंत्रों/उपकरणों की ऊर्जा जाँच की गई है।

(ख) ऊर्जा के उपभोग में कमी करने हेतु क्रियान्वित किये जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो।

i. प्रारम्भिक परीक्षणों के परिणामों के आधार पर जिसमें ईंधन उपभोग में 7.5% तक की बचत दर्शाई हैं के नियमित उपयोग हेतु इसकी प्रभावोत्पादकता सिद्ध करने के लिए विभिन्न पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में स्थित विभिन्न गैसोलिन चालित उपकरणों पर फील्ड परीक्षण हेतु ईंधन बचत तकनीक फिच फ्यूल कैटालिस्ट के उपयोग की सिफारिश की गई है।

ii. बैरास्यूल विद्युत स्टेशन की ऊर्जा जांच के परिणामों से प्रोत्साहित होकर वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान सलाल विद्युत स्टेशन की ऊर्जा की जाँच की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में उल्लिखित उपायों के प्रभाव से ऊर्जा उपभोग में कमी और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर परिणामस्वरूप प्रभाव।

कमतर कार्य-निष्पादन वाले औजारों/उपकरणों को ऊर्जा दक्ष से प्रतिस्थापित किया जाएगा और इन्हें वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान एक चरणबद्ध रूप में स्थापित किया जाएगा।

ग) तत्संबंधी अनुबंध के फार्म-क के अनुसार कुल ऊर्जा उपभोग और उत्पादन की प्रति यूनिट पर ऊर्जा उपभोग।

एनएचपीसी इस अनुसूची में वर्णित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

(घ) प्रौद्योगिकी समावेशन हेतु किए गए प्रयासों को इस अनुबंध के फार्म-ख में संलग्न किया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

(च) निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप; निर्यात बढ़ाने के लिए की गई पहल; उत्पाद तथा सेवाओं हेतु नए बाजारों का विकास; और निर्यात योजनाएं।

एनएचपीसी की कोई निर्यात योजना नहीं हैं।

(छ) कुल विदेशी मुद्रा प्रयुक्त तथा अर्जित

करोड़ रुपये

	विवरण	2004-2005	2003-2004
1.	सीआईएफ आधार पर आयातित संयंत्र तथा मशीनरी और कलपुर्जो का मूल्य	20.22	102.76
2.	जानकारियां	0.28	0.63
3.	विविध (व्यय)	311.37	254.39
4.	ब्याज	116.75	111.44
5.	प्रचालन इकाइयों में उपभोग किए गए कलपुर्जे तथा घटकों का मूल्य		
	- आयातित	5.38	0.07
	- देशीय	1.60	2.60
	आय (नकद आधार पर)		
6.	ब्याज आय	—	—
7.	अन्य	—	0.04

फार्म-ख

1. विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें निगम द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) किया जा रहा है -

- जल पावर स्टेशनों में गाद से प्रभारित जल के भीतर रहने वाले टरबाइन घटकों के सेवाकाल में वृद्धि।
- पावर स्टेशनों की सुरक्षा जाँच।
- ईंधन बचाने वाली तकनोलॉजी।
- पावर ट्रांसफार्मरों की हालत की मॉनिटरिंग तथा निवारात्मक जाँच।

2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त किए गए लाभ

- गाद कटाव से सुरक्षा मुहैया कराने और इस प्रकार कटाव की प्रक्रिया को मन्द करने और उनके सेवाकाल को बढ़ाने तथा मशीन उपलब्धता को ईष्टतम करने के उद्देश्य से सलाल पावर स्टेशन तथा बैरास्यूल पावर स्टेशन में जल के भीतर रहने वाले टरबाइन के घटकों की सतहों पर एचपी - एचवीओएफ थर्मल स्प्रे प्रक्रिया के माध्यम से हार्ड कोटिंग पाउडरों के निक्षेपों द्वारा प्रयोगात्मक अध्ययनों को व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। एचपी /एचवीओएफ के साथ टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट ने उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने विद्युत स्टेशनों के कार्य निष्पादनों का आंकलन करने और उन्हें इष्टतम करने के उददेश्य से बैरास्यूल पावर स्टेशन के सभी इलैक्ट्रो-मैकेनिकल संयंत्रों/उपकरणों की ऊर्जा जाँच की गई है। ऊर्जा बचत योजनाएं वित्तीय वर्ष 2005-06 तथा इसके आगे क्रियान्वित की जाएगी। लागत में लाभ लगभग 30.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष होने की संभावना है।

- टरबाइन के जल के भीतर रहने वाले घटकों को भारी गाद कटाव के कारण व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। विशेष इस्पात के बने होने के कारण इन्हें विशेष इलेक्ट्रोड का उपयोग करके और विशिष्ट वेल्डिंग व्यवस्था के द्वारा पुनः स्थापित किए जाने की आवश्यकता होती है। निगम ने संबंधित विनिर्माता के साथ परामर्श करके प्रत्येक प्रकार के टरबाइन हेतु विशेष इलैक्ट्रोड तथा विशिष्ट वेल्डिंग व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है।
- एनएचपीसी ईंधन बचाने वाली तकनोलॉजी को अपनाने के लिए फील्ड परीक्षण कर रही है। प्रारम्भिक परीक्षणों से उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और ईंधन उपभोग में 7.5% की बचत हुई है।
- प्रत्येक पावर ट्रांसफार्मर की वास्तविक स्थिति का आंकलन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के साथ संयुक्त सहयोग से विभिन्न नैदानिक परीक्षणों वाली एक प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया है। यह प्रणाली ट्रासफार्मरों के खराब होने को न्यूनतम करने में सहायता करेगी, जिससे भविष्य में समय तथा लागत, दोनों में बचत होगी।

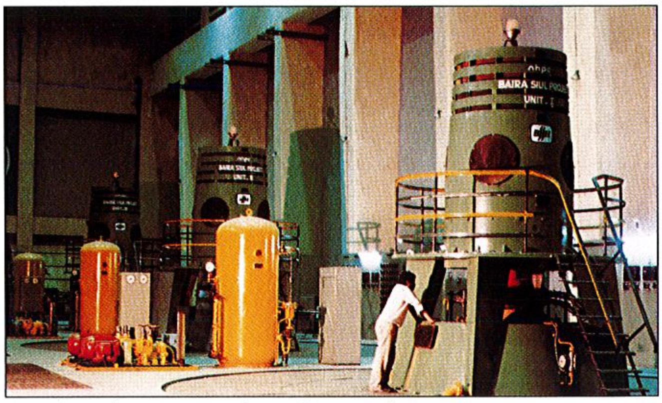

180 मे.वा. बैरास्यूल पावर स्टेशन (हिमाचल प्रदेश) - पावर हाउस

3. 2005-2006 के लिए भविष्य की कार्रवाई योजना

उपर्युक्त वर्णित अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों के वर्ष 2005-06 में भी जारी रहने की संभावना है साथ ही डीजल पावर का उपयोग करते हुए दूरस्थ स्थलों हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग का दोहन करते हुए क्रियाकलाप जारी रखे जाने की योजना है।

4. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

2004-05 तक कुल - 628.39 लाख रुपये व्यय किया गया, जिसमें भू-तापीय ऊर्जा के विकास पर खर्च हुए 146.39 लाख रुपये भी शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग और नवीनीकरण

1. प्रौद्योगिकी समावेश, प्रयोग और नवीनीकरण के लिए किए गय प्रयासों की संक्षेप में जानकारी -

एनएचपीसी पावर स्टेशनों में कोटिंग पाउडर तथा थर्मल स्प्रे प्रक्रियाओं के प्रभावी संयोजनों के निर्धारण हेतु रैंकिंग अध्ययन करने के लिए अनुसंधान परियोजनाओं को एआरसीआई के साथ संयुक्त रूप से लिया गया है। सलाल तथा बैरास्यूल पावर स्टेशनों में जल के भीतर रहने वाले टरबाइन घटकों हेतु हार्ड कोटिंग की प्रभावोत्पादकता को स्थापित करने के लिए विशेषीकृत संगठनों के सहयोग से फील्ड परीक्षण जारी हैं।

इसके अतिरिक्त, निगम ने वर्ष 2004-05 के दौरान आधुनिकतम जीआईएस सॉफ्टवेयर (अभियांत्रिकीय भू-वैज्ञानिक उपयोगों हेतु डाला गया है) का प्रापण किया है और भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के विश्लेषण में इसके उपयोग के लिए अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

2. उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि निम्नानुसार हैं -

बैरास्यूल पावर स्टेशन की गाइड वेंस पर एचवीओएफ प्रक्रिया के साथ टंगस्टन कार्बाइड कोबाल्ट कोटिंग के इस्तेमाल से देखा गया है कि इसमें 2 मानसून सत्रों के प्रचालन के पश्चात गाद कटाव के प्रति महत्वपूर्ण प्रतिरोधिता देखने में आई है। जिसमें पुनर्निमाण लागत में कमी, समय में कमी तथा उन्नत दक्षता प्राप्त हुई है। सलाल पावर स्टेशन की एक यूनिट के टरबाइन के जल के भीतर रहने वाले घटकों ने भी एक मानसून सत्र के बाद प्रचालन के पश्चात उत्साहजनक परिणाम दर्शाए हैं। इसके अतिरिक्त, सलाल विद्युत स्टेशन तथा बैरास्यूल पावर स्टेशन में 2004-05 के दौरान किए गए नए प्रयोगात्मक अध्ययनों का कार्य-निष्पादन 2005-06 के मानूसन सत्र के पश्चात ही ज्ञात होगा।

जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यापक भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के प्रसंस्करण तथा विशलेषण हेतु किया जा रहा है। इसके कारण विभिन्न परियोजना घटकों की डिजाइनिंग तेज हुई हैं तथा विश्वसनीय विश्लेषण प्राप्त हुए हैं।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित तकनोलॉजी -

एनएचपीसी को गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा देश में भू-तापीय विद्युत के विकास के लिए एक " नोडल एजेंसी" के रूप में नामित किया गया है। भारत में विभिन्न भूतापीय क्षेत्रों के क्रमिक अध्ययनों को पहले ही एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता के माध्यम से कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में तकनोलॉजी का अंतरण केवल तभी होगा जब गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय /तत्तापानी में भू-तापीय परियोजना के स्थापन को मंजूरी देगा तथा इसे एनएचपीसी को सौंपता है।

अभियांत्रिकी भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्य आधुनिकतम आयातित उपकरणों अर्थात 24 तथा 48 चैनल सिसमोग्राफ, टेरामीटर एसएएस 4000 इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए किया गया है। इन तकनोलाजियों का उपयोग पूर्वोत्तर में सुबानसिरी लोअर, सुबानसिरी मिडल, सुबानसिरी अपर, सियांग मिडल तथा दिबांग परियोजनाओं सफलतापूर्वक किया गया है।

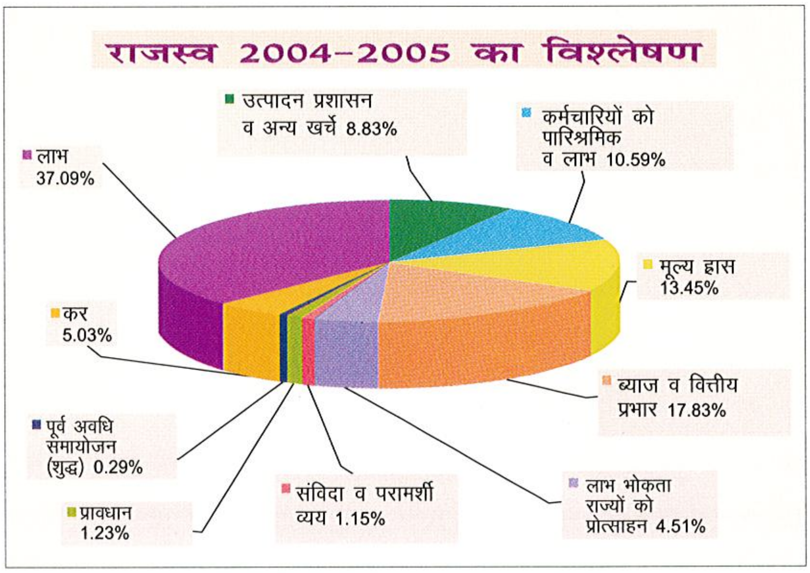

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
1. हमने नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2005 के संलग्न समेकित तुलन पत्र व उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।	
2. हमने साधारणतः भारत में प्रचलित लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। उन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि हम यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत कथनों से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में जांच आधारित परीक्षण,राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए सार्थक अनुमानों के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत हेतु एक उचित आधार उपलब्ध कराती है।	
3. जैसा कि कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 की उप-धारा (4क) के अनुसार यथापेक्षित भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2003 जिसे कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) संशोधन आदेश, 2004 (जिसे एतदपश्चात आदेश कहा गया है) के साथ पढ़ा जाता है, हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध में संलग्न कर रहे हैं।	

4. ऊपर पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के क्रम में हम आगे सूचित करते हैं कि :-

आकस्मिकताओं हेतु स्व-बीमा के खाते की प्रविष्टि, एक नामितिक प्रविष्टि होने के कारण, लाभ तथा हानि विनियोजन लेखे के बजाए लाभ तथा हानि लेखे में 48.80 करोड़ रुपये के डेबिट से उस सीमा तक शुद्ध लाभ को कम आंकने में परिणित हुआ है।

लेखाकरण प्रक्रिया, जो लगातार अपनाई गई वह लेखाकरण नीति सं-13. के अनुसार है। इस संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निम्नलिखित टिप्पणी पर ध्यान दिलाया जाता है, जो वर्ष 1997-98 के लिए निगम के वार्षिक लेखों पर तात्कालिक सांविधिक लेखापरीक्षकों की अर्थ व्यंजना से संबद्ध है, जिसे निम्न प्रकार से पढा गया है।

अर्थ-व्यंजना	सी एण्ड एजी की टिप्पणी
लेखाकरण नीति सं 10 (**अब लेखाकरण नीति-13**) लाभ के विनियोजन के बजाए लाभ तथा हानि लेखे में प्रभारित स्व-बीमा का सृजन	सांविधिक लेखा परीक्षक की अर्थ-व्यंजना सही नहीं हैं क्योंकि संचालन एवं अनुरक्षण के अधीन परियोजनाओं की अदृश्य हानियों के उद्देश्य से स्व बीमा रिज़र्व का सृजन किया गया है।

वर्ष 2001-2002 के निगम के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की समान अर्थ-व्यंजना पर सीएजी की टिप्पणी सं. 9 द्वारा उक्त स्थिति की पुनः पुष्टि की गई है।

5. ऊपर पैराग्राफ 4 में हमारी रिपोर्ट के अध्यधीन, हमारा कहना है कि :-

   i) हमने वह सब सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे ;

   ii) लेखापरीक्षकों में कार्य का आवंटन पत्र संख्या सी.ए.वी./सीओवाई/केन्द्र सरकार काम्प. एनएचपीसी (4)/412 दिनांक 06.09.2004, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा एनएचपीसी को सम्बोधित है, में निहित निदेश का अनुसरण करते हुए किया गया है;

   iii) हमारी राय में विधि द्वारा यथापेक्षित उपयुक्त लेखाबहियों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया गया है जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है। शाखा लेखापरीक्षक रिपोर्ट(टें) हमें अग्रेषित की गई हैं तथा उनपर समुचित कार्रवाई की गई है;

   iv) इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण लेखाबहियों से तथा शाखाओं से प्राप्त लेखापरीक्षित विवरणियों से मेल खाते हैं;

v) हमारी राय में इस रिपोर्ट में संव्यवहृत तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों में लागू सीमा तक समनुरूप हैं;

vi) कंपनी कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 की अपनी अधिसूचना संख्या एफ 8/5/2001-सीएल-V के तहत अधिसूचित किया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274(1)(छ) के प्रावधान किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होंगे;

vii) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखे जिन्हें उनके साथ की टिप्पणियों तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से प्रस्तुत करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के संबंध में एक सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करते है :-

क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्यस्थिति के बारे में,

ख) लाभ एवं हानि लेखे के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ के बारे में, तथा

ग) कैश फ्लो विवरण के संबंध में उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो के बारे में।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(ए.एल. बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध

(समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित)

(i) (क) कंपनी ने नियत परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारे मतानुसार सत्यापन की आवृति युक्तिसंगत है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान वास्तविक सत्यापन की गई नियत परिसंपतियों के मामले में बही रिकार्डों की तुलना में कोई तथ्यात्मक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

(ग) चूंकि वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों के किसी महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया गया है, इसलिए चालू कंपनी आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार करना इस कारण से प्रभावित नहीं होता है।

(ii) (क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भण्डार की वस्तुसूची, कलपुर्जों, इस्पात तथा सीमेंट सिवाय उसके जो संविदाकर्ताओं के पास अथवा परिवहन में है, का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में ऐसे सत्यापन की आवधिकता युक्तिसंगत है।

(ख) हमारे मतानुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं युक्तिसंगत एवं पर्याप्त हैं।

(ग) हमारे मतानुसार कंपनी वस्तुसूची के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक स्टॉकों तथा वस्तुसूची के अभिलेखों के बीच सत्यापन पर कोई भौतिक कमी नहीं पाई गई।

(iii) हमारे द्वारा लागू की गई लेखा परीक्षा कार्यविधियों के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टरों में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से कोई ऋण, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं लिए हैं/दिए हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार,वस्तुसूची क्रय, नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में, विद्युत तथा सेवाओं की बिक्री के संबंध में कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं।

(v) हमारे द्वारा अपने श्रेष्ठ ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार लागू की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाविधियों और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि किए जाने के लिए उल्लिखित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं की प्रविष्टि उसमें की गई है।

आदेश के पैरा 4 के उप-पैरा (v) का उप-खण्ड (ख) लागू नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष में किसी भी पक्ष के संबंध में 5 लाख रुपये मूल्य से अधिक का कोई लेन-देन नहीं किया गया है।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 58क तथा 58कक के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का जनता से स्वीकृत धनराशि के संबंध में अनुपालन किया है।

हमें प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अन्य अधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(vii) कंपनी का एक अंतःगृह आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसे हमारी राय में व्यवसाय गतिविधियों के स्वरूप तथा आकार के समनुरूप और सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

(viii) हमने कंपनी अधिनियम की धारा 209(1)(घ) के अन्तर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखाबहियों का मोटे तौर पर पुनरीक्षण किया है तथा हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखे तथा रिकार्ड बनाए गए हैं तथा अनुरक्षित किए गए हैं। तथापि, हमने इस उद्देश्य से कि वे सही अथवा पूर्ण हैं इन रिकार्डों का विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि, आयकर, बिक्रीकर, संपत्तिकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं जिन्हें नियमित रूप से प्राधिकारियों के पास जमा कराना होता है, उन्हें सामान्यतः उचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप

से जमा करा देती है। हमें सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई सूचना तथा जानकारी के अनुसार 31 मार्च, 2005 को ऊपर वर्णित सांविधिक देयों के संबंध में कोई अविवादित राशि देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि हेतु बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण और कम्पनी के रिकार्डों के अनुसार बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क, संपत्तिकर, उत्पाद शुल्क, उपकर के संबंध में कोई किसी विवाद के कारण जमा न कराई गई राशि 2066.66 करोड़ रुपये है।

(x) वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की कोई संचित हानियां नहीं हैं। कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष तथा इस वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष के दौरान कोई नकद हानियां नहीं हुई हैं।

(xi) रिकार्डों के प्रमाणीकरण के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था/ बैंक या ऋण-पत्र धारकों को देयताओं की पुनर्अदायगी में चूक नहीं की है।

(xii) हमारी राय है कि कंपनी जहां कंपनी ने प्रतिभूति के आधार पर शेयरों,ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को रेहन रखकर ऋण तथा अग्रिम प्रदान किए हैं वहाँ पर्याप्त रिकार्ड रखें है।

(xiii) कंपनी एक चिट फंड या निधि अथवा कोई परस्पर लाभ निधि/समिति नहीं है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xiv) (क) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋणपत्र तथा अन्य निवेशों में कारोबार नहीं कर रही है।

(ख) कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 49 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई सीमा के अतिरिक्त शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों तथा निवेशों को अपने नाम पर धारित किया गया है।

(xv) हमारी राय में, जिन शर्तों एवं निबंधनों पर कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटियां दी है, वे कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

(xvi) हमारी राय में ब्याज के आवंटन सहित जुटाए गए सावधि ऋण के अनुप्रयोग को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलनपत्र की समग्र जांच, हमें उपलब्ध कराई गई संगत सूचना और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर हम सूचित करते हैं कि सामान्यतः अल्पावधि आधार पर जुटाए गए ऋणों का प्रयोग दीर्घावधिक निवेश के लिए नहीं किया गया है।

(xviii) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमानी आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किए हैं, इसलिए उस संबंध में प्रतिभूति अथवा प्रभार बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गमों द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए सार्वजनिक निर्गमों द्वारा जुटायी गई राशि के अंतिम उपयोग को प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(xxi) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या उसके साथ कोई धोखाधड़ी जानकारी में नहीं आई है या सूचित की गई है।

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(ए.एल.बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

वार्षिक लेखे

120 मे.वा. सेवा जल विद्युत परियोजना चरण-II - बांध स्थल

31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2005			31 मार्च, 2004		
निधियों के स्रोत							
क. अंशधारकों की निधि							
i) हिस्सा पूंजी	1		9,425.62			7,775.63	
ii) हिस्सा पूंजी जमाराशि			158.89			427.55	
iii) इक्विटी में समंजनीय भारत सरकार की निधि			348.76			425.85	
iv) आरक्षित एवं अधिशेष	2		3,863.83	13,797.10		3,338.46	11,967.49
ख. ऋण निधियां							
i) प्रतिभूत ऋण	3		4,004.26			4,141.35	
ii) अप्रतिभूत ऋण	4		3,017.54	7,021.80		2,706.43	6,847.78
ग. मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के कारण अग्रिम प्राप्त आय				1,071.15			939.40
घ. आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा	2क			304.66			255.81
ड. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			1,413.48			1,379.16	
घटाएं : वसूलनीय आस्थगित कर			1,413.48	–		1,379.16	–
जोड़				**22,194.71**			**20,010.48**
निधियों का अनुप्रयोग							
क. नियत पूंजी व्यय							
i) नियत परिसम्पत्तियां	5						
क) सकल ब्लॉक		10,876.28			10,342.71		
घटाएं : मूल्यह्रास		2,148.20			1,882.95		
ख. शुद्ध ब्लॉक			8,728.08			8,459.76	
ii) चालू पूंजीगत कार्य	6		8,787.19			6,975.83	
iii) निर्माण भंडार एवं अग्रिम	7		849.25	18,364.52		805.55	16,241.14
ख. निवेश	8			3,769.43			3,660.87
ग. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	9						
i) निवेश पर उपार्जित ब्याज		154.50			335.08		
ii) मालसूची		49.15			53.79		
iii) चालू संविदा कार्य		42.87			26.58		
iv) विविध देनदार		450.97			498.96		
v) नकद एवं बैंक शेष		311.68			174.37		
vi) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		85.20			66.65		
vii) ऋण एवं अग्रिम		291.27	1,385.64		238.81	1,394.24	
घटाएं; चालू देयताएं तथा प्रावधान	10						
i) देयताएं		652.70			861.91		
ii) प्रावधान		673.36			420.32		
iii) विकास अधिभार (न्यास में धारित)		–	1,326.06		4.25	1,286.48	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				59.58			107.76
घ. विविध व्यय (बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)	11			1.18			0.71
जोड़				**22,194.71**			**20,010.48**
लेखाकरण नीतियां	20						
लेखा टिप्पणियां	21						

अनुसूची 1 से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल.बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

(ए.के.गंगोपाध्याय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(करोड़ रुपए)

	अनुसूची	31 मार्च, 2005			31 मार्च, 2004		
आय							
i) **बिक्री**			1,668.27			1,414.43	
घटाएं : प्रभार समायोजन			86.54			–	
घटाएं : मूल्यह्रास के लिए पेशगी			131.75	1,449.98		138.34	1,276.09
ii) संविदाएं व परामर्श	12			25.58			38.29
iii) बांड पर ब्याज				215.14			318.69
iv) दीर्घावधि अग्रिम पर ब्याज				26.96			48.49
v) अन्य आय	13			128.28			146.22
कुल आय				**1,845.94**			**1,827.78**
व्यय							
i) उत्पादन,प्रशासन व अन्य व्यय	14			162.97			142.85
ii) कर्मचारियों को पारिश्रमिक व हितलाभ	15			195.52			152.99
iii) मूल्यह्रास				248.37			208.14
iv) ब्याज व वित्त प्रभार	16			329.05			347.17
v) प्रावधान	17			22.78			30.00
vi) संविदा व परामर्शी व्यय	18			21.15			26.75
vii) लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				83.22			278.58
viii) पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	19			5.35			(2.18)
कुल व्यय				**1,068.41**			**1,184.30**
कर से पूर्व लाभ				**777.53**			**643.48**
कराधान के लिए प्रावधान							
i) चालू कर			55.98			22.10	
ii) पूर्व वर्षों से संबद्ध समायोजन			36.97			–	
iii) आस्थगित कर		34.32			85.73		
घटाएं : आस्थगित कर वसूली योग्य समायोजन		34.32	–	92.95	85.73	–	22.10
कर के पश्चात लाभ				**684.58**			**621.38**
पिछले वर्ष के लेखों से आगे लाया गया शेष				**1,753.00**			**1,267.00**
अप्रयोज्य लाभ				**2,437.58**			**1,888.38**
विनियोजन -							
i) अंतरिम लाभांश				60.00			60.00
ii) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				80.00			60.00
iii) कारपोरेट लाभांश कर				19.21			15.38
iv) बांड रिडेम्पशन आरक्षित निधि से वापस लिखा गया				90.65			–
तुलन-पत्र में आगे ले जाया गया शेष				**2,369.02**			**1,753.00**
लेखा नीतियां	20						
लेखों पर टिप्पणियां	21						

अनुसूची 1 से 21 तक लेखों का अभिन्न अंग हैं।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल.बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

(ए.के.गंगोपाध्याय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

अनुसूची-1 शेयर पूंजी

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
क. प्राधिकृत		
1000/-रूपए प्रत्येक के 150,000,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 150,000,000)	15,000.00	15,000.00
ख. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त		
1000/-रूपए प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 94,256,197 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 77,756,297) (इनमें से 6,29,529 शेयर भारत सरकार के साथ करार के अनुसरण में नकद से अन्यथा प्रतिफल हेतु आवंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर को नकदी के अलावा आंशिक प्रतिफल के लिए आवंटित किया गया है)।	9,425.62	7,775.63
जोड़	**9,425.62**	**7,775.63**

अनुसूची-2 आरक्षित व अधिशेष

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 के अनुसार शेष					31 मार्च, 2004 के अनुसार शेष				
	आद्य शेष	वर्धन	कटौती	समायोजन	अन्त शेष	आद्य शेष	वर्धन	कटौती	समायो-जन	अन्त शेष
पूंजी आरक्षित	0.06	–	–	–	0.06	0.06	–	–	–	0.06
बांड रिडम्पशन आरक्षित निधि	265.40	–	90.65	–	174.75	265.40	–	–	–	265.40
सामान्य आरक्षित	1,320.00	–	–	–	1,320.00	1320.00	–	–	–	1,320.00
लाभ व हानि लेखा के अनुसार अधिशेष	1,753.00	684.58	159.21	90.65	2,369.02	1,267.00	621.38	135.38	–	1,753.00
जोड़	**3,338.46**	**684.58**	**249.86**	**90.65**	**3,863.83**	**2,852.46**	**621.38**	**135.38**	**–**	**3,338.46**

अनुसूची-2क आकस्मिकताओं हेतु स्व-बीमा

(करोड़ रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 के अनुसार शेष					31 मार्च, 2004 के अनुसार शेष				
	आद्य शेष	वर्धन	कटौती	समायोजन-	अन्त शेष	आद्य शेष	वर्धन	कटौती	समायो-जन	अन्त शेष
आकस्मिकताओं हेतु स्व-बीमा	255.81	48.80	0.01	0.06	304.66	213.24	42.79	3.84	3.62	255.81

अनुसूची-3 आरक्षित ऋण

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
दीर्घकालीन ऋण				
(क) बांड (अपरिवर्तनीय एवं असंचयी)				
i) बांड एम सीरिज * 5 **(प्राइवेट प्लेसमेंट)** **07.01.2007 को सममूल्य पर रिडम्पशन 100000/- रूपए प्रत्येक के 9.55% 5 वर्षीय बांड** **(एक वर्ष में रिडम्पशन के लिए देय शून्य)**	430.00		430.00	
ii) बांड एन सीरिज *8 1,00,00,000/- रूपए (मूल फेश वैल्यू) प्रत्येक 6.50% 32 माह के बांड, जो 15.11.2003 से 5 समान छमाही किस्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं। 31.3.05 को अंकित मूल्य 40 लाख रुपये (एक वर्ष के भीतर प्रतिदेय के लिए देय 28 करोड़ रूपए)	28.00		56.00	
iii) बांड ओ सीरिज *2 10 अलग-अलग हस्तांतरणीय रिडम्पशन मूल हिस्सों वाले प्रतिदेय 10,00,00,000/-रूपए प्रत्येक के 7.7%,पर 15 वर्षीय बांड तथा प्रत्येक अलग-अलग हस्तांतरणीय रिडम्पशन मूल हिस्सा जिसमें बांड के अंकित मूल्य का 1/10वां मूल्य शामिल है। शीघ्रतम रिडम्पशन 31.3.2009 को। (एक वर्ष में रिडम्पशन के लिए देय शून्य रूपए)	570.00	1028.00	570.00	1056.00
(ख) सावधिक ऋण				
i) बैंक ऑफ इंडिया *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए)(31.03.2007 से आगे 8 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
ii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (02.11.2007 (से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
iii) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 20 करोड़ रूपए) (27.03.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	60.00		80.00	
iv) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (26.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		100.00	
v) केनरा बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.1.09 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	85.00		85.00	
vi) इंडियन ओवरसीज बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (06.12.2008 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
vii) इंडियन बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 100 करोड़ रूपए) (19.12.2005 को प्रतिदेय)	100.00		100.00	
viii) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (4.11.2004 को पुनः प्रदत्त)	–		100.00	
ix) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (4.11.2004 को पुनः प्रदत्त)	–		150.00	
x) भारतीय जीवन बीमा निगम *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 150 करोड़ रूपए) (15.09.2005 को प्रतिदेय)	150.00		150.00	
xi) पंजाब नैशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (01.10.2008 को प्रतिदेय)	50.00		50.00	
xii) पंजाब नैशनल बैंक *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (3.12.2008 को प्रतिदेय)	50.00		50.00	

अनुसूची-3 आरक्षित ऋण

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
xiii)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (09.01.2007 को प्रतिदेय)	40.00	40.00
xiv)	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय 13.33 करोड़ रूपए) (22.12.2003 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	13.33	26.67
xv)	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय शून्य रूपए) (11.09.2006 से आगे 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
xvi)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद *1 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए प्रतिदेय 12 करोड़ रूपए) (20.07.2004 से आगे 5 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	48.00	60.00
xvii)	बैंक ऑफ महाराष्ट्र *2 (2.2.05 को चुकाया गया)	–	100.00
xviii)	केनरा बैंक *2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 21.43 करोड़ रूपए) (26.03.2000 से आगे 7 समान वार्षिक किस्तों में अदायगी की जा रही है)	21.43	42.86
xix)	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *2 (30.7.2004 को चुकाया गया)	–	10.00
xx)	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड * 2 (11.5.2004 को चुकाया गया)	–	50.00
xxi)	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड * 2 (28.7.2004 को चुकाया गया)	–	50.00
xxii)	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स * 2 (27.09.2004 को चुकाया गया)	–	100.00
xxiii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 2 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (28.06.2009 को प्रतिदेय)	400.00	400.00
xxiv)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला *2 (3.2.05को चुकता किया गया)	–	16.66
xxv)	बैंक ऑफ इंडिया * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (24.12.2006 से 10 वर्षों में 40 समान तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
xxvi)	सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया *4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 10 करोड़ रूपए) (5 करोड़ रूपए की 20 अर्धवार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	90.00	100.00
xxvii)	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (13.02.2007 से 14 समान अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
xxviii)	पंजाब एण्ड सिंध बैंक * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (24.10.2006 से 10 वर्षों में 40 तिमाही किस्तों में प्रतिदेय)	100.00	100.00
xxix)	पंजाब नैशनल बैंक * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 15 रूपए) (26.10.2004 से 10 वर्षों में 20 अर्ध-वार्षिक किस्तों के रूप में पुनर्अदायगी की जानी है)	142.50	150.00
xxx)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (30.01.2007 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
xxxi)	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (07.01.2007 से 7 वर्षों में 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00	50.00
xxxii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया * 4 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (18.09.2006 से 14 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	150.00	150.00

अनुसूची-3 आरक्षित ऋण

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
xxxiii)	केनरा बैंक * 6 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (28.06.2009 से आगे 4 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	50.00		50.00	
xxxiv)	भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड * 7 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (15.04.2009 से 12 वर्षों में 24 अर्ध-वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	232.00		232.00	
xxxv)	केनरा बैंक *2 टिप्पणी ख (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य) (9.11.07 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)	200.00		–	
xxxvi)	सिंडिकेट बैंक *2 टिप्पणी ग (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य) (23.2.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)	183.00		–	
xxxvii)	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स *2 टिप्पणी घ (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य) (01.04.08 से 10 समान वार्षिक किस्तों में देय)	200.00		–	
xxxviii)	भारतीय जीवन बीमा निगम *9 (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य) (30.04.12 से 12 वर्षों में 24 अर्ध-वार्षिक किस्तों में देय)	11.00	2976.26	–	3043.19
xxxix)	बैंकों से नकद उधार (अल्प अवधि) * 3		–		42.16
	कुल आरक्षित ऋण (क+ख)		**4004.26**		**4141.35**

टिप्पणी (क) :-

*(1) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा पावर स्टेशन चरण-I के बही ऋण और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(2) कारपोरेशन के जम्मू व कश्मीर राज्य में अवस्थित उड़ी पावर स्टेशन के बही ऋणों और भंडारों को छोड़कर अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(3) कंपनी के देनदारों तथा ओ एण्ड एम भंडारों के प्रति बंधक रखकर आरक्षित।

*(4) कारपोरेशन की हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(5) कंपनी की सिक्किम राज्य में अवस्थित रंगित पावर स्टेशन की परिसंपत्तियों के बदले बैंककारों के पूर्व प्रभारों के अधीन बही ऋणों और भंडारों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर समरूप प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(6) कंपनी के मणिपुर राज्य में अवस्थित लोकतक पावर स्टेशन की अचल/चल परिसंपत्तियों के बदले साम्यापूर्ण रेहन/बंधक रखकर अन्योन्य प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत।

*(7) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित पार्बती जल विद्युत परियोजना चरण-II की अचल तथा चल परिसंपत्तियों के बदले सामयिक रेहन/बंधक रखकर प्रथम प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(8) कंपनी के हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी अचल तथा चल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप रेहन एवं प्रभार के माध्यम से आरक्षित।

*(9) निगम के अरूणांचल प्रदेश राज्य में स्थित सुबानसिरी परियोजना और सिक्किम राज्य में स्थित तीस्ता लो डैम-III जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों को 21.2.2005 को बंधक के पंजीकरण द्वारा आरक्षित किया गया। रेहन का सृजन प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी (ख) :-

केनरा बैंक से 200 करोड़ रुपये के ऋण का करार 10.11.2004 को किया गया। बंधक रखने के लिए प्रभार 03.12.2004 को पंजीकृत किया गया। उक्त के लिए रेहन का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी (ग) :-

सिंडीकेट बैंक से 183 करोड़ रुपये के ऋण का करार 23.02.2005 को किया गया। बंधक रखने के लिए प्रभार 21.03.2005 को पंजीकृत किया गया। उक्त के लिए रेहन का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी (घ) :-

ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स से 200 करोड़ रुपये के ऋण का करार 23.02.2005 को किया गया। बंधक रखने के लिए प्रभार 17.03.2005 को पंजीकृत किया गया। उक्त के लिए रेहन का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है।

अनुसूची-4 - अनारक्षित ऋण

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
दीर्घावधिक ऋण					
(क) भारत सरकार द्वारा गांरटी प्राप्त					
i)	**एबसेक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 107.30 करोड़ रूपए)	107.30		208.97	
ii)	**नार्डिक इनवेस्टमेंट बैंक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 22.16 करोड़ रूपए)	132.94		155.95	
iii)	**क्रेडिट कमर्शियल डी फ्रांस** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 96.14 करोड़ रूपए)	528.79		595.26	
iv)	**एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 47.86 करोड़ रूपए)	513.30		471.48	
v)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-I** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय 4.98 करोड़ रूपए)	204.10		210.32	
vi)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-II** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए)	669.60		671.54	
vii)	**जापान बैंक ऑफ इंटरनैशनल कोआपरेशन ट्रांश-III** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए)	290.06		–	
viii)	**ड्यूश बैंक एवं अन्य** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए)	251.96	2,698.05	66.73	2,380.25
(ख) अन्य					
i)	**इंडियन बैंक** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (28.2.2012 से 3 समान किस्तों में प्रतिदेय)	100.00		100.00	
ii)	**ईसीबी-बारक्लेज़ एवं एससीबी** (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए)	219.49	319.49	226.18	326.18
	कुल अनारक्षित ऋण		**3,017.54**		**2,706.43**

अनुसूची-5 नियत परिसंपत्तियां

(करोड़ रुपये)

	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2004	वर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.3.2005	1.4.2004 तक	वर्ष के लिए*	समायोजन**	31.3.2005 तक	31.3.2005	31.3.2004
i) फ्रीहोल्ड भूमि	171.95	8.21	25.27	154.89	–	–	–	–	154.89	171.95
ii) लीजहोल्ड भूमि	25.83	0.20	–	26.03	1.93	0.33	–	2.26	23.77	23.90
iii) अवर्गीकृत भूमि	75.85	374.56	0.73	449.68	6.75	0.86	0.11	7.72	441.96	69.10
iv) भवन	962.25	59.33	3.04	1,018.54	208.07	28.18	(0.14)	236.11	782.43	754.18
v) सड़कें व पुल	164.57	26.26	0.21	190.62	27.20	3.91	0.07	31.18	159.44	137.37
vi) अमूर्त परिसम्पत्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)	2.98	2.44	0.01	5.41	0.60	1.25	0.35	2.20	3.21	2.38
vii) निर्माण संयंत्र व मशीनरी	68.08	18.83	4.49	82.42	34.18	5.79	(2.90)	37.07	45.35	33.90
viii) उत्पादन संयंत्र व मशीनरी	2,559.44	38.33	1.39	2,596.38	541.23	79.34	0.76	621.33	1,975.05	2,018.21
ix) सब-स्टेशन उपस्कर	305.46	14.26	3.42	316.30	17.79	11.31	(1.12)	27.98	288.32	287.67
x) हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि)	5,797.45	21.95	1.04	5,818.36	946.23	129.82	2.32	1,078.37	4,739.99	4,851.22
xi) वाहन	34.66	2.58	2.44	34.80	21.12	3.67	(1.96)	22.83	11.97	13.54
xii) फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	82.38	20.33	7.74	94.97	32.80	8.33	(2.31)	38.82	56.15	49.58
xiii) ट्रांसमिशन लाइनें	25.14	1.30	0.02	26.42	12.50	0.86	0.22	13.58	12.84	12.64
xiv) विविध परिसंपत्तियां/ उपस्कर	43.51	6.61	2.45	47.67	13.11	3.29	(0.49)	15.91	31.76	30.40
xv) अधिशेष घोषित निर्माण संयंत्र व मशीनरी	10.85	0.35	10.59	0.61	7.13	0.02	(7.14)	0.01	0.60	3.72
xvi) अप्रचलित परिसंपत्तियां	–	0.36	0.02	0.34	–	–	–	–	0.34	–
xvii) 5000/-रूपए तक की लघु कीमत वाली नियत परिसंपत्तियां	12.31	2.95	2.42	12.84	12.31	2.69	(2.17)	12.83	0.01	–
जोड़	**10,342.71**	**598.85**	**65.28**	**10,876.28**	**1,882.95**	**279.65**	**(14.40)**	**2,148.20**	**8,728.08**	**8,459.76**
पिछले वर्ष	8,280.95	2,146.73	84.97	10,342.71	1,672.19	237.25	(26.49)	1,882.95	8,459.76	6,608.76

*वर्ष के लिए मूल्यह्रास नीचे दिए अनुसार आवंटित किया गया है :-

क) लाभ व हानि लेखा	248.37
ख) निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय	31.12
ग) संविदात्मक एवं परामर्शी व्यय	0.16
	279.65

** 3.19 करोड़ रूपए के पूर्व अवधि समायोजन शामिल हैं।

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(करोड़ रुपए)

	1.4.2004	वर्धन	समायोजन	पूंजीकृत	31.03.2005
i) सर्वेक्षण अन्वेषण तथा अन्य व्यय	157.49	24.38	0.24	3.46	178.17
ii) भवन, सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	307.92	183.60	7.03	53.05	431.44
iii) सड़कें और पुल	87.01	59.22	3.63	24.42	118.18
iv) हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध, सुरंग व पावर चैनल	2,262.40	771.41	75.71	21.09	2,937.01
v) रेलवे साइडिंग	2.56	8.92	–	2.56	8.92
vi) पेनस्टॉक	20.43	–	–	–	20.43
vii) उत्पादन स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी	1,119.76	380.13	1.75	(0.03)	1,498.17
viii) विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर	1.08	1.65	(0.02)	0.47	2.28
ix) विविध परिसंपत्तियां	0.70	–	0.56	0.04	0.10
x) ट्रंक ट्रांस मिशन लाइनें	16.75	1.99	–	0.84	17.90
xi) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (अनुसूची-6 का अनुबंध)	2,999.73	586.41	2.05	9.50	3,574.59
जोड़	**6,975.83**	**2,017.71**	**90.95**	**115.40**	**8,787.19**
पिछले वर्ष	7,078.00	1,973.37	57.92	2,017.62	6,975.83

अनुसूची-6 का अनुबंध निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
क. कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा लाभ				
i) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	222.45		195.84	
ii) उपदान तथा भविष्य निधि में योगदान (प्रशासन शुल्क सहित)	41.89		34.01	
iii) कर्मचारी कल्याण व्यय	33.38		25.95	
iv) अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	5.27	302.99	1.80	257.60
ख. मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i) भवन	3.75		3.40	
ii) मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	2.45		2.29	
iii) अन्य	14.39	20.59	14.08	19.77
ग. प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i) किराया	14.20		12.08	
ii) दरें एवं कर	0.49		0.43	
iii) विद्युत प्रभार	17.67		6.63	
iv) बीमा	2.08		1.83	
v) यात्रा एवं वाहन	10.83		9.85	
vi) स्टाफ कारों तथा निरीक्षण वाहनों पर व्यय	14.05		10.60	
vii) टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक टिकटें	4.74		4.23	
viii) विज्ञापन एवं प्रचार	4.02		6.02	
ix) विदेशी परामर्शी प्रभार	0.04		3.22	
x) डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार	1.43		1.46	
xi) प्रतिपूरक वानिकीकरण/जल-ग्राहय क्षेत्र सुधार पर व्यय	18.04		8.41	
xii) मनोरंजन	0.32		0.78	
xiii) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	4.00		3.06	
xiv) कारपोरेशन के स्वामित्वाधीन से भिन्न भूमि पर व्यय	17.02		15.22	
xv) भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास	0.30		0.69	
xvi) लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.38		0.40	
xvii) सुरक्षा व्यय	18.36		17.27	
xviii) अन्य व्यय	12.96		10.40	
xix) बट्टे खाते डाली गई सामग्री/परिसंपत्तियों पर हानि	2.80	143.73	12.74	125.32
घ. ब्याज एवं वित्त प्रभार				
i) बांडों पर ब्याज	24.64		36.37	
ii) विदेशी ऋण पर ब्याज	77.13		102.24	
iii) सावधि ऋण पर ब्याज	64.75		106.28	
iv) बांड निर्गम व्यय	0.43		0.46	
v) वचनबद्धता शुल्क	1.31		1.89	
vi) विदेशी ऋण पर गारंटी शुल्क	18.53		21.58	
vii) अन्य वित्त प्रभार	5.31	192.10	16.13	284.95
ड. विनिमय दर अंतर (शुद्ध)		(12.82)		6.11
च. मूल्यह्रास		31.12		28.86
छ. पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)				
i) आय	(0.09)		–	
घटाएं :-				
ii) व्यय				
क) वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	(0.19)		0.44	
ख) मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.25		–	
ग) अन्य	(0.09)		(0.48)	
घ) मूल्यह्रास	(0.25)		3.71	
ड.) ब्याज	(1.24)	(1.43)	–	3.67
कुल व्यय		**676.28**		**726.28**
घटाएं :- प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i) संयंत्र एवं मशीनरी के किराया प्रभार/उत्पादन	0.77		1.25	
ii) ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	45.27		36.38	
iii) विविध प्राप्तियां तथा वसूलियां	17.53		7.38	
iv) परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.22		0.23	
v) परीक्षण संचालन के दौरान विद्युत बिक्री	0.14		0.14	
vi) पश्चलेखन अनावश्यक होने वाले प्रावधान/देयताएं प्रावधान/देयताए	0.15		0.05	
कुल प्राप्तियां तथा वसूलियां		64.08		45.43
शुद्ध व्यय		**612.20**		**680.85**
घटाएं : निर्माण कार्य को सीधे आवंटित वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		9.40		8.02
घटाएं : प्रचालनात्मक एवं अनुरक्षण परियोजनाओं को आवंटित कारपोरेट कार्यालय का अंश तथा जमा/टर्नकी संविदाएं		16.39		14.97
पूंजीगत चालू कार्य को अंतरित राशि		**586.41**		**657.86**

अनुसूची-7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
क. निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा यथा मूल्यांकित तथा प्रमाणित लागत पर)				
i) पारगमन में निर्माण सामग्री	0.18		15.16	
ii) भंडार	94.17		162.25	
घटाएं : प्रावधान	0.81	93.54	0.30	177.11
ख. पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम				
i) आरक्षित (शोध्य माना जाने वाला)	160.42		75.05	
ii) अनारक्षित (शोध्य माना जाने वाला)				
- बैंक गारंटियों के अन्तर्गत शामिल	482.28		439.30	
- अन्य	113.01	755.71	114.09	628.44
iii) - अनारक्षित (संदेहास्पद माना जाने वाला)	0.02		–	
घटाएं - प्रावधान	0.02	–	–	–
कुल		849.25		805.55

अनुसूची-8 निवेश

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
दीर्घावधिक		
क. निवेश-सहायक कंपनी		
इक्विटी शेयर (अनुद्धृत)		
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	972.42	889.26
(1000/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त 8,340,000 इक्विटी शेयर तथा 138,42,00,000 के अंश पूंजी जमा (विगत वर्ष 1000/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतया प्रदत्त 8,340,000 इक्विटी शेयर तथा 55,26,00,000/-रूपए की अंश पूंजी जमाराशि))		
ख. निवेश - अन्य (व्यापार)		
इक्विटी शेयर (उद्धृत)		
इंडियन ओवरसीज बैंक* $	0.36	0.36
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,800 इक्विटी शेयर)		
(विगत वर्ष 10/- रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 360,800 इक्विटी शेयर)		
ग. निवेश - अन्य (गैर-व्यापार)		
पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड**	12.00	12.00
(10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 12,000,000 इक्विटी शेयर)		
(विगत वर्ष 10/-रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 12,000,000 इक्विटी शेयर)		
घ. एसईबी बांडों में निवेश $		
व्यापार* **	253.10	–
गैर-व्यापार	2,277.93	2,531.03
ङ दीर्घावधिक पेशगियां		
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	253.62	228.22
जोड़	3,769.43	3,660.87
टिप्पणी :		
उद्धृत इक्विटी शेयर/बांड		
इंडियन ओवरसीज बैंक*$		
बाजार मूल्य		
एनएसई	2.74	2.03
बीएसई	2.74	2.03
बही मूल्य	0.36	0.36
पावर ट्रेडिंग कारपोरोन ऑफ इंडिया लिमिटेड**		
बाजार मूल्य		
एनएसई	57.36	
बीएसई	57.72	
बही मूल्य	12.00	12.00
एसईबी बांड***	31-3-2005 को दर उपलब्ध नहीं हैं।	

$ डीमैट रूप में

अनुसूची-9 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(करोड़ रुपए)

			31 मार्च, 2005				31 मार्च, 2004	
वर्तमान परिसम्पत्तियां								
क. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज				154.50				335.08
ख. वस्तुसूचियां								
(प्रबंधन द्वारा यथा ली गई,मूल्यांकित तथा प्रमाणित)								
i) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे			49.86				53.42	
ii) खुले पुर्जे			0.50				0.41	
			50.36				53.83	
घटाए - प्रावधान			1.21	49.15			0.04	53.79
ग. चालू संविदागत कार्य				42.87				26.58
घ. विविध देनदार (अनारक्षित)								
i) छः माह से अधिक से देय ऋण			311.28				338.68	
ii) अन्य ऋण			217.25				245.03	
			528.53				583.71	
घटाए - प्रावधान			77.56	450.97			84.75	498.96
विविध देनदारों (अनारक्षित) के ब्यौरे								
	2004-2005	2003-2004						
i) कंसीडर्ड गुड (एनएचडीसी लिमिटेड से देय 0.78 करोड़ रूपए शामिल हैं) (विगत वर्ष 0.08 करोड़ रूपए)	450.97	498.96						
ii) संदिग्ध माने गए तथा प्रावधान किए गए	77.56	84.75						
ड. नकद एवं बैंक शेष								
i) विद्यमान नकद, अग्रदाय,चैक एवं ड्राफ्ट			184.07				110.41	
ii) अनुसूचित बैंकों में शेष								
क. चालू खाता			5.95				6.10	
ख. नकद ऋण सुविधा			17.88				5.61	
ग. जमा खाता(अल्पावधि) *			86.80				52.17	
iii) अन्यों के पास शेष								
चालू खाता भूटान बैंक, फुन्टाशेलिंग के पास			0.54				0.08	
चालू खाता डियूशचे बैंक, टोक्यो शाखा के			16.44	311.68			–	174.37
च. अन्य वर्तमान परिसंपत्तिया								
i) जमाराशियों पर उपचित ब्याज			0.88				–	
ii) अन्य			85.65				67.86	
घटाएं प्रावधान			1.33	85.20			1.21	66.65
छ. ऋण एवं अग्रिम								
i) सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम			0.86				2.07	
ii) कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित -कंसीडर्ड गुड)			39.78				38.80	
iii) कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित- कंसीडर्ड गुड)			81.57				73.30	
iv) नकद या जिंस के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम								
क. अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)								
- बैंक गारंटियों द्वारा आव्याप्त	1.90				14.71			
- अन्य	7.13				7.32			
ख. अनारक्षित (संदिग्ध समझा गया)	0.52	9.55			0.54	22.57		
घटाए - संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान		0.52	9.03			0.54	22.03	
v) अंतर निगमित ऋण अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)			–				–	
vi) अग्रिम कर जमा तथा स्रोत पर कर कटौती			133.10				70.79	
vii) अन्य वसूलनीय-		41.82					31.82	
घटाएं- प्रावधान		14.89	26.93	291.27			–	238.81
जोड़				**1,385.64**				**1,394.24**

जमा खाते (अल्पावधि) जिसमें 2.07 करोड़ रुपये शामिल हैं (पिछले वर्ष 2.07 करोड़ रुपये) वह 'ग' श्रृंखला बांडों की अदावित रिडम्पशन राशि के कारण पीएनबी कैपिटल सर्विसेज लि0 के नाम सी-श्रृंखला बाँड की प्रति देय राशि है।

क. गैर-अनुसूचित बैंकों में वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	2004-2005	2003-2004
बैंक आफ भूटान		
i) चालू खाता	0.54	0.79
डियूशचे बैंक, टोक्यो शाखा		
i) चालू खाता	105.13	–

ख. निदेशकों से देय ऋण एवं अग्रिम के ब्यौरे

	2004-2005	2003-2004
i) वर्षांत में देय राशि	0.04	0.05
ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष उन कंपनियों	0.16	0.20

द्वारा देय अग्रिम जिनमें कारपोरेशन का कोई निदेशक, उस कंपनी का निदेशक या सदस्य है, शून्य रूपए है (विगत वर्ष शून्य रूपए)

ग. सहायक कंपनी के पास वर्ष के दौरान अधिकतम शेष के ब्यौरे

	2004-2005	2003-2004
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	3.30	200

अनुसूची-10 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005			31 मार्च, 2004	
क. देयताएं						
i) विविध ऋणदाता						
क. लघु औद्योगिक उपक्रमों की कुल बकाया देयताएं (30 दिन से अधिक बकाया)	0.17			0.10		
ख. अन्य	270.64	270.81		294.09	294.19	
ii) जमा/ एजेंसी की व्यय न की गई राशि		10.21			3.46	
iii) जमाराशि/प्रतिधारण धनराशि		82.02			100.57	
iv) ऋणों पर प्रोदभूत किन्तु अदेय ब्याज		72.89			77.55	
v) परियोजना की लागत के प्रति अग्रिम		5.36			5.36	
vi) संविदा देने वालों से अग्रिम		103.72			16.83	
vii) अन्य देयताएं		107.69	652.70		363.95	861.91
ख. प्रावधान						
कराधान हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		65.84			86.31	
वर्ष के दौरान वर्धन		92.94			22.10	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		18.55			42.57	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		140.23			65.84	
प्रस्तावित लाभांश						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		60.00			25.00	
वर्ष के दौरान वर्धन		80.00			120.00	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		60.00			85.00	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		80.00			60.00	
प्रस्तावित लाभांश पर कर						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		15.38			3.20	
वर्ष के दौरान वर्धन		11.22			15.38	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		15.38			3.20	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		11.22			15.38	
सेवानिवृत्ति लाभ						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		268.45			203.08	
वर्ष के दौरान वर्धन		100.48			90.24	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		29.44			24.87	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		339.49			268.45	
परियोजना व्ययों के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1.68			–	
वर्ष के दौरान वर्धन		0.29			1.68	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		1.68			–	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		0.29			1.68	
अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		7.17			6.83	
वर्ष के दौरान वर्धन		7.36			6.93	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		7.04			6.33	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		0.13			0.26	
अंतिम शेष		7.36			7.17	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		1.80			11.01	
वर्ष के दौरान वर्धन		–			–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		–			0.04	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			9.17	
अंतिम शेष		1.80			1.80	
अन्य बाध्यताओं के कारण प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		–			0.04	
वर्ष के दौरान वर्धन		6.43			–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		–			0.04	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		6.43			–	
प्रभार समायोजन हेतु प्रावधान						
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार		–			–	
वर्ष के दौरान वर्धन		86.54			–	
वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि		–			–	
वर्ष के दौरान वापिस की गई राशि		–			–	
अंतिम शेष		86.54	673.36		–	420.32

अनुसूची-10 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
ग.	विकास अधिभार (न्यास में धारित)				
i)	विकास अधिभार - बिल में शामिल	–		175.51	
ii)	विकास अधिभार - ब्याज खाता	–		5.56	
	घटाएं - प्राप्य	–		42.22	
	घटाएं - कारपोरेट नकदी सावधि खाते में निवेशित	–		127.93	
	घटाएं - प्रोदभूत किन्तु अदेय ब्याज	–		5.56	
	घटाएं - विकास अधिभार पर वसूल किया गया कर	–		1.11	4.25
	विकास अधिभार - निवेश्य		–		
	जोड़		1,326.06		1,286.48

अनुसूची-11 विविध व्यय

(बट्टे खाते न डाला गया या समायोजित न किया गया)

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
i)	आस्थगित राजस्व व्यय		1.18		0.71
ii)	बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति की प्रतीक्षा वाली हानियां	3.47		3.75	
	घटाएं - प्रावधावित	3.47	–	3.75	–
	जोड़		1.18		0.71

अनुसूची-12 संविदा एवं परामर्शी आय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
i)	संविदा आय	–		0.59	
	जोड़ें चालू संविदा कार्य - बंद	42.87		26.58	
	घटाएं चालू संविदा कार्य -आरंभिक	26.58	16.29	10.48	16.69
ii)	परामर्शी आय		8.46		12.43
iii)	आकस्मिकताओं का पश्च लेखन		–		9.17
iv)	पश्च - लेखन आवश्यक न होने वाले प्रावधान / देयताएं		0.83		–
	जोड़		25.58		38.29

अनुसूची-13 अन्य आय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
i)	सावधि जमा से आय	2.70	5.01
ii)	ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज	1.59	1.53
iii)	लाभांश आय (सकल)	2.26	0.10
iv)	गारंटी शुल्क	3.31	5.19
v)	अधिभार	2.80	104.60
vi)	परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	3.05	1.53
vii)	पश्च लेखन आवश्यक न होने वाले प्रावधान/देयताएं	102.84	12.69
viii)	स्क्रैप से आय	0.58	0.44
ix)	निगमित ऋण पर ब्याज	-	10.97
x)	सार्वजनिक जमा खाते पर ब्याज	4.81	-
xi)	अन्य विविध आय	4.34	4.16
	जोड़	128.28	146.22

अनुसूची-14 उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
i)	भण्डारों एवं कलपुर्जों की खपत		6.98		2.67
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
	क) भवन	7.72		4.90	
	ख) मशीनरी	21.30		18.47	
	ग) अन्य	14.57	43.59	11.69	35.06
iii)	विविध प्रचालनात्मक व्यय		2.23		3.40
iv)	किराया		0.71		0.49
v)	दरें और कर		0.23		0.66
vi)	बीमा		0.25		0.27
vii)	आकस्मिकताओं के लिए स्वःबीमा		48.80		42.79
viii)	आरक्षित व्यय		18.07		16.17
ix)	विद्युत प्रभार		5.19		5.00
x)	यात्रा एवं संवहन		3.06		2.49
xi)	स्टाफ कार पर व्यय		2.70		2.25
xii)	टेलीफोन,टैलेक्स एवं डाक टिकटें		1.50		1.23
xiii)	विज्ञापन एवं प्रचार		0.67		0.43
xiv)	दान		1.00		0.02
xv)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		0.74		0.52
xvi)	कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय		15.76		13.93
xvii)	निगम के स्वामित्व में न होने वाली भूमि पर व्यय		0.04		–
xviii)	बट्टे खाते डाले गए परियोजना व्यय		–		2.75
xix)	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		5.88		8.21
xx)	बट्टे खाते डाले गए आस्थगित राजस्व व्यय		0.76		0.76
xxi)	मनोरंजन		0.04		0.02
xxii)	मध्यस्थता प्रभारों पर ब्याज		0.22		0.30
xxiii)	अन्य सामान्य व्यय		4.23		2.78
xxiv)	विनिमय दर अंतर		0.32		0.65
	जोड़		**162.97**		**142.85**

अनुसूची-15 कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
i)	वेतन, मजदूरी और भत्ते	134.84	111.73
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	30.32	22.56
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	30.36	18.70
	जोड़	**195.52**	**152.99**

अनुसूची-16 ब्याज एवं वित्त प्रभार

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
i)	ऋणों पर ब्याज				
	क) बांड	55.94		68.15	
	ख) विदेशी ऋण	36.51		9.20	
	ग) सावधि ऋण	190.21	282.66	212.41	289.76
ii)	नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज		5.05		22.47
iii)	बांड व्यय		0.77		0.92
iv)	ग्राहकों को छूट		30.05		26.60
v)	विदेशी ऋणों पर गारंटी शुल्क		10.04		6.23
vi)	वचनबद्धता शुल्क		0.29		0.39
vii)	अन्य वित्त प्रभार		0.19		0.80
	जोड़		**329.05**		**347.17**

अनुसूची - 17 प्रावधान

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005	31 मार्च, 2004
i)	संदेहास्पद ऋण	0.25	28.28
ii)	संदेहास्पद दावे तथा अग्रिम	14.91	–
iii)	वस्तुसूची में कमी	0.01	–
iv)	वस्तुसूची में अप्रचलन	1.22	0.04
v)	अन्य	6.39	1.68
	जोड़	**22.78**	**30.00**

अनुसूची-18 संविदा एवं परामर्शी व्यय

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
क.	प्रत्यक्ष व्यय (श्रम, सामग्री, परिसम्पत्तियां तथा संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान शामिल है)		10.07		18.68
ख.	कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ				
i)	वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ	7.12		5.22	
ii)	उपदान तथा भविष्य निधि में अंशदान	0.54		0.32	
iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	0.64	8.30	0.19	5.73
ग.	मरम्मत तथा अनुरक्षण				
i)	भवन	0.06		0.08	
ii)	मशीनरी तथा निर्माण उपस्कर	0.12		0.01	
iii)	अन्य	0.41	0.59	0.33	0.42
ध.	प्रशासन एवं अन्य व्यय				
i)	किराया	0.31		0.14	
ii)	यात्रा एवं वाहन	1.08		0.72	
iii)	स्टाफ कारों एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय	0.40		0.27	
iv)	बीमा	0.01		0.01	
v)	टेलीफोन,टेलेक्स एवं डाक टिकटें	0.06		0.10	
vi)	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	0.22		0.23	
vii)	निगम कार्यालय प्रबंधन व्यय	0.63		1.04	
viii)	अन्य व्यय	0.38	3.09	0.12	2.63
ड.	मूल्यह्रास		0.16		0.25
	कुल व्यय		**22.21**		**27.71**
	घटाएं - प्राप्तियां तथा वसूलियां				
i)	विविध	1.06		0.60	
ii)	प्रावधान/देयताएं पश्च लेखन आवश्यक नहीं होने वाले	–	1.06	0.36	0.96
	वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय		**21.15**		**26.75**

अनुसूची-19 पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)

(करोड़ रुपए)

		31 मार्च, 2005		31 मार्च, 2004	
क.	आय				
i)	विद्युत की बिक्री		–		0.03
ii)	अन्य		0.19		1.44
			0.19		1.47
ख.	व्यय				
i)	वेतन तथा मजदूरी	0.05		0.02	
ii)	मरम्मत तथा अनुरक्षण	0.03		0.26	
iii)	ब्याज	2.28		–	
iv)	अन्य	(0.01)		0.67	
v)	मूल्यह्रास	3.19	5.54	(1.66)	(0.71)
	जोड़		**5.35**		**(2.18)**

अनुसूची-20 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परम्पराएं

1.1 निगम के लेखे लेखाकरण के संभूति विधि का प्रयोग करते हुए पारम्परिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किए जाते हैं, कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर किए गए व्यय को छोड़कर, जिसे उपयोग किए गए वर्ष में माना जाता है।

1.2 ग्राहकों से प्रभारित ब्याज/अधिभार को प्राप्ति पर अथवा जब संग्रहण की युक्तिसंगत निश्चितता हो, आय माना जाता है।

2. नियत परिसम्पत्तियां

2.1 नियत परिसम्पत्तियों का कथन अर्जन/निर्माण आधार पर किया जाता है। जिन मामलों में संविदाकारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, किन्तु परिसंपत्ति पूर्ण तथा प्रयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनुमानित आधार पर किया जाता है, जिसमें मध्यस्थता/अदालती मामलों के निपटान से प्रत्युत्पन्न समायोजन शामिल है।

2.2 निगम के स्वामित्वरहित भूमि पर सृजित नियत परिसम्पत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

2.3 भूमि से संबंधित क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत माना जाता है।

2.4 राज्य सरकार से प्रयोग के लिए ली गई भूमि (हकदारिता के अंतरण के बिना) तथा भू-विस्थापितों हेतु राहत एवं पुनर्वास अथवा आप्लावन के अधीन आने वाली विद्यमान सुविधाओं के एवज़ में वैकल्पिक सुविधाओं के सृजन पर हुआ व्यय तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का सृजन परियोजना के प्रयोजनार्थ भूमि के अधिग्रहण के लिए एक विशिष्ट पूर्व शर्त है, उपगत व्यय भूमि-अवर्गीकृत के रूप में लेखे में लिया जाता है जिसे परियोजना की उपयोगी अवधि,जो परियोजना के वाणिज्यिक प्रारम्भ की तिथि से 35 वर्ष मानी गई है, में परिशोधित किया जाएगा।

2.5 सहायतानुदान/अभिकरण या जमा आधार पर परियोजनाओं में अधिप्राप्त/सृजित परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि स्वामित्व कारपोरेशन में विहित नहीं है।

2.6 अधिशेष घोषित निर्माण उपकरणों का मूल्य, बही मूल्य तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कल पुर्जे

3.1 उत्पादन इकाईयों,पावर स्टेशन एवं स्विचयार्ड आदि के लिए मशीनरी के कल पुर्जे, जो उपस्करों के साथ या उसके बाद अधिप्राप्त किए गए तथा जिनका उपयोग अनियमित माना जाता है, को पूंजीकृत किया जाता है और सम्बद्ध प्लांट एवं मशीनरी की शेष उपयोगिता अवधि के दौरान उसका पूर्णतः मूल्यह्रास किया जाता है। अन्य अतिरिक्त पुर्जों को ''स्टोर्स तथा स्पेयर्स'' माना जाता है जो वस्तु सूची में शामिल थे तथा जारी करते समय उन्हें खर्च में दर्ज किया गया हो।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 संचालनाधीन परियोजनाओं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत आधार पर लिया जाता है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में, निर्माण के दौरान प्रयुक्त नियत परिसंपित्तयों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा आरोप्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के भाग के रूप में लिया जाता है जिसका आबंटन परियोजना के संचालन पर भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं को छोड़कर वृहत् अचल परियोजना परिसम्पत्तियों को किया जाना है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य जन-सुविधाओं के अनुरक्षण,उन्नयन इत्यादि पर हुए व्यय को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय में प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

5.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ अधिसूचित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। उन परिसम्पत्तियों के मामले में, जहां सीईआरसी के विनियमों द्वारा दरें अधिसूचित नहीं की गई हैं, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित दरों पर सीधी पद्धति आधार पर मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है, सिवाए कम्प्यूटरों और सम्बद्ध सामग्री के, जहां कंपनी द्वारा यथा-आंकलित दरों को अपनाया गया है।

5.2 मूल्यह्रास का प्रावधान उस वर्ष में आनुपातिक आधार पर किया जाता है, जिस वर्ष में परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

5.3 वर्ष के प्रारंभ में 5,000/- रूपए या उससे कम परन्तु 750/- रुपये से अधिक कीमत की परिसंपत्ति तथा ऐसी मदों (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर),जिनका लिखित मूल्य 5,000/-रूपए या उससे कम है, का वर्ष के दौरान 1/- रुपया शेष मूल्य रखकर पूरी तरह मूल्यह्रास किया जाता है।

5.4 कम मूल्य वाली मदें जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) और जिनका मूल्य 750/- रुपये तक होता है को पूंजीभद्ध नहीं किया जाता और राजस्व पर प्रभारित किया जाता है।

5.5 साफ्टवेयर पर व्यय को 'अमूर्त परिसंपत्तियां' माना जाता है जिनका परिशोधन तीन वर्षों में किया जाता है।

5.6 वर्ष के दौरान विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण दीर्घकालिक देयताओं में वृद्धि/कमी होने से जहां मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों की लागत में परिवर्तन होता है, वहां ऐसी अपरिशोधित शेष परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास की दर के आधार पर मूल्यह्रास व्यवस्था परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी काल के लिए प्रत्याशित रूप से की जाती है।

6. निवेश

निवेश दीर्घ अवधि के लिए होते हैं और ये लागत पर आधारित होते हैं।

7. वस्तु सूचियां

7.1 (क) अधिशेष निर्माण उपस्करों के स्क्रैप एवं अतिरिक्त पुर्जों के अलावा भंडारों तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत आधार पर किया जाता है।

(ख) स्क्रैप का मूल्य निर्धारण शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपस्करों के लिए अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यनिर्धारण लागत से कम तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा पर पहचान किए गए ठीक न हो सकने योग्य और अप्रचलित भण्डार तथा कलपुर्जों के प्रति हानि का प्रावधान लेखें में किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान निर्गत खुले औजारों को खपत लेखे में प्रभारित किया जाता है जहां पृथक मदों की लागत 5,000/-रूपए या इससे कम है तथा अन्य मामलों में 5 वर्षीय समान किस्तों में बट्टे खाते डाल दिया जाता है।

7.4 पावर स्टेशनों में प्रचालन तथा अनुरक्षण के लिए निर्गत परन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर प्रयोग न किए गए भंडारों का मूल्यांकन इंजीनियरिंग अनुमानों के आधार पर किया जाता है तथा उन्हें भंडारों के रूप में माना जाता है।

8. विविध व्यय

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के पश्चात पांच वर्षों की अवधि के बाद परियोजना के विविध व्यय को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव

9.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन को उसी तिथि को प्रवृत्त विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में वर्गित मौद्रिक मदों को लेखाकरण वर्ष के अंतिम दिन प्रवृत्त विनिमय दर पर रूपांतरित किया जाता है।

9.2 नियत परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न विनियम अंतर को संबंधित अचल संपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य के वर्तमान मूल्य में समायोजित किया जाता है।

9.3 भारत से बाहर प्राप्त की गई नियत परिसंपत्तियों/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में 1.4.2004 से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न विनियम अंतर को संबंधित अचल संपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य के वर्तमान मूल्य में समायोजित किया जाता है।

9.4 अन्य विनियम अंतरों की पहचान जिस अवधि में वे हुए हैं उस अवधि हेतु आय तथा व्यय के रूप में की जाती है और ये प्रचालनात्मक स्टेशनों के मामले में लाभ तथा हानि लेखे और निर्माणाधीन परियोजनाओं के मामले में आईईडीसी में दर्शाये जाते हैं।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान,अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

11. राजस्व

11.1 (क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता,बिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है। विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदाय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे वे महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में बिक्री में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

11.2 लागत जमा/डिपॉजिट/टर्नकी आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व को समापन विधि की प्रतिशतता पर निम्न प्रकार से मान्य किया जाता है :

कार्य की प्रगति	राजस्व मान्यता
(क) 66.67 प्रतिशत तक	शून्य
(ख) 66.67 से अधिक 90 प्रतिशत तक	80 प्रतिशत
(ग) 90 प्रतिशत से अधिक	100 प्रतिशत

संविदाओं में प्रत्याशित सहित हानियों को तत्काल मान्य किया जाता है। ऐसे मामलों में तथा यथावश्यक समझी जाने वाली सीमा तक देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किन्ही दावों के लिए आकस्मिकता हेतु व्यवस्था की जाती है।

11.3 परियोजना प्रबंधन/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व को करार की शर्तों तथा संविदा के अन्तर्गत किए गए कार्य की प्रमात्रा के आधार पर मान्य किया जाता है।

11.4 निवेशों पर ब्याज की गणना संभूति आधार पर की जाती है।

12. निगम मुख्यालय के व्ययों का आवंटन

निगम मुख्यालय के व्ययों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है -

(क) पावर स्टेशन पर कर तथा शुल्कों को निकाल कर वर्ष में ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को प्रदान किए गए तथा उसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान उपगत परियोजना व्यय के 5 प्रतिशत की दर से।

(ग) शेष व्यय का आवंटन निर्माण परियोजनाओं को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजीगत व्यय के अनुपात में किया जाता है।

13. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर " आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा " के तौर पर माना जाता है जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं हेतु परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है।

14. विविध

14.1 पारगमन में वस्तुओं/निष्पादित पूंजीगत कार्यों,किन्तु जो प्रमाणित नहीं हैं, के लिए देयताओं की व्यवस्था निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति के लंबित होने तक नहीं की जाती है।

14.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं को पावर स्टेशनों से आपूरित विद्युत पर सामान्य टैरिफ के अनुसार प्रभार लगाया जाता है।

14.3 50,000/-रूपए तथा उससे कम राशि को मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्यय/आय को सामान्य लेखाशीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

14.4 बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

15. उधार लागत

निर्माण/नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के दौरान नियत परिसम्पत्तियों के लिए उधार लेने की लागतों को पूंजीकृत किया जाता है। उधार लेने की अन्य लागतों को उनके उपगत किए जाने की अवधि में व्यय के रूप में माना जाता है।

16. आय पर कर

चालू अवधि के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम,1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य वर्तमान कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

अनुसूची-21 लेखों पर टिप्पणियां

1. क) निम्नलिखित के अनुसार आकस्मिक देयताएं

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1.4.2004 को आदि शेष	31.3.2005 को अंत शेष
कंपनी के विरूद्ध दावे जिन्हें निम्न के संबंध में ऋण नहीं स्वीकार किया गया है -		
- पूंजीगत कार्य	494.32	904.23
- भूमि मुआवजा मामले	6.27	50.80
- अन्य	225.13	114.68
विवादित आय कर मांग	20.76	18.60
विवादित उत्पाद शुल्क मांग	0.15	0.15
विवादित बिक्री कर मांग	201.94	2090.72
अन्य (इसमें 15.64 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 15.74 करोड़ रुपये) के बांड शामिल हैं जिन्हें निगम द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पक्ष में निष्पादित किया गया था)	60.27	51.91
कुल	**1008.84**	**3231.09**

ख) मैसर्स काजीमा-देवू जेवी जो कि धौलीगंगा परियोजना का एक संविदाकर्ता है ने विलंब तथा रूकावट और तीव्रता उपायों के अंगीकरण हेतु मुआवजे का दावा किया है। चूंकि विवाद को समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों का प्रबंधन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, दावा की गई राशि एक आकस्मिक देयता बनी हुई है।

ग) उक्त आकस्मिक देयताओं में सेवा मामलों तथा अन्य के संबंध में लंबित मामलो के कारण आकस्मिक देयताएं शामिल नहीं हैं जहाँ राशि की गणना नहीं की जा सकती है।

घ) किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं और किसी प्रतिपूर्ति की संभावना, सिवाय 0.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त, को प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है।

2. पूंजी लेखे पर निष्पादित होने वाली संविदा संबंधी शेष अनुमानित राशि तथा जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है, 6183.37 करोड़ रूपए बनती है (पिछले वर्ष 5022.39 करोड़ रूपए)।

3. (क) विद्युत मंत्रालय तथा एनसीईएस के दिनांक 9.2.1989 तथा 12.7.1991 के पत्र संख्या 4/1/78-डीओ(एनएचपीसी) के अनुसार सलाल पावर स्टेशन (चरण-I) नवम्बर, 1987 से निगम को हस्तांतरित कर दिया था। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने और कानूनी मत के आधार पर इस परियोजना की परिसंपत्तियां व देयताएं निगम के लेखों में उन्हीं नियमों व शर्तों पर निगमित की गई हैं जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के संबंध में पालन किया गया था। तद्नुसार 331.60 करोड़ रुपए (जिसमें 297.60 करोड़ रुपए अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत के तथा 34.00 करोड़ रूपए निर्माण के दौरान ब्याज के 50 प्रतिशत के हैं) की राशि को भारत सरकार से निवेश के तौर पर तथा इक्विटी में समायोजन के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर गणना की गई है।

(ख) भारत सरकार से स्वीकृति लम्बित होने के कारण निर्माण के दौरान भारत सरकार ऋण पर उपार्जित 17.16 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 94.25 करोड़ रूपए) की राशि के उपचित ब्याज के प्रथम 50 प्रतिशत हिस्से को टनकपुर पावर स्टेशन (8.83 करोड़ रुपये) तथा चमेरा-I पावर स्टेशन (8.33 करोड़ रुपये) के लिए भारत सरकार की निधि के तौर पर पूंजीकृत किया गया, जिसे भारत सरकार की इक्विटी के तौर पर समंजनीय दर्शाया गया है। आगामी समायोजन, यदि कोई होंगे, भारत सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति पर किए जाएंगे।

4. (क) 2728 हेक्टेयर (पिछले वर्ष 4280 हेक्टेयर) क्षेत्र में, 32.48 करोड़ रुपए की राशि की (विगत वर्ष 29.74 करोड़ रुपए) कुछ परियोजनाओं/यूनिटों की भूमि के संबंध में टाइटल डीड/टाइटल को अभी निष्पादित/पारित किया जाना है। उनके पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी आदि पर व्यय को, जब व जैसे खर्च होगा, लेखे में दर्ज किया जाएगा।

(ख) जम्मू व कश्मीर की कुछ यूनिटों में लीज़ डीड का निष्पादन लंबित होने के कारण लीज़ की अवधि 99 वर्ष रखी गई है, सिवाए जम्मू की भूमि के जहां यह 30 अथवा 40 वर्ष रखी गई है, जैसा भी मामला हो, तदनुसार परिशोधित की गई है।

(ग) भूमि में एसएसबी से 1/- रुपये प्रति वर्ष के नामितिक किराए पर 99 वर्ष की अवधि हेतु ली गई भूमि शामिल नहीं है।

5. (क) बिक्री में 10.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 21.51 करोड़ रूपए) का ऐसा प्रभार शामिल है जिसको अभी ईआरवी तथा आयकर हेतु लाभार्थियों के बिल में डाला जाना है।

(ख) चमेरा-II विद्युत केन्द्र के संबंध में बिक्री को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित अनंतिम टैरिफ के आधार पर हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तन सहित समायोजन उक्त आयोग द्वारा अंतिम टैरिफ का निर्धारण किए जाने पर किए जाएंगे। इसी प्रकार चमेरा-I के संबंध में वर्ष 2004-05 हेतु मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम को वापस लिए जाने से संबंधित समायोजन को 2004-09 की अवधि हेतु प्रभार के निर्धारण पर किया जाएगा।

(ग) 2004-09 की अवधि हेतु प्रभार का निर्धारण लंबित होने के कारण बिलों को सीईआरसी आदेश संख्या एल-7/25(7)/2004-विधिक दिनांक 1.10.2004 जिसे दिनांक 14.3.2005 के सीईआरसी आदेश के साथ पढ़ा जाता है, की शर्तो के अनुसार वसूल किया गया है। तथापि, प्रभार में कमी के लिए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम सहित 86.54 करोड़ रुपये का समुचित प्रावधान किया गया है।

(घ) याचिका संख्या 196/2004 में सीईआरसी के निदेशों के अनुसार 2001-02 से 2003-04 की अवधि हेतु वास्तविक वृद्धि कारक के आधार पर ओ एण्ड एम प्रभारों के संशोधन के कारण 46 करोड़ रुपये के समायोजन को भी वर्तमान वर्ष में किया गया है।

6. (क) संविदाकर्ताओं को जारी सामग्री के अन्तर्गत दर्शायी गई शेष राशि, वसूली योग्य दावे, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, फुटकर कर्जदार, संविदाकर्ताओ को अग्रिम फुटकर ऋणदाताओं और संविदाकर्ताओं की जमा/पेशगी राशि, समाधान/पुष्टिकरण तथा संबंधित परिणामी समायोजनों के अधीन हैं।

(ख) संविदाकर्ताओं को निर्गत सामग्री, संविदाकर्ताओं को अग्रिम, वसूली योग्य किराया प्रभार, अग्रिमों पर उपचित ब्याज तथा संविदाकारों/अन्यों से वसूलनीय दावों में शामिल क्रमशः 2.76 करोड़ रुपए, 2.71 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 0.44 करोड़ रुपए और 2.06 करोड़ रूपए की राशि, जो चमेरा-I एवं सलाल पावर स्टेशनों से संबंधित है, दावों के निपटान के बाद समायोजन के अधीन हैं। प्रबंधन की राय में इस समय उपर्युक्त के लिए किसी भी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रबंधन की राय में व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वसूली के बाद चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य तुलनपत्र में दर्शाए गए मूल्य से कम नहीं होगा। तथापि, अभ्यपूर्ण मूल्य की अनुपस्थिति में उपदान निधि को एलआईसी द्वारा प्रमाणित मूल्य पर जारी रखा जा रहा है।

(घ) वसूली योग्य दावों में जेएंडके पीडीसी से भारत सरकार के आदेशानुसार उनको सौंपी गई बगलिहार परियोजना के लिए देय 16.65 करोड़ रूपए शामिल हैं। सावलकोट परियोजना के संबंध में परियोजना को अंतिम रूप से सौंपे जाने का काम लंबित रहने के कारण कुल 5.01 करोड़ रूपए का पूंजीगत व्यय निगम की परिसंपत्तियों के भाग के रूप में बना हुआ है जबकि इस परियोजना के लिए जेएंडके पीडीसी से प्राप्त 5.36 करोड़ रूपए का तदर्थ अग्रिम "वर्तमान देयता राशि" के अन्तर्गत दर्शाया गया है और लेखा के अंतिम परिशोधन के उपरांत इसको समायोजित किया जाएगा।

7. (क) भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सियांग (13600 मेगावाट) और सुबानसिरी (5600 मेगावाट) परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र बोर्ड से निगम को हस्तांतरित कर दी गई है। हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लेखे का परिशोधन कार्य लंबित होने के कारण इन परियोजनाओं की परिसपंत्तियों और देयता राशि को निगम द्वारा उपगत राशि की सीमा तक दर्ज किया गया।

(ख) भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में निगम में जेएंडके पीडीसी से उड़ी-II, किशनगंगा, पक्लदुल, सेवा-II बरसर, निम्मो-बाजगो, चुटक परियोजनाएं अधिगृहीत कर ली हैं जिनके लिए जेएंडके पीडीसी ने 84.89 करोड़ रुपए की मांग रखी है। परियोजनाओं को अधिगृहीत कर लेने के बाद हुए व्यय के अतिरिक्त निगम ने सेवा-II परियोजना के लिए 33.66 करोड़ रूपए का कुल व्यय दर्ज किया है जबकि हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों की जांच और जेएंडके पीडीसी लेखा के समाधान के आधार पर उक्त परियोजना के लिए 41.45 करोड़ रुपए का दावा किया गया था। 33.66 करोड़ रुपये में से 26 करोड़ रुपये निस्तारित किए जा चुके हैं। जेएंडके पीडीसी द्वारा मांगे गए शेष व्यय को उनके द्वारा प्रस्तुत मदों और लेखा के अंतिम समाधान के उपरांत दर्ज किया जाएगा।

(ग) एनएचपीसी द्वारा 1 नवम्बर, 2003 को उत्तरांचल सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुपालन में लखवार व्यासी परियोजना को एनएचपीसी को सौंप दिया गया था। एनएचपीसी को दिए जाने से पूर्व उत्तरांचल सरकार द्वारा इस पर व्यय की गई 246.86 करोड़ रुपये की राशि को लेखाबहियों में समाहित नहीं किया गया है। क्योंकि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु क्रियान्वयन समझौते पर उत्तरांचल सरकार के साथ हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

(घ) कांमबांग लघु जल विद्युत परियोजना के संबंध में 25.3.2005 को अचानक बाढ़ के कारण इन्टेक चैनल, बाइ पास चैनल तथा गाद हटाने वाला टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था जिससे परियोजना के चालू होने में विलंभ हो सकता है। 0.46 करोड़ रुपये की अनुमानित हानि हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी राशियों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

8. कोयलकारो परियोजना, लोकतक डाउन स्ट्रीम परियोजना तथा बाव-I परियोजना का निष्पादन भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार से निर्णय की प्राप्ति लंबित होने के कारण 31.3.2005 तक इन परियोजनाओं में व्यय किये गये क्रमशः 76.91 करोड़ रुपये, 26.58 करोड़ रुपये तथा 0.52 करोड़ रुपये चालू पूंजी में लगे हुए हैं।

9. कंपनी ने 534.70 करोड़ जेपीवाई के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में देय तिथियों को अर्थात 9 जनवरी तथा 9 जुलाई को ब्याज भुगतान तथा साथ ही 5 वर्षों के अंत में मूलधन की संभावित अदायगी के लिए भी सुरक्षात्मक करार किए हैं। इसी प्रकार, केवल ब्याज भुगतान को कवर करने वाले एम श्रेणी के 430 करोड़ रुपये के बांड इश्यू के संबंध में भी ऐसा ही करार किया गया है। भारत में किसी विशिष्ट लेखाकरण मानक के अबाव में तथा 'तुलनपत्र से परे मद' होने के कारण तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं समझी गई है। करार से प्रत्युत्पन्न लाभ या हानि का लेखाकरण देय तिथियों को निपटान पर किया जाएगा।

10. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की वैधता को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कायम रखे जाने के कारण, बकाया राशियों का विस्तृत आंकलन कुछ परियोजनाओं / इकाइयों के संबंध में लंबित है और इसे किया जा रहा है। तथापि, इस संबंध में कोई देयता एनएचपीसी की नहीं होगी क्योंकि सम्पूर्ण अंशदान पहले ही कर्मचारी भविष्य निधि खातों में सम्प्रेषित कर दिया गया है।

11. भारत सरकार का अनुमोदन लंबित होने के कारण कार्यपालक अधिकारियों के लिए आईडीए पैटर्न पर संशोधित वेतन ढांचा हेतु कोई प्रावधान लेखाबही में नहीं किया गया है।

12. (क) वर्ष के दौरान विदेशी विनिमय में हुए उतार-चढ़ाव का प्रभाव इस प्रकार है :-

(करोड़ रूपए)

		2004-05	2003-04
i)	मूल्यह्रास को छोड़कर लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित राशि	0.32	0.65
ii)	निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय पर प्रभारित राशि	(-) 12.82	6.11
iii)	चल रहे पूंजीगत कार्य पर प्रभारित राशि	4.01	80.72
iv)	नियत परिसंपत्तियों की वहन राशि में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	38.84	(-) 22.98
v)	मौद्रिक परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी करके समायोजित की गई राशि	(-)0.39	-

(ख) इस वर्ष के दौरान 'निर्माण के समय आनुषंगिक व्यय' में अंतरित की गई ऋण लागत की राशि 186.79 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 288.82 करोड़ रुपए) है।

13. (क) विद्युत उत्पादन करना निगम का मुख्य कार्य है। अन्य कार्य अर्थात संविदा कार्य, ब्याज आय एवं परामर्शी सेवाएं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी खंड रिपोर्टिंग संबंधी लेखाकरण मानक-17 के अनुसार सूचित किए जाने योग्य खंड के तहत नहीं आती है।

(ख) निगम के पावर स्टेशन देश के भीतर स्थित हैं और इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते हैं।

(ग) निगम द्वारा अर्जित 'ब्याज' आय आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिए उनके द्वारा देय ऋणों के परिसमापन में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा निगम को जारी किए गए बांड/ दीर्घावधिक अग्रिमों के संबंध में है और यह उत्पादन संबंधी कार्यकलाप के लिए है। इसी प्रकार, लाभानुभोगी राज्यों से प्राप्त विलंबित भुगतान अधिभार उत्पादन गतिविधि को आरोप्य है।

14. चूंकि सी एण्ड एजी द्वारा उल्लिखित मूल्यह्रास प्रभारित करने के मुद्दे पर भारत सरकार से अभी तक कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं इसलिए नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रभार की वसूली के उद्देश्य से लागू दरों पर प्रभारित किया जा रहा है क्योंकि मूल्यह्रास दरें विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। जहां तक लाभ एवं हानि लेखा का संबंध है, वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार कंपनी अधिनियम,1956 में निर्धारित दरों की तुलना में 199.61 करोड़ रूपए कम है।

15. लेखांकन नीतियों के कारण वर्ष हेतु लेखे पर प्रभाव निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये)

नीति	वर्ष के लाभ पर प्रभाव
एलटीसी पर व्यय को लेखे में लेने के संबंध में लिए गए वर्ष में लेखांकन नीति संख्या 1.1 में संशोधन।	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया परिवर्तित होकर नीति हो गई
मशीनरी कलपुर्जे से संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में मशीनरी के कलपुर्जे की लागत के 90 प्रतिशत तक के बजाए पूर्णतः मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति 3.1 में संशोधन।	लाभ में 0.78 करोड़ रूपये की कमी
परिसंपत्ति की प्रकृति वाले कम मूल्य की मदों (750/- रुपये तक) को सीधे लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित करना; और 750/- रुपये से अधिक अथवा उसके समान परन्तु 5,000/- रुपये से कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में 100 प्रतिशत के बजाय मूल्यह्रास 1/- रुपये की दर से प्रभारित करने के संबंध में लेखांकन नीति संख्या 5.3 तथा 5.4 में परिवर्तन	कोई अंतर नहीं
ठीक न किए जा सकने योग्य तथा अप्रचलित भण्डार तथा कलपुर्जों के प्रति हानि पर लेखांकन नीति संख्या 7.2	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया परिवर्तित होकर नीति हो गई
एएस 11 (संशोधित) 1994, एएस 11 (संशोधित) 2003 और कंपनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के मद्देनजर विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव पर लेखांकन नीति सं.9 में संशोधन	शून्य
वसूली की निश्चित्ता के आधार पर बीमा दावे को खाते में शामिल करने के संबंध में नीति संख्या 14.4	कोई प्रभाव नहीं क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया परिवर्तित होकर नीति हो गई

लेखांकन नीति संख्या 5.3, 5.4, 7.2 तथा 3.1 में परिवर्तन के कारण परिसंपत्ति तथा देयताओं पर प्रभाव कुछ नहीं है।

16. चूंकि भारत सरकार ने अवधि और उस प्रयोज्य दर, जिस पर कंपनी अधिनियम की धारा 441ए के अन्तर्गत बिक्री पर उपकर देय है, को निर्दिष्ट करते हुए समुचित अधिसूचना जारी नहीं की है इसलिए निगम ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है।

17. (क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी ''आय पर कर का लेखाकरण'' संबंधी लेखा मानक-22 के अनुपालन में 34.32 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 85.73 करोड़ रूपए) की आस्थगित कर देयता का प्रावधान चालू वर्ष के दौरान किया गया है। संचयी आस्थगित कर देयता का मदवार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रूपए)

		31.03.2005	31.03.2004
	आस्थगित कर देयता		
i)	मूल्यह्रास	1901.03	1853.57
	घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
ii)	संचित असमाहित मूल्यह्रास	173.81	170.81
iii)	कर की गणना में आय समझे जाने वाले मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	129.95	138.50
iv)	संदिग्ध ऋणों, बीमा, आकस्मिक खर्च और प्रोत्साहन (बांड) हेतु प्रावधान	136.89	123.50
v)	कर्मचारी लाभ योजना हेतु प्रावधान	46.90	41.60
	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	**1413.48**	**1379.16**

18. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण संबंधी लेखा मानक-18 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :-

(क) पूर्णकालिक निदेशक :

श्री ए.के. गंगोपाध्याय	निदेशक (तकनीकी) के अतिरिक्त प्रभार के साथ निदेशक (परियोजनाएं) और 1.5.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री एस. के. गर्ग	निदेशक (वित्त)
श्री एस. के. चतुर्वेदी	निदेशक (कार्मिक) (8.10.2004 को कार्यभार ग्रहण किया)
श्री योगेन्द्र प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.4.2005 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए)
श्री आर.के. शर्मा	निदेशक (तकनीकी) (21.10.2004 तक)

(ख) संबंध

संयुक्त उद्यम कंपनियां	शून्य

(ग) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में संबंधित पार्टियों के साथ किए गए कारोबार का ब्यौरा

(i)	उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	शून्य
(ii)	उपर्युक्त मद (ख) में उल्लिखित पार्टियों से संबंधित ब्यौरे	लागू नहीं

19. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर अर्जन (आधारभूत तथा कम किया गया) की गणना हेतु विचार किए गए तत्व निम्नानुसार हैं -

		वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
गणक के तौर पर उपयोग किया गया कर पश्चात शुद्ध लाभ (करोड़ रु)		684.58	621.38
अंकित मूल्य (डिनॉमीनेटर) के रूप में उपयोग की गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	– आधारभूत	88816419	73310061
	– कम किया गया	92304045	77568587
प्रति शेयर अर्जन (रुपये)	– आधारभूत	77.08	84.76
	– कम किया गया	74.17	80.11
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रुपये)		1000	1000

20. परामर्शदाता द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर प्रबंधन का यह मत है कि भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए परिसंपत्तियों के हानिकरण पर लेखांकन मानक के प्रावधानों के अंतर्गत हानिकरण का कोई मामला विद्यमान नहीं है।

21. क) निदेशकों को भुगतान किए गए/देय पारिश्रमिक

(करोड़ रूपए)

		2004-05	2003-04
(i)	वेतन एवं भत्ते	0.34	0.33
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	0.03	0.03
(iii)	रिहायशी आवास के लिए किराया	0.07	0.10
(iv)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.02	0.03
(v)	सिटिंग शुल्क	–	–

(ख) पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यालय संबंधी यात्रा के लिए और भुगतान पर 1000 कि.मी. तक निजी यात्रा के लिए कंपनी के कार का उपयोग करने की अनुमति भी थी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

	अवातानुकूलित कार	वातानुकूलित कार
16 एचपी तक	325 रूपए प्रति महीना	520 रूपए प्रति महीना
16 एचपी से अधिक	490 रूपए प्रति महीना	780 रूपए प्रति महीना

22. सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक

(करोड़ रूपए)

	2004-05	2003-04
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	0.13	0.13
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.04	0.04
लेखापरीक्षा व्यय	0.22	0.24
अन्य मामले	0.06	0.03

23. उत्पादन की गई और बेची गई ऊर्जा से संबंधित परिमाणात्मक ब्यौरे :

	2004-05	2003-04
(i) लाइसेंस प्राप्त क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	2449.20	2,449.20
(iii) वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिटों में)*	11286.43	11045.52
(iv) वास्तविक बिक्री (मिलियन यूनिटों में)**	9758.62	9488.74

* अस्थिर विद्युत सहित

** गृह राज्यों को निःशुल्क विद्युत छोड़कर

24.

(करोड़ रूपए)

		2004-05	2003-04
क)*	सीआईएफ आधार पर आयातित संयंत्र,मशीनरी और कल-पुर्जो का मूल्य	20.22	102.76
ख)*	विदेशी मुद्रा में व्यय		
	i) जानकारी	0.28	0.63
	ii) ब्याज	116.75	111.44
	iii) अन्य विविध मदें	311.37	254.39
ग)*	प्रचालनात्मक यूनिटों में उपयोग में आए कल-पुर्जो एवं घटकों का मूल्य		
	i) आयातित	5.38 (77%)	0.07 (3%)
	ii) स्वदेशी	1.60 (23%)	2.60 (97%)
घ)**	विदेशी मुद्रा में आय		
	i) ब्याज	–	–
	ii) अन्य	–	0.04

* संभूति आधार

** नकद आधार

25. नकद एवं बैंक अधिशेषों में दिनांक 31.03.2005 के स्वीकृति आदेश सं0 11/25/2004 के तहत इक्विटी के संबंध में विद्युत मंत्रालय से हाथ में प्राप्त 158.89 करोड़ रुपए की चैक राशि शामिल है।

26. पिछले वर्ष के आंकड़ों को यथावश्यक पुनःसमूहबद्ध/पुनःव्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

विजय गुप्ता	एस. के. गर्ग	ए.के.गंगोपाध्याय
सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 मई, 2005

तुलन-पत्र सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

I **पंजीकरण विवरण**

पंजीकरण संख्या	राज्य कोड	तुलन-पत्र दिनांक
3 2 5 6 4	0 5	3 1 0 3 2 0 0 5

II वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(करोड़ रूपए)**

सार्वजनिक निर्गम	राईट निर्गम
शू न्‍ य	शू न्‍ य

बांड निर्गम	निजी नियोजन*
शू न्‍ य	1 3 0 4 . 2 4

* भारत सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमाराशि

III निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति **(करोड़ रुपए)**

कुल देयताएं	कुल परिसंपत्तियां
2 3 5 2 0 . 7 7	2 3 5 2 0 . 7 7

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी #	आरक्षित एवं अधिशेष $
9 9 3 3 . 2 7	5 2 3 9 . 6 4

आरक्षित ऋण	अनारक्षित ऋण
4 0 0 4 . 2 6	3 0 1 7 . 5 4

\# इसमें 158.89 करोड़ रुपए की अंशपूंजी जमाराशि तथा इक्विटी में समायोजनीय भारत सरकार की निधि के 348.76 करोड़ रुपए शामिल हैं।

$ इसमें मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम के लिए प्राप्त 1071.15 करोड़ रुपए की अग्रिम आय और आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा के लिए 304.66 करोड़ रुपए की आकस्मिक देयताएं शामिल हैं।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसम्पत्तियां	निवेश
1 8 3 6 4 . 5 2 @	3 7 6 9 . 4 3

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां	विविध व्यय
5 9 . 5 8	1 . 1 8

संचित हानियां
शू न्‍ य

@ इसमें 8787.19 करोड़ रुपए के चालू पूंजीगत कार्य और 849.25 करोड़ रुपए के निर्माण भंडार व अग्रिम शामिल हैं।

IV **कंपनी का कार्य निष्पादन (करोड़ रुपए)**

कारोबार	कुल व्यय
1475.56 **	1068.41

कर-पूर्व लाभ	कर के पश्चात लाभ
777.53	684.58

प्रति शेयर मूल अर्जन रुपए में	लाभांश की राशि
77.08	140.00

** 370.38 करोड़ रूपये की अन्य आय शामिल नहीं है।

V **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम**

i) उत्पाद विवरण

विद्युत का उत्पादन

मद कोड संख्या

-

ii) उत्पाद विवरण

निर्माण सविदाएं

मद कोड संख्या

-

iii) उत्पाद विवरण

परामर्शी सेवाएं

मद कोड संख्या

-

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(ए.एल.बत्रा)	**विजय गुप्ता**	**एस.के. गर्ग**	**ए.के. गंगोपाध्याय**
भागीदार	सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्या 16929			

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनपत्र के साथ संलग्न कैश फ्लो विवरण

(करोड़ रुपए)

	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो				
कर-पूर्व शुद्ध लाभ एवं असाधारण मदें		777.53		643.48
जोड़ें :				
मूल्यह्रास	251.71		206.74	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	–		-9.21	
प्रदत्त ब्याज	329.05		347.17	
आकस्मिकताओं के लिए स्वबीमा	48.86		42.57	
परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय	0.76		0.76	
माल सूचियों के मूल्य में कमी	–		0.04	
बट्टे खाते डाले गए/प्रावधानित परियोजना व्यय	–		4.44	
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि	5.88		8.21	
विनिमय दर अंतर	0.32		0.65	
मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	131.75		138.34	
	768.33		739.71	
घटाएं :				
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	3.05		1.53	
आस्थगित राजस्व व्यय	1.23		0.27	
ग्राहकों को दी गई छूट	30.05		26.60	
आधिक्य प्रावधान एवं देयताएं लेखे में ली गई	102.84		12.69	
लाभांश आय	2.26	628.90	0.10	698.52
कार्यशील पूंजी समायोजनों से पूर्व प्रचालनात्मक गतिविधियों से कैश फ्लो		1406.43		1342.00
कार्यशील पूंजी परिवर्तन				
मालसूचियों में (वृद्धि)/कमी	4.64		10.23	
संविदात्मक चालू कार्य में (वृद्धि)/कमी	-16.29		-16.11	
प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	190.91		-249.93	
कारोबार एवं अन्य संदेयों में (वृद्धि)/कमी	297.43	476.69	16.55	-239.26
प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व कैश फ्लो		**1883.12**		1102.74
घटाएं : कर		92.95		22.10
प्रचालन गतिविधियों से कर पूर्व कैश फ्लो (क)		**1790.17**		**1080.64**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
नियत परिसंपत्तियों के क्रय एवं निर्माण परियोजनाओं पर व्यय (निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय सहित)		-2468.08		-1428.35
नियत आस्तियों के निपटान पर बिक्री प्राप्तियां		57.31		49.98
सहायक कंपनियों एवं अन्यों के		-83.16		-203.26
शेयरों में निवेश प्राप्त लाभांश		2.26		0.10
निवेश गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)		**-2491.67**		**-1581.53**
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो				
अंश पूंजी निर्गम से प्राप्तियां		1145.35		960.87
अंश पूंजी जमाराशि		158.89		427.55
प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर		-143.37		-88.20
उधारों पर प्राप्तियां (शुद्ध)		173.70		-660.63
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		-495.76		-566.69
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)		**838.81**		**72.90**
नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध (वृद्धि)/कमी (क+ ख+ ग)		**137.31**		**-427.99**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		174.37		602.36
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		311.68		174.37

कैश फ्लो विवरण की स्पष्टीकरण टिप्पणियां

1. नकद एवं नकद समतुल्यों में विद्यमान नकद तथा विद्यमान चैकों/ड्राफ्टों सहित बैंक शेष शामिल हैं।
2. ऋणों के निर्वहन एवं उन पर अर्जित ब्याज के लिए आवंटित बांड जो कोर उत्पादन गतिविधि से संबद्ध हैं, को प्रचालन गतिविधियों से नकद का भाग माना गया है।
3. नियत परिसम्पत्तियों एवं चालू निर्माण कार्यों में निवेश में 186.79 करोड़ रूपए का पूंजीकृत ब्याज एवं वित्तीय प्रभार शामिल नहीं है।
4. विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध/पुनः व्यवस्थित/पुनः तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बत्रा सप्रा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

(ए.एल.बत्रा)
भागीदार
सदस्यता संख्या 16929

विजय गुप्ता
सचिव

एस.के. गर्ग
निदेशक (वित्त)

(ए.के.गंगोपाध्याय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई, 2005

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां

क) तुलन–पत्र

लेखों पर टिप्पणियां (अनूसूची 21)

1. टिप्पणी सं.–14

31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष हेतु कम्पनी के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों में टिप्पणी सं. ख (iii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के परिणाम स्वरूप है, जिसमें मूल्यह्रास की दरों के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं किया गया है कि किस प्रकार अपने वार्षिक लेखे तैयार करते समय उत्पादक तथा ट्रांसमिशन कम्पनियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली मूल्यह्रास की दरों को लागू किया जाएगा।

मामले को विद्युत मंत्रालय को संदर्भित किया गया था, जिसने यह मत व्यक्त किया है कि केन्द्रीय विद्युत नियानक आयोग (सीईआरसी) द्वारा टैरिफ नीति में अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों को उत्पादन तथा ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में भी विद्युत अधिनियम, 2003 में अधिसूचित की जाने वाली टैरिफ तथा साथ ही लेखे के प्रयोजनार्थ मान्य होगी। तथापि, टैरिफ नीति को अभी अधिसूचित किया जाना है इसलिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार इन मूल्यह्रास दरों के मान्य होने का मामला अभी सुलझा नहीं है।

कम्पनी ने 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु अपने लेखे में मार्च, 2004 में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित मूल्यह्रास की दरों को मानना जारी रखा है। इस वर्ष के दौरान प्रभारित किया गया मूल्यह्रास, कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित दरों की तुलना मे 199.61 करोड़ रुपए कम है (पिछले वर्ष 187.47 करोड़ रुपए) और इस सीमा तक वर्ष के लिए लाभ अधिक है।

प्रबंधन का उत्तर

लेखों पर टिप्पणियों के अनुसूची 21 के नोट सं. 14 के अनुसार उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
2. टिप्पणी सं. 24 **विदेशी मुद्रा में व्यय** **अन्य विविध मामले : 311.37 करोड़ रुपए**	
उक्त का 15.59 करोड़ रुपए तक निम्न कथन किया गया है, क्योंकि दुलहस्ती, तीस्ता V, धौलीगंगा तथा चमेरा–2 परियोजनाओं द्वारा संभूति आधार के बजाय नकद आधार पर प्रकटीकरण किया गया है।	नोट कर लिया है।
3. लेखाकरण नीति सं. 10 (अनुसूची 20) ग्रेच्युटी, छुट्टी भुनाने तथा सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लिए देयताएं निर्धारित करने हेतु संभूति मूल्यांकन की तिथि का प्रकटीकरण यथाअपेक्षित एएस–15 के तहत नहीं किया गया है।	नोट कर लिया है।
ख) लाभ तथा हानि लेखा **कर पश्चात् लाभ : 684.58 करोड़ रुपए**	
4. कम्पनी के लाभ का 2.81 करोड़ रुपए तक अतिविवरण हुआ है, जो निम्न कारणों से हैः–	नोट कर लिया है।
क) रंगित पावर स्टेशन के मामले में 2000–01 से पिछले पांच वर्षो में कम दरों पर 'टनलों' के मूल्यह्रास को प्रभारित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाभ (पूर्व अवधि के लिए 5.65 करोड़ रुपए मिलाकर) तथा स्थिर परिसम्पत्तियों (निवल ब्लॉक) का 6.80 करोड़ रुपए तक अतिवितरण हुआ है।	
ख) चमेरा पावर स्टेशन के संबंध में मूल के पुनर्भुगतान तथा विदेशी मुद्रा में ऋणों पर ब्याज के भुगतान से उत्पन्न विनिमय दर अंतर के 3.99 करोड़ रुपए की राशि का लाभभोगताओं को बिल नहीं दिया गया, जो सी ई आर सी विनियमों के साथ ही लेखा करण नीति से 11.1 (क) के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष लाभभोगताओं से वसूल किया जाना है। तद्नुसार हानि तथा लाभ का 3.99 करोड़ रुपए तक निम्न कथन हुआ है।	

ह/–
(विजया मूर्ती)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षक
के प्रधान निदेशक और पदेन
सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.08.2005

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से
ह/–
(ए.के. गंगोपाध्याय)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 22.08.2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. फरीदाबाद, के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा

नोट : लेखों की इस समीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दी गई अहर्यताओं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार किया गया है।

वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका में पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति का सार मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

(करोड़ रूपए)

1. देयताएं	**2002-2003**	**2003-2004**	**2004-2005**
क) **प्रदत्त पूंजी**			
i) सरकारी (इक्विटी में समंजन योग्य सरकारी निधि सहित)	7240.61	8629.03	9933.27
ii) अन्य			
ख) **आरक्षित व अधिशेष**	-	-	-
i) स्वतंत्र आरक्षित व अधिशेष	2852.40	3338.40	3863.77
ii) शेयर प्रीमियम खाता	0.00	0.00	0.00
iii) आरक्षित पूंजी	0.06	0.06	0.06
iv) आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा	213.24	255.81	304.66
ग) **उधार**			
i) भारत सरकार से	0.00	0.00	0.00
ii) विदेशी संस्थानों से	3373.58	3143.19	3076.26
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	2315.69	2606.43	2917.54
iv) नकद उधार/अल्प अवधि ऋण	634.12	42.16	0
v) अन्य	1184.30	1056.00	1028.00
vi) उपचित और देय ब्याज	0.07	0.00	0.00
घ) i) चालू देयताएं और प्रावधान	674.16	1130.54	1142.15
ii) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	124.27	155.94	183.91
च) आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध)	-	-	-
छ) अग्रिम रूप में प्राप्त आय			
i) मूल्यह्रास के बदले पेशगी	801.06	939.40	1071.15
कुल	**19413.56**	**21296.96**	**23520.77**
परिसंपत्तियां			
ज) सकल ब्लॉक	8280.95	10342.71	10876.28
झ) घटाएं : संचयी मूल्यह्रास	1672.19	1882.95	2148.20
ट) शुद्ध ब्लॉक	6608.76	8459.76	8728.08
ठ) निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य	7699.74	7781.38	9636.44
ड) निवेश	2415.66	3660.87	3769.43
ढ) चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां	2688.20	1394.24	1385.64
त) बट्टे खाते न डाला गया विविध खर्च	1.20	0.71	1.18
कुल	**19413.56**	**21296.96**	**23520.77**

ध)	कार्यकारी पूंजी {ट-घ(i)-ग(vi)}	2013.97	263.70	243.49
न)	नियोजित पूंजी (ट+ध)	8622.73	8723.46	8971.57
प)	नियत मूल्य {क+ख(i)+ख(ii)-थ	10091.81	11966.72	13795.86
फ)	प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए शुद्ध मूल्य (रुपए में)	1.39	1.39	1.39

2. निधियों के स्रोत और उपयोग

वर्ष के दौरान 2641.03 करोड़ रुपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्र की गईं और उनका नीचे दिए अनुसार उपयोग किया गया :

निधियों के स्रोत

		(करोड़ रुपए) 2004-2005
	संचालन से प्राप्त निधियाँ	
क)	वर्ष के लिए लाभ	684.58
	जोड़ें : वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	265.25
	जोड़ें : स्व बीमा रिजर्व में वृद्धि	48.85
	कुल (क)	998.68
ख)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	1304.24
ग)	उधार निधियों में वृद्धि	174.02
घ)	ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान में वृद्धि	27.97
च)	मूल्यह्रास के बदले पेशगी में वृद्धि	131.75
छ)	कार्यकारी पूंजी में कमी	4.37
	कुल	2641.03

निधियों का उपयोग

क)	स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	533.57
ख)	निर्माण भंडार व पेशगियों सहित चालू पूंजीगत कार्य में वृद्धि	1855.06
ग)	प्रदत्त लाभांश	143.37
घ)	बट्टे खाते में डाला गया विविध खर्च	0.47
च)	निवेश	108.56
	कुल	2641.03

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के कंपनी के कार्यकारी, परिणाम नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए)

		2002-2003	2003-2004	2004-2005
i)	बिक्री	1172.23	1276.09	1449.98
ii)	अन्य या विविध आय	302.96	551.69	395.96
iii)	कर पूर्व लाभ व पूर्व अवधि समायोजन	561.29	641.30	782.88
iv)	पूर्व अवधि समायोजन	-6.29	2.18	-5.35
v)	कर पूर्व लाभ	555.00	643.48	777.53
vi)	कर के लिए प्रावधान	44.50	22.10	92.95
vii)	कर के बाद लाभ	510.50	621.38	684.58
viii)	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	78.20	135.38	159.21

4. अनुपात विश्लेषण

31 मार्च, 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्य प्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं :

(प्रतिशत में)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
क) लिक्विडिटी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू देयताओं व प्रावधान के लिए चालू परिसंपत्तियों और उपचित एवं देय ब्याज लेकिन ग्रेच्यूटी के लिए प्रावधान को छोड़कर) {ट/घ(i)+ग(vi)}	3.99	1.23	1.21
ख) डेबिट इक्विटी अनुपात दीर्घ अवधि डेबिट शुद्ध मूल्य के लिए {ग(i से v तक लेकिन अल्प अवधि ऋणों को छोड़कर) / घ}	0.68	0.57	0.51
ग) लाभ अनुपात			
निम्न के लिए लाभ (कर पूर्व)			
(i) नियोजित पूंजी	6.44	7.38	8.67
(ii) निवल मूल्य	5.50	5.38	5.64
(iii) बिक्री	47.34	50.43	53.62
(iv) इक्विटी	7.67	7.46	7.83
घ) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	76.65	74.57	77.08

5. वस्तुसूची स्तर

31 मार्च 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर वस्तुसूची स्तर नीचे दिए अनुसार है :

(करोड़ रुपए)

	2002-2003	2003-2004	2004-2005
भंडार, पुर्जे एवं लूज़ टूल्स	64.06	53.79	49.15

6. विविध देनदार

31 मार्च, 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार और बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

	विविध देनदार				
31 मार्च को	कंसीडर्ड गुड	संदेहजनक माना गया	कुल	बिक्री (उत्पाद शुल्क के सहित)	प्रतिशत में बिक्री के विविध देनदार
2003	1493.82	75.98	1569.80	1172.30	133.91
2004	498.96	84.75	583.71	1276.09	45.74
2005	450.97	77.56	528.53	1449.98	36.45

वर्ष 2004–2005 की समाप्ति पर विविध देनदारों का अवधि के अनुसार विवरण नीचे दिए अनुसार है :

एक वर्ष से कम के लिए बकाया देनदार	335.75
1–2 वर्ष के लिए	47.09
2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए	81.87
3 वर्ष और उससे अधिक के लिए	63.82
कुल	**528.53**

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 17 अगस्त, 2005

ह/–
(विजया मूर्ती)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
व पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा, बोर्ड–III, नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अनुसरण में सहायक कंपनी से संबंधित विवरण

1.	कंपनी का नाम एवं पता	नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचडीसी), एनएचडीसी, ब्लॉक, 2-5वां तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स कालोनी, भोपाल (मध्य प्रदेश)
2.	सहायक कंपनी के वित्तीय वर्ष का समापन	31.03.2005
3.	नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड और इसके नामितों द्वारा उपरोक्त तारीख को धारित सहायक कंपनी का अंश	
	(क) शेयरों की संख्या और अंकित मूल्य	1000/- रु प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 83,40,000 इक्विटी जारी किए गए
	(ख) धारण का विस्तार	1,63,23,529 शेयरों में से 83,40,000 शेयर नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा धारित हैं।
4.	सहायक कंपनी की शुद्ध सकल लाभ/(हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचडीसी लिमिटेड के लेखे में **नहीं** दर्शाया गया है।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष	(क) तुलन-पत्र में अग्रेनीत 26.26 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 13.39 करोड़ रुपए लाभ के रूप में (ख) 3.47 करोड़ रुपए का लाभांश जो 6.80 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	तुलन-पत्र में अग्रेनीत 9.66 करोड़ रुपए का 51 प्रतिशत अर्थात 4.93 करोड़ रुपए लाभ के रूप में
5.	सहायक कंपनी की शुद्ध सकल लाभ/ (हानि) राशि, जहां तक इसका संबंध नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों से है तथा इसे एनएचपीसी लिमिटेड के लेखे में दर्शाया गया हो।	
	(i) सहायक कंपनी के लिए मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष	शून्य
	(ii) सहायक कंपनी के पिछले वित्तीय वर्षों के लिए, जब से यह सहायक कंपनी बनी है।	1.22 करोड़ रुपए का लाभांश जो 2.40 करोड़ रुपए की अनुशंसित लाभांश राशि का 51 प्रतिशत है
6.	सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बीच सहायक कंपनी में नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्से में परिवर्तन	शून्य
7.	वर्तमान देयताओं को पूरा करने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए सहायक कंपनी की नियत परिसंपत्तियों, निवेशों, ऋण देने और लेने के लिए सहायक कंपनी और नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच वास्तविक परिवर्तन	शून्य

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

विजय गुप्ता	**एस. के. गर्ग**	**ए.के. गंगोपाध्याय**
सचिव	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एन एच डी सी
NHDC
तमसो मा ज्योतिर्गमय

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु आपकी कम्पनी की पांचवी वार्षिक रिपोर्ट और साथ ही लेखापरीक्षित लेखे, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(लाख रुपये)

विवरण	2004-05	2003-04
विद्युत की बिक्री	17767	2734
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	14693	2426
मूल्यह्रास	3820	380
मूल्यह्रास के पश्चात और ब्याज तथा कर से पूर्व लाभ	10873	2046
ब्याज लागत	7093	691
मूल्यह्रास तथा ब्याज के पश्चात किन्तु कर पूर्व लाभ	3780	1355
कर	385	118
मूल्यह्रास, ब्याज तथा कर पश्चात लाभ	3395	1237
पहले के वर्षों के लाभ तथा हानि लेखे का अधिशेष	966	-
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	4361	1237
विनियोजन		
प्रस्तावित कर लाभांश	680	240
आय कर के लिए प्रावधान लाभांश पर कर	89	31
आरक्षित तथा अधिशेष में अग्रेषित बकाया लाभ	3592	966

वर्ष 2004-05 के दौरान निगम का कारोबार (टर्न ओवर) 177.67 करोड़ रुपये रहा और कर पश्चात शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के 12.37 करोड़ रुपये की तुलना में 33.95 करोड़ रुपये हुआ, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 174% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2004-05 के दौरान इन्दिरा सागर परियोजना से 1331.85 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित की गई और 1.35 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत की बिक्री करके 177.67 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। एनएचडीसी ने वसूली के क्षेत्र में लाभग्राहियों को बेची गई बिजली के लिए 130.92 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूल की।

लाभांश

कम्पनी ने 31 मार्च, 2005 तक इन्दिरा सागर परियोजना की 8 यूनिटों को चालू कर दिया है और इसने वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान 177.67 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। कम्पनी की लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान के लिए कम्पनी की इक्विटी पूंजी पर 6.80 करोड़ रुपये के लाभांश की सिफारिश की है, जिसका अनुमोदन शेयर धारकों की आगामी वार्षिक आम बैठक में लिए जाने की शर्त के अधीन है।

1000 मे.वा. की इंदिरा सागर परियोजना, मध्य प्रदेश - बांध का पार्श्व दृश्य

कार्यों की प्रगति

इन्दिरा सागर परियोजना (आईएसपी)

एनएचपीसी ने आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा सहमत कार्यक्रम से दो माह पूर्व मार्च, 2005 के अंत तक इन्दिरा सागर परियोजना की सभी 8 यूनिटों को चालू करके एक

बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परियोजना पर 30 जून, 2005 तक 4355.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना 3756.73 करोड़ रुपये खर्च हुए।

हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य

8 इन्टेक गेट और 21 ड्राफ्ट ट्यूब गेटों को स्थापित तथा प्रारम्भ किया गया। सभी गेटों के परीक्षण किए जाने के साथ ही सभी 20 रेडियल गेटों का स्थापन पूरा हो गया है। पूर्ण जलाशय स्तर पर रेडियल गेटों का परीक्षण जलाशय स्तर के (एफआरएल) तक प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात किया जाएगा, जिसका परीक्षण आगामी मानसून सत्र के दौरान होने की संभावना है।

1000 मे.वा. इंदिरा सागर परियोजना, मध्य प्रदेश-पावर हाउस

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्य

इन्दिरा सागर परियोजना के निर्माण के कारण 249 गांव डूब क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से केवल 38 गांवों की सरकारी भूमि ही उस क्षेत्र में आएगी। पुनर्वास किए जाने वाले कुल 39119 परिवारों में से जून, 2005 तक 37914 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है।

आर एण्ड आर कार्य पर 1320.04 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है और यह माना जा रहा है कि सभी कार्यों को 1570 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा।

ओंकारेश्वर परियोजना (ओएसपी)

ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओंकारेश्वर मंदिर के निकट इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर नर्मदा नदी पर स्थित है और यह निर्माण के अंतिम चरण में है।

520 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली ओकारेश्वर परियोजना एक बहुउददेशीय परियोजना है जिससे प्रारम्भिक चरण में 1166 मि.यू. वार्षिक ऊर्जा उत्पादन और 1.47 लाख हेक्टेयर खेती योग्य क्षेत्र (सीसीए) पर 2.83 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई की जाएगी। चूंकि ओएसपी से विद्युत उत्पादन इन्दिरा सागर परियोजना से विनियमित जल की निकासी पर निर्भर करेगा इसलिए यह आईएसपी से लाभांवित परियोजनाओं में से एक होगी। "मैसर्स जयप्रकाश- वायथ सीमन्स कन्सोर्टियम, नई दिल्ली" को टर्न- की आधार पर परियोजना दिए जाने के पश्चात बांध के उत्खनन तथा कंक्रीट करने, पावर हाउस तथा पेन स्टाक, पावर डैम तथा इन्टेक, हैडरेस चैनल, और टेल रेस चैनल आदि के कार्य प्रगति पर हैं तथा कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। 30 जून, 2005 तक परियोजना पर 2224.73 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की तुलना में 785.60 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। परियोजना की सभी 8 इकाइयों (प्रत्येक 65 मेगावाट) को अक्तूबर, 2007 तक चालू करने का कार्यक्रम है।

इलेक्ट्रो तथा हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य

ड्राफ्ट ट्यूब लाइनर, स्पाइरल केसिंग तथा स्टेरिंग आदि जैसे टरबाइन के पुर्जों के निर्माण/स्थापन के कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं। स्लूइस गेटस,इन्टेक गेट, पेन स्टाक, ड्राफ्ट ट्यूब गेट आदि के लिए निर्माण, आपूर्ति तथा स्थापन संबंधी क्रिया-कलाप प्रारम्भ कर दिए गए हैं और कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं।

पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्य

ओएसपी के जलाशय के कारण 30 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से केवल 3 गांवों की सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। पुनर्वास किए जाने वाले सभी 27 गांवों के लिए धारा IV तथा VI जारी की जा चुकी है। 10 गांवों हेतु कार्य दिया जा चुका है और एक गांव का पुनर्वास किया जा चुका है। कुल अनुमानित 4613 परियोजना प्रभावित परिवारों में से 193 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास पूरा किया जा चुका है।

पर्यावरण तथा वन

पर्यावरणीय चिंताओं हेतु निगमित दायित्वों को पूर्णतः मानते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सभी शर्तों का अनुपालन सही रूप में किया जा रहा है। 86030 हेक्टेयर के कुल लक्ष्य (नए क्षेत्र के 4587 हेक्टेयर सहित) की तुलना में 84030 हेक्टेयर के क्षेत्र पर प्रतिपूरक वनीकरण पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार, 62975 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्र पर वन तथा गैर-वन क्षेत्रों में जलग्राहय क्षेत्र सुधार लगभग पूरा हो चुका है। पुरातात्विक दृष्टि महत्वपूर्ण स्मारकों के स्थान बदलने से संबंधित कार्य भी लगभग पूरा होने को हैं। सिंहाजी की समाधि के पुनर्स्थापन का कार्य चल रहा है। जोगा किले की सुरक्षा दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है।

सतर्कता गतिविधियां

एनएचडीसी का सतर्कता विभाग आम अनियमितताओं / चूक को रोकने के लिए परियोजनाओं तथा कारपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों तथा रिकार्डों की समय-समय पर नियमित अचानक जाँच करके बिना किसी बाधा के कार्य कर रहा है।

निवारात्मक सतर्कता के एक हिस्से के तौर पर कर्मचारियों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा परियोजना स्तर पर सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

राजभाषा नीति का क्रियान्वयन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम में राजभाषा नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए गए। निगम के सभी क्रियाकलापों में राजभाषा के प्रयोग को विशेष महत्व दिया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं/ क्रियाकलाप और नियमित अंतराल पर हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कर्मचारियों को राजभाषा के प्रति जानकारी देने की आवश्यकता के अनुसार थे।

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके निगम को शहर के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु *नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)*, भोपाल द्वारा वर्ष 2004 में विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मानव संसाधन विकास और सामाजिक विकास

मानव संसाधन विकास समूह पर्यवेक्षकों, प्रबंधकीय तथा तकनीकी कौशलों के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। अधिकारियों तथा स्टॉफ को नियमित रूप से तकनीकी तथा प्रबंधकीय विषयों के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं / पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए भेजा जाता है। प्रबंधकीय तथा तकनीकी कौशलों के सतत उन्नयन को प्राप्त करने के लिए आंतरिक व्यावसायिक सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। अन्य संस्थानों के विद्वानों को उनकी विशेषज्ञता से लाभ उठाने के लिए भी आंमत्रित किया जाता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है।

शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि हेतु हमारे पदाधिकारियों ने योग आदि विषयों पर आयोजित नियमित पाठ्यक्रमों में भाग लिया। एनएचडीसी की आध्यात्मिक समिति, कारपोरेट कार्यालय,आईएसपी तथा ओएसपी में ध्यान तथा सत्संग हेतु नियमित सत्र आयोजित करती रहती है। इन आध्यात्मिक क्रियाकलापों से निगम के कर्मचारियों की कार्यदक्षता में काफी वृद्धि हुई है।

एनएचडीसी अपने परियोजना स्थलों पर आधुनिक कार्यालयों और अतिथि गृह, विद्यालय, पार्क, क्लब, सामुदायिक केन्द्र तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के साथ सुसज्जित कालोनी स्थापित कर रही है। परियोजना स्थल पर चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं। हाल ही में इन्दिरा सागर परियोजना में टेली मेडिसिन प्रणाली प्रारम्भ की गई है। इन्दिरा सागर परियोजना, नर्मदा नगर में 12वीं कक्षा तक का केन्द्रीय विद्यालय भी खोला गया है।

वर्ष के दौरान कल्याण संस्था के माध्यम से नियमित सामाजिक विकास के क्रियाकलाप आयोजित किए गए। मूडी गांव में एक भव्य चिकित्सा शिवर का भी आयोजन किया गया और इस शिविर के माध्यम से 5 हजार से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए।

औद्योगिक संबंध

समूचे वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अ.पि.व. हेतु आरक्षण

निगम की सेवा में अनु.जा. /अनु.जन.जाति/ अ.पि.व. हेतु पदों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति हेतु जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुदेशों का पालन किया गया।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

कम्पनी (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में ब्यौरों का प्रकटीकरण) नियमावली, 1988 के साथ पठित के कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(1) (ई) के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय के संबंध में सूचना इस रिपोर्ट के **अनुबंध-''क''** में दी गई है।

लेखा परीक्षक

वर्ष 2004-05 हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए मैसर्स ओपी टोटला एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, इन्दौर को "सांविधिक लेखा परीक्षक" नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, निगम की अनुसूची-17 में शामिल की गई विभिन्न टिप्पणियों का उल्लेख करती है, जो स्वतः स्पष्ट है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर **अनुबंध-''ख''** में दिए गए है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुबंध-''ग''** के रूप में संलग्न किए गए हैं।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशकों के उत्तरदायित्व के विवरण, कंपनी संशोधन अधिनियम, 2000 की धारा 217 (2एए) अपेक्षा के अनुपालन में एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि -

i) 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखे तैयार करने में लेखा करण के लिए लागू मानकों का अनुपालन किया गया और साथ ही वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ii) यह कि कंपनी ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं तथा अनुमान लगाए हैं जो कि तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं, ताकि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्यों की स्थिति और उस अवधि हेतु कम्पनी के लाभ का एक वास्तविक तथा उचित तस्वीर पेश करते हैं ;

iii) यह कि कम्पनी ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और किसी धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण तथा पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण पर उचित तथा पर्याप्त ध्यान दिया है;

iv) 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष हेतु लेखे "निरंतर संबंध" आधार पर तैयार किए गए हैं।

लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में श्री एस.के.डोडेजा, मुख्य कार्यपालक निदेशक, श्री जे.के.तिवारी, सदस्य (अभियांत्रिकी), नर्मदा विद्युत विकास प्राधिकरण और श्री राजेश डोंगरे, निदेशक शामिल हैं। उक्त लेखा परीक्षा समिति ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अंतर्गत यथापेक्षित बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वार्षिक वित्तीय सारणियों की समीक्षा की है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कम्पनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना शून्य मानी जाए।

निदेशकों के ब्यौरे

6 अन्य निदेशकों के साथ 01 मई, 2005 से श्री ए.के.गंगोपाध्याय कम्पनी के सीएमडी के रूप में बोर्ड में शामिल हुए हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने अब एनएचडीसी के बोर्ड में श्री रणबीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, एनवीडीडी तथा उपाध्यक्ष, एनवीडीए और श्री जे.के.तिवारी, सदस्य (अभियांत्रिकी), एनवीडीए को क्रमशः 29.1.2005 तथा 15.3.2005 से बोर्ड में नामित किया है।

श्री प्रदीप भार्गव, तत्कालीन प्रधान सचिव, एनवीडीडी, जो मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब एनएचडीसी के निदेशक नहीं हैं।

श्री योगेन्द्र प्रसाद 30 अप्रैल, 2005 से सेवा-निवृत्ति होने पर एनएचडीसी के सीएमडी नहीं रहे।

यह बोर्ड, कम्पनी से सेवानिवृत्त हुए निदेशकों के योगदान एवं मार्गदर्शन के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

आभार

बोर्ड विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्य के विभिन्न स्तर पर दिए गए मार्ग-दर्शन तथा सहयोग के लिए कृतज्ञतापूर्ण आभार व्यक्त करता है।

बोर्ड सांविधिक लेखा परीक्षकों, बैंकरों एवं अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा सहयोग की बहुत सराहना करता है। साथ ही बोर्ड, निगम के उन सभी समर्पित कर्मचारियों को भी धन्यवाद देने के लिए इस अवसर का उपयोग करता है, जिनके बहुमूल्य योगदान और पूर्ण सहयोग के बिना कम्पनी की उपलब्धियां संभव नहीं हो पातीं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा की ओर से।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29 जुलाई, 2005
स्थान : नई दिल्ली

ऊर्जा का संरक्षण

क. किए गए और किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण उपाय

इंदिरा सागर परियोजना के सहायक विद्युत गृहों में ऊर्जा उपभोग की निगरानी हेतु एलटीएसी सिस्टम (न्यूमैरिकल रिले)लगाए गए हैं ताकि ऊर्जा की हानि को न्यूनतम किया जा सके।

ख. ऊर्जा की खपत के लिए किए जा रहे अतिरिक्त निवेश तथा प्रस्ताव, यदि कोई हो;

वर्तमान में एनएचडीसी द्वारा प्रत्यक्ष निवेश का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग. ऊर्जा उपभोग की कमी हेतु उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर उल्लिखित उपायों का प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप सामान के उत्पादन की लागत पर प्रभाव;

इससे विभिन्न सहायक कलपुर्जों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की समीक्षा करने तथा सहायक उपभोग में और कमी करने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

घ. तत्तसंबंधी अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों के संबंध में तत्त संबंधी अनुबंध के फार्म -क के अनुसार कुल ऊर्जा उपभोग और उत्पादन की प्रति यूनिट पर ऊर्जा की खपत।

एनएचडीसी इस अनुसूची में उल्लखित उद्योगों की श्रेणी में नहीं आती है।

फार्म-बी

1. **विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किया गया।**

   पूर्ण स्वचालन हेतु सहायक प्रणाली के नियंत्रण को विद्युत गृह एससीएडीए के साथ एकीकृत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

2. **उपर्युक्त अनुसंधान और विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त किए गए लाभ।**

   आसानी से प्रचालन तथा विद्युत गृह का रख-रखाव

3. **भविष्य की कार्रवाई योजना।**

   अनुसंधान और विकास कार्य आन्तरिक विशेषज्ञता और विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

4. **अनुसंधान और विकास पर व्यय**

   (क) पूंजी(ख) आवृत्ति(ग) कुल(घ) कुल कारोबार के प्रतिशत के तौर पर अनुसंधान और विकास पर कुल व्यय।

   वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर कोई व्यय नहीं किया गया है। यह प्रत्याशा है कि अनुसंधान और विकास पर व्यय आने वाले वर्षों में किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी समावेशन, अपनाना और नवीनीकरण।

1. **संक्षेप में प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने, अपनाने और नवीनीकरण की ओर किए गए प्रयास।**

   ओंकारेश्वर परियोजना में बड़ी मात्रा में शीघ्र कंक्रीटिंग करने के लिए अमेरिका से लाई गई रोटेक प्रणाली का आयात, स्थापन तथा प्रचालन चार वर्ष की रिकार्ड अवधि के भीतर पूरा किया गया।

2. **उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ अर्थात उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि।**

   रोटेक प्रणाली से परियोजना में बाढ़ के दौरान भी तेजी से और, अबाधित कंक्रीटिंग की जा सकेगी ताकि परियोजना को कार्यक्रम से पहले चार वर्ष से कम की अवधि में पूरा किया जा सकेगा इससे परियोजना की लागत में कमी होगी और बाढ़ के दौरान अन्य संबद्ध संसाधनों के बेकार पड़े रहने को कम किया जा सकेगा।

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी

शून्य

विदेशी मुद्रा आय तथा व्यय

1. **निर्यात से संबंधित क्रियाकलाप; निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई पहल; उत्पादों तथा सेवाओं हेतु नए निर्यात बाजारों का विकास; और भावी निर्यात योजनाएं।**

   शून्य

2. **कुल विदेशी मुद्रा अर्जन**

   शून्य

   कुल विदेशी मुद्रा व्यय

   16056 लाख रुपये

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

हमने **नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल** के 31 मार्च, 2005 के संलग्न तुलन पत्र और साथ ही उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण की लेखापरीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की आयोजना तथा निष्पादन इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों तथा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलभध कराती है।

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के तहत अपेक्षित है तथा हमारे द्वारा समुचित समझी जाने वाली जांच के आधार पर तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 तथा 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में कंपनी पर यथाप्रयोज्य सीमा तक एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

ऊपर उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के अतिरिक्त, हम सूचित करते हैं कि

i) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ii) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर आवश्यक समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि कंपनी की इन बहियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है।

प्रबंधन का उत्तर

iii) इस रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्राप्त विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट मे दर्शाए गए तुलन-पत्र लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप-धारा (3ग) में उल्लिखित लेखाकरण मानकों के समनुरूप है।

v) कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने सामान्य परिपत्र संख्या 829(ई) दिनांक 21.10.2003 के तहत जारी परिपत्र के अनुसार यह निदेश दिया गया है कि निदेशकों के अपात्र होने के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 274 की उप-धारा(1) का खंड (ज) किसी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य नहीं होगा। अतः हमारी राय में इस खंड की अपेक्षा इस कंपनी पर भी प्रयोज्य नहीं है।

vi) हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेखे उन पर दी गई तथा संलग्न टिप्पणियों सहित, निम्न के अधीन, कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथाअपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से दी गई है-

टिप्पणी संख्या 20(घ) के अनुसार कंपनी ने 52.29 लाख रुपये की राशि के टीडीएस (कटौती नहीं किया गया आयकर परन्तु अब जमा कर दिया गया) को बाहरी व्यक्तियों से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया है जिसकी वसूली निश्चित तथा आकलन की जा सकने वाली नहीं है और उस हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।

52.29 लाख रूपए के (भू-विस्थापित-वार) टीडीएस की गणना की गई है तथा सम्बद्ध भू-विस्थापितों के लिए ''कर प्राधिकारियों'' को यह जमा कर दी गई है। विस्थापितों से 24,56,742 रूपए की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है तथा विस्थापितों के लिए शेष भुगतान से अथवा कलेक्टर के माध्यम से वसूली-प्रमाण जारी करके बाकी राशि की वसूली भी कर ली जाएगी।

टिप्पणी संख्या 14(क) के अनुसार विद्युत उत्पादन प्रशुल्क दरें सीईआरसी द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदित की गई हैं। दरों के अंतिम निर्धारण में किसी अंतर को वास्तविक दरें नियत करने के वर्ष में समायोजित किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे अंतर की राशि को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षित व्यय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए टैरिक याचिका प्रक्रियाधीन है तथा सीईआरसी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाने के बाद ही अंतिम टैरिफ दरें मालूम हो सकेंगी। तद्नुसार लेखा बहियों में अंतिम समायोजन किया जाएगा।

और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के समनुरूप निम्न के बारे में सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं :-

(क) 31 मार्च, 2005 तक निगम के क्रियाकलापों की स्थिति के संदर्भ में तुलन-पत्र के मामले में तथा

(ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।

(ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण के कैश-फ्लो मामले में।

कृते **ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(ओ.पी. टोटला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 27 मई, 2005

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के संबंध में हमारी समसंख्यक रिपोर्ट के पैराग्राफ में उल्लिखित अनुबंध

(i) (क) कपंनी ने नियत परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे एवं स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) नियत परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि ऐसे सत्यापन पर प्रबंधन की जानकारी में कोई भौतिक विसंगति नहीं आई है।

(ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान नियत परिसंपत्तियों के महत्वपूर्ण भाग का निपटान नहीं किया है।

(ii) (क) भंडार वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतरालों पर किया गया है।

(ख) ऐसी वस्तुसूची के वास्तविक सत्यापन के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई प्रक्रियाएं कपंनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के संदर्भ में युक्तिसंगत तथा पर्याप्त हैं।

(ग) कंपनी भंडार वस्तुसूची के उचित रिकार्डों का अनुरक्षण कर रही है। वास्तविक सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति देखने में नहीं आई।

(iii) (क) कपंनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण नहीं दिए हैं। इसके मद्देनजर खंड (iii) के उप-खंड (ख), (ग) तथा (घ) लागू नहीं होते।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किए गए पक्षों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसके मद्देनजर खंड (iii) का उपखंड (च) तथा (छ) लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वस्तुसूची तथा नियत परिसंपत्तियों की खरीद और ऊर्जा तथा वस्तुओं की बिक्री के लिए कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय के स्वरूप के समनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं। तथापि, इन्हें सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(v) (क) ऐसी कोई भी संविदा अथवा व्यवस्था नहीं है जिसके कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित किए गए रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता है।

(ख) कंपनी (लेखापरीक्षकों .की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड (v)(ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क तथा 58कक और उसके किसी अन्य संगत प्रावधानों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में जनता से कोई जमाराशियां कंपनी ने स्वीकार नहीं की हैं।

(vii) कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो हमारी राय में व्यवसाय के स्वरूप और आकार के समनुरूप है तथा इसको सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार इंदिरा सागर परियोजना में प्रचालनात्मक इकाइयों के संबंध में विहित लागत लेखांकन अबिलेख कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209 (1)(घ) के तहत अपेक्षित रूप से बनाए तथा अनुरक्षित किए गए हैं।

(ix) क. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि, आयकर बिक्री कर, सेवा कर, सम्पत्ति कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देयताएं, जहां भी प्रयोज्य हैं, समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को, छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया सांविधिक देयताओं की कोई उगाही बकाया नहीं है।

ख. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार बिक्री कर/आयकर/सीमाशुल्क/संपत्ति कर/सेवाकर/उत्पाद शुल्क / उपकर की विवादित देयताओं को समुचित प्राधिकरणों के पास जमा न कराने के कोई मामले नहीं हैं।

(x) कंपनी ने पांच वर्ष पूरे नहीं किए हैं और कंपनी पर (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 का खंड (X) लागू नहीं होता है। कंपनी की कोई संचित हानियां नहीं है तथा इसने कोई नकद हानियां उपगत नहीं की हैं।

(xi) हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान एफआई/बैंक अथवा ऋण-पत्र धारकों को देयों की किश्त के पुनःभुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(xii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋण-पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण अथवा अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

(xiii) व (xiv) वर्ष के दौरान कंपनी के क्रियाकलापों की प्रकृति इस प्रकार रही है कि कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के पैराग्राफ 4 के खंड (xiii) तथा (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने किसी बैंक/वित्तीय संस्थाओं से अन्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) समग्र आधार पर सावधि ऋण से संबंधित निधि उपयोग तथा संबंधित सूचना जो हमें उपलब्ध कराई गई है, की पुनरीक्षा के आधार पर कंपनी ने उसी प्रयोजन के लिए सावधि ऋणों को प्रयुक्त किया है जिसके लिए वे प्राप्त किए गए थे।

(xvii) समग्र आधार पर निधियों के उपयोग और हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना के आधार पर कंपनी ने अल्पावधि आधार पर निधियों को जुटाया है और उन्हें अपने दीर्घावधि निवेशकों हेतु उपयोग किया है।

(xviii) कंपनी ने किसी पक्ष तथा कंपनियों को शेयरों का कोई वरीय आवंटन नहीं किया है।

(xix) कंपनी द्वारा कोई ऋण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं तथा इसलिए उनके संबंध में प्रतिभूतियां जारी करने का प्रश्न नहीं उठता।

(xx) इस अवधि के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धन नहीं जुटाया है।

(xxi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार -

(क) कंपनी के बैंकरों ने 19,20,984 रुपये के दो चैक अदा किए थे जो बाद में नकली निकले। तथापि, बैंक ने उक्त की प्रतिपूर्ति कर दी है।

(ख) अन्य दो चैक जिनके लिए 1,35,00 रुपये के भुगतान को रोकने के लिए दावा किया गया था परन्तु बैंक द्वारा इनका भुगतान कर दिया गया था और ये अबी भी बकाया है। इन दो मदों के अतिरिक्त कम्पनी के साथ अथवा कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी जानकारी में नहीं आई अथवा सूचित की गई है।

कृते **ओ.पी.टोटला एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(ओ.पी.टोटला)
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 27 मई, 2005

एन एच डी सी
NHDC
तमसो मा ज्योतिर्गमय

वार्षिक लेखे

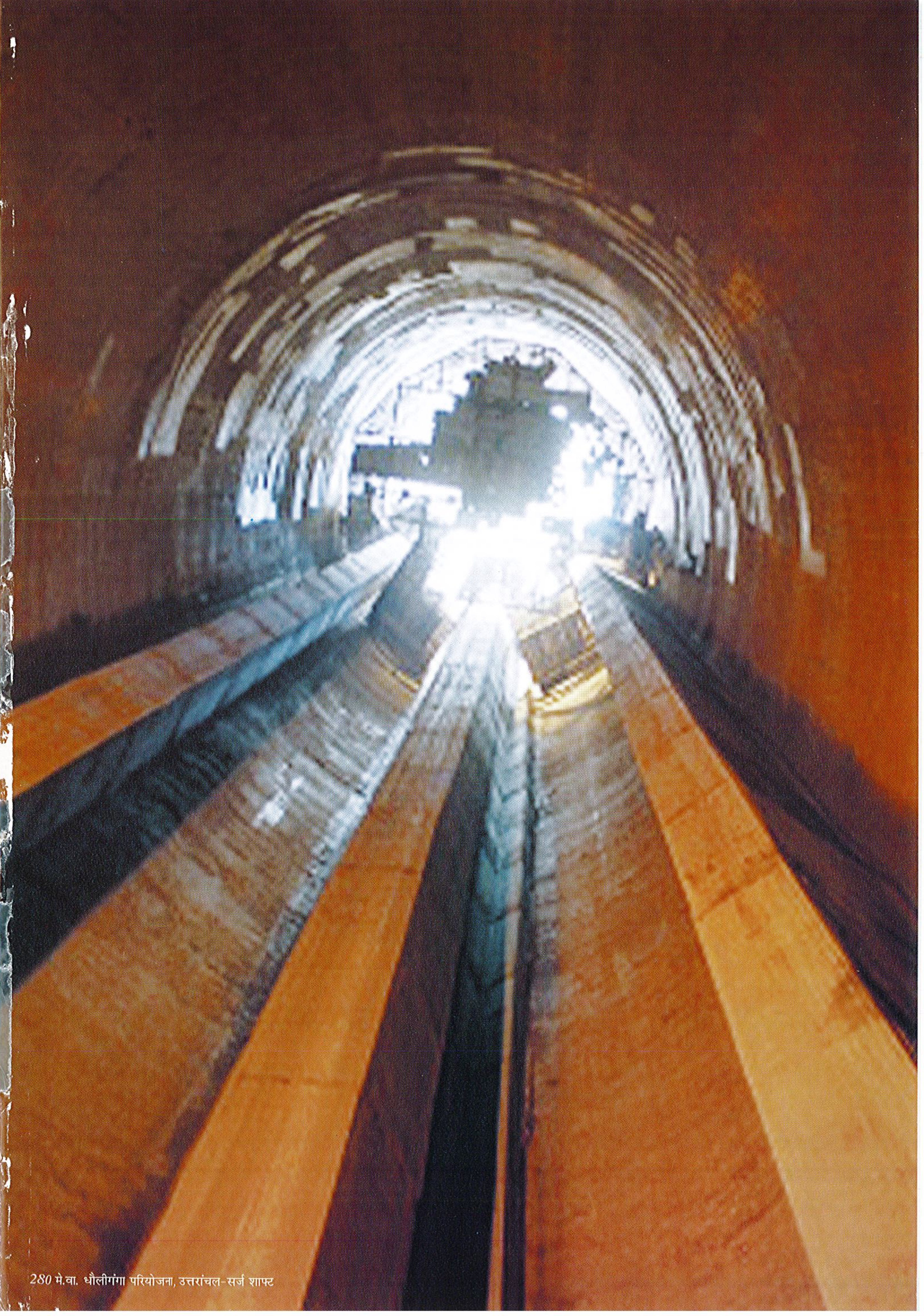

280 मे.वा. धौलीगंगा परियोजना, उत्तरांचल-सर्ज शाफ्ट

31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(लाख रुपए)

विवरण	अनुसूची संख्या			31 मार्च, 2005 को			31 मार्च, 2004 को
निधियों के स्रोत							
क. अंशधारको की निधियां							
हिस्सा पूंजी	1		163235			163235	
हिस्सा पूंजी जमाराशि	1A		30023			5526	
आरक्षित तथा अधिशेष	2		86560	279818		61562	230323
ख. ऋण निधियां							
आरक्षित ऋण	3		150000			78000	
अनारक्षित ऋण	4		62425	212425		65000	143000
ग. आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा				1285			182
घ. आस्थगित कर							
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं			1662			597	
घटाएं - आस्थगित वसूलनीय कर			1662	–		597	–
जोड़				**493528**			**373505**
निधियों का प्रयोग							
क. नियत पूंजीगत व्यय							
नियत परिसंपत्तियां	5						
सकल ब्लॉक		332840			171549		
मूल्यह्रास		5771			1608		
शुद्ध ब्लॉक			327069			169941	
चालू पूंजीगत कार्य	6		102139			134507	
निर्माण भंडार तथा अग्रिम	7		14666	443874		18419	322867
ख. चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	8						
विविध देनदार		4722			514		
नकद एवं बैंक शेष		66152			65883		
अन्य चालू परिसंपत्तियां		1978			1634		
ऋण एवं अग्रिम		2558	75410		1047	69078	
घटाएं - चालू देयताएं एवं प्रावधान	9						
देयताएं		24555			18175		
प्रावधान		1365	25920		449	18624	
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां				49490			50454
ग. विविध व्यय	10			164			184
(बट्टे खातें न डाले गए या समायोजित किए जाने की सीमा तक)							
जोड़				**493528**			**373505**
लेखाकरण नीतियां	16						
लेखा टिप्पणियां तथा आकस्मिक देयताएं	17						
कैश फ्लो विवरण	18						

अनुसूची 1 से 18 लेखा का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ.पी. टोटला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए की ओर से

ओ.पी.टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
उप कंपनी सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2005

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा

(लाख रुपए)

विवरण	अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिए		
आय							
बिक्री			17767			2734	
घटाएं - मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम			–	17767		–	2734
संविदाएं एवं परामर्श				–			–
अन्य आय	11			269			76
कुल आय				**18036**			**2810**
व्यय							
उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय	12			2414			339
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं हित लाभ	13			460			45
मूल्यह्रास			4593			445	
घटाएं - पूंजी प्रारक्षित राशि से अंतरण (देखें टिप्पणी संख्या 10 ग)			773	3820		65	380
ब्याज एवं वित्त प्रभार	14			7093			691
लाभानुभोगी राज्यों को प्रोत्साहन				–			–
पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)	15			469			–
कुल व्यय				**14256**			**1455**
वर्ष के लिए लाभ (कर पूर्व)				**3780**			**1355**
कराधान के लिए प्रावधान							
वर्तमान कर			385			118	
आस्थगित कर		1065			597		
घटाएं- आस्थगित कर वसूलनीय समायोजन		1065	–	385	597	–	118
कर पश्चात लाभ				**3395**			**1237**
विनियोजन							
(i) प्रस्तावित अंतिम लाभांश				680			240
(ii) कारपोरेट लाभांश कर				89			31
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ				2626			966
लेखाकरण नीतियां	16						
लेखा टिप्पणियां एवं आकस्मिक देयताएं	17						
कैश फ्लो विवरण	18						

अनुसूची 1 से 18 लेखों का अभिन्न अंग है।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ.पी.टोटला एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

ओ.पी.टोटला
भागीदार
सदस्यता संख्या 11854

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
उप कंपनी सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2005

अनुसूची-1 हिस्सा पूंजी

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को	31 मार्च, 2004 को
प्राधिकृत		
1000 रूपए प्रत्येक के 30000000 इक्विटी शेयर	300000	300000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त	163235	163235
1000 रूपए प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 163,23,529(विगत वर्ष 163,23,529) इक्विटी शेयर। उपरोक्त में से 83,40,000 (विगत वर्ष 83,40,000) शेयर धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद को तथा 79,83,529 (विगत वर्ष 79,83,529) शेयर मध्य प्रदेश सरकार को आवंटित किए गए हैं।		
टिप्पणी : उक्त में से 74,83,528 (विगत वर्ष 74,83,528 इक्विटी शेयर एक समझौता ज्ञापन के अनुसरण में नकद भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्णतः प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए थे।		
जोड़	**163235**	**163235**

अनुसूची-1क हिस्सा पूंजी जमा खाता

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को		31 मार्च, 2004 को	
i) एनएचपीसी (धारक कंपनी) से	13842		5526	
ii) एनवीडीए लेखे से	16181	30023	-	5526
जोड़		**30023**		**5526**

अनुसूची-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रुपए)

विवरण	31 अप्रैल, 2005 को शेष	वृद्धि	कटौती	31 मार्च, 2005 को शेष
आरक्षित पूंजी				
i) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा सागर बांध के सिंचाई संघटक के लिए अनुदान के रूप में आनुपातिक अंशदान	25462	8902	339	34025
ii) एनवीडीए लेखे से सरदार सरोवर परियोजना के लिए अंतरित आनुपातिक सबवेंशन	32536	11401	434	43503
iii) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओंकारेश्वर के सिंचाई संघटक के लिए आनुपातिक अंशदान अनुदान के रूप में	2598	2842	-	5440
अधिशेष				
पी एवं एल लेखे के अनुसार अधिशेष	966	2626	-	3592
जोड़	**61562**	**25771**	**773**	**86560**

अनुसूची-3 ऋण निधियां - आरक्षित

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को	31 मार्च, 2004 को
दीर्घावधिक ऋण		
1 आरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	20000	20000
2 जम्मू एवं कश्मीर बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
3 बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	35000	25000
4 आन्ध्रा बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	10000
5 केनरा बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	15000	7500
6 देना बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	3000
7 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रूपए) (31.03.2008 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	2500
8 पंजाभ एण्ड सिंध बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.3.2009 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	5000	–
9 सिडबी (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.3.2009 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	–
10 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.3.2009 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	–
11 पंजाब नैशनल बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.3.2009 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय)	10000	–
12 इंडियन ओवरसीज बैंक (एक वर्ष में पुनर्अदायगी के लिए देय शून्य रुपये) (31.3.2009 से आगे 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय) **टिप्पणी :** उपर्युक्त सभी सावधि ऋण इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना की सभी नियत परिसम्पत्तियों पर समरूप प्रभार से आरक्षित हैं।	5000	–
जोड़	150000	78000

अनुसूची-4 ऋण निधियां - अनारक्षित

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को	31 मार्च, 2004 को
अल्पावधि ऋण		
(i) पंजाब नैशनल बैंक (एक वर्ष के भीतर देय 500000000 रूपए)	–	5000
(ii) भारतीय स्टेट बैंक धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा गांरटीशुदा (एक वर्ष के भीतर देय 6000000000 रूपए)	–	60000
(iii) भारतीय स्टेट बैंक (एक वर्ष के भीतर देय 4992500000 रुपए)	49925	–
(iv) केनरा बैंक (एक वर्ष के भीतर देय 1250000000 रुपए)	12500	–
जोड़	62425	65000

अनुसूची-5 नियत परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक						मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.04 को	अन्तर-इकाई अंतरण के कारण वर्धन/ समायोजन	अन्यों के कारण वर्धन/ समायोजन	अन्तर-इकाई अंतरण के कारण कटौती/ समायोजन	अन्यों के कारण कटौती/ समायोजन	31.03.05 को	01.04.04 को	वर्ष के लिए	समायोजन	31.03.05 को	31.03.05 को	31.03.04 को
	1	2क	2ख	3क	3ख	4	5	6	7	8	9	10
फ्री होल्ड भूमि	35	–	–	–	–	35	–	–	–	–	35	35
पट्टेवाली भूमि	–	–	149	–	–	149	–	–	–	–	149	–
अवर्गीकृत भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन	22173	–	19466	–	476	41163	817	730	(476)	1071	40092	21356
सड़कें एवं पुल	884	–	.85	–	8	961	139	17	(7)	149	812	745
अमूर्त परिसंपत्तिया (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी	79	–	286	–	13	352	11	12	(16)	7	345	68
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी	37278	–	35397	–	14	72661	123	1236	(14)	1345	71316	37155
उपकेन्द्र उपस्कर	62	–	11	–	3	70	2	4	(3)	3	67	60
हाइड्रोलिक कार्य, बैराज बांध, सुरंग, विद्युत चैनल तथा पेनस्ट्राक	110336	–	106259	–	–	216595	239	2603	–	2842	213753	110097
वाहन	129	4	7	4	5	131	43	24	(5)	62	69	86
फर्नीचर,फिक्सचर एवं उपस्कर	412	2	102	1	22	493	120	59	(22)	157	336	292
संचरण लाइनें	6	–	8	–	–	14	1	1	–	2	12	5
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	47	–	49	–	3	93	5	7	(2)	10	83	42
अधिशेष घोषित किए गए निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अप्रचलित/सर्विस योग्य न होने वाली मदें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5000/- रूपए तक की अल्प मूल्य की नियत परिसंपत्तियां	108	–	42	–	27	123	108	42	(27)	123	–	–
जोड़	**171549**	**6**	**161861**	**5**	**571**	**332840**	**1608**	**4735**	**(572)**	**5771**	**327069**	**169941**
पिछले वर्ष	2475	–	169074	–	–	171549	589	1087	(68)	1608	169941	1886

कोष्ठक के भीतर के आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं	रूपये
वर्ष हेतु मूल्यह्रास	4735
घटाएं - निम्न मूल्य मदों हेतु समयोजन	–
	4735
घटाएं - लाभ एवं हानि लेखे के प्रभारित	4593
आईईडीसी को प्रभारित - शेष	142

अनुसूची-6 चालू पूंजीगत कार्य

(लाख रुपए)

विवरण	1.4.2004 को	वर्ष के दौरान वर्धन	समायोजन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31.03.2005 को
1. सर्वेक्षण,अन्वेषण एवं अन्य खर्च	336	–	–	–	336
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य तथा संचार	14243	9066	–	(15799)	7510
3. सड़कें एवं पुल	141	133	(1)	(24)	249
4. हाइड्रोलिक कार्य, बैराज, बांध टनल एवं पावर चैनल	17838	11599	–	(14011)	15426
5. पैन स्टॉक	144	245	–	–	389
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र एवं मशीनरी	19653	43878	–	(29315)	34216
7. विद्युत संस्थापना एवं उपकेन्द्र संयंत्र	–	-	–	–	–
8. विविध परिसंपत्तियां	212	503	–	–	715
9. ट्रंक पारेषण लाईन्स	8	109	–	(8)	109
10. टर्नकी संविदाओं पर योजना, डिजाइन तथा अंतः संरचना व्यय	1559	2063	–	–	3622
11. निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय					
क) अन्य	43869	1545	–	(34654)	10760
ख) निर्माण के दौरान ब्याज	2093	6043	–	(4818)	3318
उप-जोड़	100096	75184	(1)	(98629)	76650
12. पुनर्वास पर व्यय	34411	53202	–	(62124)	25489
जोड़	**134507**	**128386**	**(1)**	**(160753)**	**102139**
पिछले वर्ष	183124	119396	(724)	(167289)	134507

कोष्ठक के भीतर के आंकड़े कटौतियां दर्शाते हैं

अनुसूची-6 का अनुबंध - निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय

(लाख रुपए)

विवरण	1.4.2004 से 31.3.2005 की अवधि हेतु			1.4.2003 से 31.3.2004 की अवधि हेतु		
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ						
वेतन, मजदूरी भत्ते एवं लाभ एवं उपदान		1543			1651	
भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)		75			102	
स्टाफ कल्याण व्यय		192			229	
अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान		105	1915		101	2083
मरम्मत एवं रखरखाव						
भवन		41			95	
मशीनरी एवं निर्माण उपकरण		1			5	
अन्य		318	360		393	493
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय						
कार्यालय किराया		24			27	
रिहायशी किराया		95			92	
दरें एवं कर		1			–	
विद्युत प्रभार		243			585	
बीमा		20			54	
यात्रा एवं संवहन		132			142	
स्टाफ कार एवं निरीक्षण वाहनों पर व्यय		255			217	
टेलीफोन, टेलेक्स एवं डाक व्यय		41			50	
विज्ञापन एवं प्रचार		49			38	
डिजाइन एवं परामर्शी प्रभार		232			308	
मनोरंजन		5			10	
मुद्रण एवं स्टेशनरी		42			43	
कारपोरेशन के स्वामित्व से भिन्न कंपनी को आधारित परिसंपत्तियों पर व्यय		–			734	
सुरक्षा पर व्यय		13			24	
अन्य व्यय		155			118	
लेखापरीक्षा व्यय		6			5	
सामग्री का नुकसान/बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां		–	1313		–	2447
ब्याज एवं वित्त प्रभार			6186			5348
मूल्यह्रास			142			574
सर्वेक्षण एवं जांच व्यय			–			5
वेतन, मजदूरी, प्रारंभिक व्यय, पौधा रोपण, रखरखाव एवं पर्यावरण पर एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय			1268			1622
कुल व्यय			**11184**			**12572**
घटाएं- प्राप्तियां एवं वसूलियां						
मियादी जमा/बैंक खातों पर ब्याज	3305			1252		
घटाएं- बैंक ब्याज पर आयकर	–	3305		–	1252	
ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज		177			44	
विविध प्राप्तियां एवं वसूलियां		99			61	
अस्थिर विद्युत की बिक्री		1			40	
बीमा दावा		–			413	
प्रावधान/देयताएं जिनका पश्च लेखन आवश्यक नहीं है		–	3582		243	2053
कुल प्राप्तियां एवं वसूलियां						
शुद्ध व्यय			**7602**			**10519**
जोड़े पूर्वावधि समायोजन						
मूल्यह्रास		3				
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय		157	**160**			
			7762			
घटाएं- कारपोरेट कार्यालय व्यय का प्रचालनात्मक यूनिटों/परियोजनाओं को आवंटित अंश			**174**			**26**
चालू पूंजीगत कार्य को अंतरित राशि			**7588**			**10493**

अनुसूची-7 निर्माण भंडार एवं अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2005 को		31 मार्च, 2004 को
निर्माण भंडार				
(प्रबंधन द्वारा ली गई,, मूल्यांकित एवं प्रमाणित लागत पर)				
निर्माण सामग्री पारगमन में	–		–	
भंडार	25		51	
घटाएं : प्रावधान	–	25	–	51
पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	–		–	
अनारक्षित क) कंसीडर्ड गुड				
- बैंक गारंटियों द्वारा कवर किए गए	13494		18368	
- अन्य	1147		–	
ख) संदिग्ध माने जाने वाला	–		–	
घटाएं - संदिग्ध हेतु प्रावधान	–	14641	–	18368
जोड़		**14666**		**18419**

अनुसूची-8 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए)

विवरण				31 मार्च, 2005 को				31 मार्च, 2004 को
चालू परिसंपत्तियां								
माल सूचा								
(प्रबंधन द्वारा ली गई, मूल्यांकित एव प्रमाणित लागत पर)								
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे				–				–
खुले औजार				–				–
घटाए - प्रावधान				–				–
संविदा कार्य प्रगति पर				–				–
विविध देनदार (अनारक्षित)								
छह माह से अधिक से बकाया ऋण			112				–	
कुल देनदार			4610				514	
घटाएं - प्रावधान			–	4722			–	514
विविध देनदारों के विवरण (अनारक्षित)								
	2004-05	2003-04			2003-04	2002-03		
कंसीडर्ड गुड	4722	514			514	–		
संदेहजनक माने गए व प्रावधानित	–	–			–	–		
नकद एवं बैंक शेष								
नकद, अग्रदाय चैक एवं ड्राफ्ट्स			3				5	
अधिसूचित बैंक में शेष								
चालू खातों में			44497				5384	
जमा खाता (अल्पावधि)			21652	66152			60494	65883
गैर-अधिसूचित बैंक में शेष								
चालू खाते में			–				–	
बचत खाते में			–				–	
अन्य चालू परिसंपत्तियां								
जमाराशि/निवेश पर अर्जित ब्याज			760				434	
अन्य			1218				1200	
घटाए - प्रावधान			–	1978			–	1634
ऋण एवं अग्रिम								
1. कर्मचारियों को ऋण (अनारक्षित - कंसीडर्ड गुड)			164				75	
2. कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित कंसीडर्ड गुड)			247				354	
3. नकदी या सामान अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम								
आरक्षित - (कंसीडर्ड गुड)			35				–	
अनारक्षित - (कंसीडर्ड गुड)			25				124	
- बैंक गारंटियों से कवर किए गए			8				–	
- अन्य			63				–	
अनारक्षित (संदिग्ध माना गया)			–				–	
घटाएं - संदिग्ध पेशगियों के लिए प्रावधान			–				–	
4. जमा अग्रिम कर एवं स्रोत पर काटा गया कर			2016				494	
5. अन्य वसूली योग्य			–	2558			–	1047
जोड़				**75410**				**69078**

(लाख रुपए)

	2004-2005	2003-2004
निदेशकों पर बकाया ऋण एवं अग्रिमों का विवरण		
वर्ष के अंत में बकाया राशि	–	2
वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष	2	3

अनुसूची-9 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए)

विवरण		31 मार्च, 2005 को			31 मार्च, 2004 को	
देयताएं						
विविध लेनदार						
लघु औद्योगिक उपक्रम(उपक्रमों) की कुल बकाया राशि (30 दिन से अधिक)	–			–		
अन्य	20477	20477		17246	17246	
जमा/एजेंसी की खर्च न की गई राशि		–			–	
जमा/प्रतिधारण राशि		801			578	
उपार्जित ब्याज जो कि ऋण पर देय नहीं है		–			–	
जारी चैकों के लिए देयताएं		–			–	
परियोजना लागत के लिए अग्रिम		–			–	
ठेकेदारों के लिए अग्रिम		–			–	
सरकारी अनुदान के लिए अग्रिम		2641			–	
अन्य देयताएं		636	24555		351	18175
प्रावधान						
कराधान		504			118	
प्रस्तावित लाभांश		680			240	
प्रस्तावित लाभांश पर कर		89			31	
आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान		-			–	
प्रोत्साहन हेतु प्रावधान		18			15	
छुट्टी भुनाने के लिए प्रावधान		19			33	
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान		25			12	
सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के लिए प्रावधान		30			–	
सम्पत्ति कर देयता के लिए प्रावधान		–	1365		–	449
जोड़			**25920**			**18624**

अनुसूची-10 विविध व्यय

(बट्टे खाते न डाले गए या समायोजित न किए गए)

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को		31 मार्च, 2004 को	
आरंभिक व्यय				
पिछले वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार शेष	184		205	
घटाएं - वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया 205 रुपये का 1/10वां हिस्सा	20	164	21	184
बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति हेतु हानियां	–		–	
घटाएं - प्रावधानित	–	–	–	–
जोड़		**164**		**184**

अनुसूची-11 अन्य आय

(लाख रुपए)

विवरण	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु
अल्पावधि जमा से आय (टीडीएस 776 लाख रुपये)	202	72
बांडों पर ब्याज	–	–
स्टाफ को ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज	5	1
अन्यों से ब्याज	5	1
स्क्रैप से आय	–	–
किराए की प्राप्ति तथा वसूलियां	39	1
विद्युत प्रभारों की वसूली	9	–
अन्य विविध आय	9	1
जोड़	**269**	**76**

अनुसूची-12 उत्पादन, प्रशासन व अन्य व्यय

(लाख रुपए)

	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु	
सामग्री व पुर्जों की खपत		–		–
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	61		5	
मशीनरी	46		–	
अन्य	374	481	17	22
विविध प्रचालनात्मक खर्चे		–		–
किराया		10		1
दरें व कर		–		–
बीमा		27		3
आकस्मिकताओं हेतु स्व बीमा		1103		182
सुरक्षा व्यय		15		1
बिजली प्रभार		372		58
यात्रा व वाहन		28		2
स्टाफ कार पर व्यय		67		4
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		10		1
विज्ञापन व प्रचार		7		–
दान		–		–
मुद्रण व लेखन सामग्री		5		1
परामर्शी प्रभार		–		13
बट्टे खाते डाले गए परियोजना खर्च		–		–
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		–		–
बट्टे खाते डाला गया आरंभिक खर्च		20		21
अन्य सामान्य व्यय		95		4
कारपोरेट कार्यालय प्रबंधन व्यय		174		26
जोड़		**2414**		**339**

अनुसूची-13 कर्मचारी पारिश्रमिक तथा लाभ

(लाख रुपए)

	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरी तथा भत्ते	352	35
अनुदान तथा भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन शुल्क सहित)	36	4
कर्मचारी कल्याण व्यय	72	6
जोड़	**460**	45

अनुसूची-14 ब्याज तथा वित्त प्रभार

(लाख रुपए)

	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु	
नियत ऋणों पर ब्याज				
भारत सरकार के ऋणों पर ब्याज	–		–	
बांडों पर ब्याज	–		–	
विदेशी ऋणों पर ब्याज	–		–	
सावधि ऋण पर ब्याज	6819	6819	475	475
अन्य ऋणों पर ब्याज				
नकद ऋण सुविधाओं पर ब्याज		–		–
बांड व्यय		–		–
ग्राहकों को छूट		–		37
वचनबद्धता शुल्क		–		–
ऋण पर गारंटी शुल्क		224		43
अन्य वित्त प्रभार		50		136
जोड़		**7093**		**691**

अनुसूची - 15 पूर्वावधि समायोजन (शुद्ध)

(लाख रुपए)

	31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु
आय		
विद्युत की बिक्री	(469)	–
कर्जदारों से प्राप्त ऋण/अधिभार	–	–
अन्य	–	–
	(469)	–
व्यय		
वेतन तथा मजदूरी	–	–
मरम्मत तथा अनुरक्षण	–	–
ब्याज	–	–
अन्य	–	–
मूल्यह्रास	–	–
जोड़	**(469)**	**–**

कोष्ठक के भीतर के आंकड़े कटौतियां दर्शाते है।

अनुसूची-16 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखांकन परम्पराएं

1.1 निगम के लेखे ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखांकन की प्रोदभूत (एक्यूरल) पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं सिवाय कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर व्यय के मामले में जिसकी पहचान प्रोदभूत में अनिश्चितताओं के कारण लिए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

1.2 उपभोक्ताओं से लिए गए ब्याज/अधिभार की पहचान आय के रूप में प्राप्ति पर अथवा जब उसे प्राप्त करने की तर्कसंगत निश्चितता हो, पर की जाती है।

2. नियत परिसंपत्तियां

2.1 स्थायी परिसंपत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण की लागत आधार पर किया गया है। ऐसे मामलों में जहां संविदाकर्ता के साथ बिलों का अंतिम निपटान लंबित है, परन्तु परिसंपत्ति पूर्ण हो चुकी है तथा उपयोग हेतु तैयार है, पूंजीकरण को अनुमानित आधार पर किया जाता है जो अंतिम निपटान के वर्ष(वर्षों) में मध्यस्थता/अदालत में निपटान से उत्पन्न होने वाले मामलों सहित आवश्यक समायोजन के अधीन होता है।

2.2 निगम के स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित नियत परिसंपत्तियों को नियत परिसंपत्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है, सिवाय उन परिसंपत्तियों के जिन्हें पुनर्वास/पुनःस्थापन के लिए सृजित किया गया है।

2.3 परियोजनाओं में सहायता-अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर अधिप्राप्त /सृजित की गई परिसंपत्तियों को परिसंपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका स्वामित्व निगम के पास नहीं होता।

2.4 अधिशेष घोषित किए गए निर्माण उपस्करों को बुक वैल्यु से कम और प्राप्त किए जा सकने वाले शुद्ध मूल्य पर दर्शाया जाता है।

3. मशीनरी के कल-पुर्जे

उत्पादन इकाइयों, विद्युत स्टेशनों तथा स्विचयार्ड हेतु मशीनरी कलपुर्जे आदि जो या तो उपकरण के साथ अधिप्राप्त किए गए थे अथवा बाद में और जिनके अनियमित प्रयोग की आशा है को संबंधित संयंत्र तथा मशीनरी के शेष उपयोग्य काल में पूर्णतः पूंजीकृत और मूल्यह्रासित कर लिया जाता है। अन्य कलपुर्जों को" भंडार तथा कलपुर्जे" के रूप में माना जाता है जो माल सूची का भाग होते हैं और जारी किए जाने पर व्यय दर्शाया जाता है।

4. चालू पूंजीगत कार्य

4.1 चालू किए जाने के अधीन परियोजनाएं तथा अन्य चालू पूंजीगत कार्य को लागत पर किया जाता है। निर्माण के अधीन परियोजनाओं के मामले में, निर्माण के दौरान प्रयोग में लाई जा रही स्थिर परिसंपत्तियों पर ब्याज तथा मूल्यह्रास सहित प्रासंगिक तथा अरोप्य व्ययों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय का भाग माना जाता है जिसे परियोजना के प्रारम्भ होने पर भूमि तथा अंतः संरचनात्मक सुविधाओं के अतिरिक्त प्रमुख अचल परियोजना परिसंपत्तियों को आवंटित किया जाता है।

4.2 निर्माणाधीन परियोजनाओं में आम जनसुविधाओं के रख-रखाव, उन्नयन आदि पर व्यय को " निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय" पर प्रभारित किया जाता है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन

5.1 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के उद्देश्य हेतु अधिसूचित दरों का अनुसरण करते हुए सीधी पद्धति से मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के बारे में दर सीईआरसी के विनियमों द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हो, वहां मूल्यह्रास आयकर अधिनियम,1961 के अन्तर्गत निर्धारित दरों के सदृश दरों पर सीधी रेखा विधि से प्रदत्त किया जाता है, सिवाए कम्प्यूटरों तथा पेरीफिरलों के मामले में, जहां कंपनी द्वारा यथा निर्धारित दरें अपनाई जाती हैं।

5.2 मूल्यह्रास परिसंपत्तियों के उपयोग हेतु उपलब्ध होने के वर्ष में यथानुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

5.3 पाँच हजार रुपये अथवा उससे कम किन्तु 750 रुपये से अधिक मूल्य वाली परिसंपत्तियों और वर्ष के प्रारम्भ में 5 हजार अथवा कम रुपये के पश्च लेखन मूल्य वाली सभी मदों (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) का एक रुपया शेष मूल्य रखकर वर्ष के प्रारम्भ में पूर्णतः मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

5.4 निम्न मूल्य वाली मदें, जो परिसंपत्ति की प्रकृति की होती हैं (अचल परिसंपत्तियों के अतिरिक्त) और जिनका मूल्य 750 रुपये तक होता है को पूंजीकृत नहीं किया जाता तथा राजस्व पर प्रभारित कर दिया जाता है।

5.5 सॉफ्टवेयर पर व्यय की पहचान "अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में की जाती है जिसका परिशोधन तीन वर्षों में किया जाएगा।

5.6 जहाँ मूल्यह्रास वाली परिसंपत्तियों की लागत में वर्ष के दौरान विनिमय दर में परिवर्तन के कारण दीर्घावधि देयताओं में वृद्धि/कमी के चलते परिवर्तन हुआ है, ऐसी परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को मूल्यह्रास की दर के आधार पर निर्धारित शेषकाल पर संदर्शी रूप से मूल्यह्रास किया गया है।

6. निवेश

निवेश दीर्घावधि हेतु होते हैं और उन्हें लागत के आधार पर किया जाता है।

7. वस्तुसूची

7.1 (क) बेकार माल तथा अधिशेष निर्माण उपकरणों के अतिरिक्त भंडारों तथा अतिरिक्त कल पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(ख) बेकार माल का मूल्याकंन शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

(ग) अधिशेष निर्माण उपकरणों हेतु कल पुर्जों का मूल्यांकन लागत से कम तथा शुद्ध प्राप्त मूल्य पर किया जाता है।

7.2 समीक्षा में चिन्हित ठीक न किए जा सकने वाले तथा अप्रचलित भंडारों तथा कलपुर्जों के प्रति हानि का प्रावधान लेखे में किया जाता है।

7.3 वर्ष के दौरान जारी किए गए खुले औजारों की लागत को, जहां एकल मद की लागत 5000/-रूपए या इससे कम है, खपत में प्रभारित किया जाता है तथा अन्य मामलों में 5 बराबर वार्षिक किस्तों में बट्टे खाते में डाला जाता है।

7.4 विद्युत स्टेशनों पर प्रचालन तथा अनुरक्षण हेतु जारी किए गए परन्तु वर्ष के अंत में स्थल पर अप्रयुक्त पड़े हुए भंडार का मूल्यांकन अभियांत्रिकी अनुमानों पर किया जाता है और उन्हें भंडार के रूप में लिया जाता है।

8. विविध व्यय

8.1 परियोजना के विविध व्यय को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

8.2 परियोजना के प्रारम्भिक व्यय को वाणिज्यिक प्रचालन प्रारम्भ होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

9. विदेशी मुद्रा परिवर्तन

9.1 विदेशी मुद्रा में कारोबार को उसी तिथि पर विद्यमान विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए मौद्रिक मदों को लेखांकन वर्ष के अंतिम दिवस को विद्यमान विनिमय दर में रूपांतरित किया जाता है।

9.2 1.4.2004 की अवधि से पूर्व किए गए कारोबार से उत्पन्न स्थिर परिसंपत्तियो/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की पूरा किए जाने की लागत में समायोजित किया जाता है।

9.3 1.4.2004 को अथवा उसके पश्चात भारत के बाहर से प्राप्त किए गए कारोबार से उत्पन्न स्थिर परिसंपत्तियो/चालू पूंजीगत कार्य से संबंधित देयताओं के संबंध में विनिमय अंतरों को संबंधित अचल परिसंपत्ति/चालू पूंजीगत कार्य की पूरा किए जाने की लागत में समायोजित किया जाता है।

9.4 अन्य विनिमय अंतर को जिस अवधि में वे उत्पन्न हो उसी में आय तथा व्यय के रूप में प्रचालनात्मक स्टेशन के मामले में लाभ तथा हानि लेखे और निर्माणाधीन परियोजना के मामले में आईईडीसी में डाला जाता है।

10. सेवानिवृत्ति लाभ

प्रत्येक वर्ष बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा स्वास्थ्य योजना का प्रावधान है।

11. राजस्व

11.1(क) ऊर्जा की बिक्री का लेखा-जोखा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार किया जाता है। पावर स्टेशनों के मामले में, जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं होता, भिक्रियों का बिल निर्धारण समुचित प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए मानदंडों तथा विधि के आधार पर परिकलित अनंतिम दरों पर किया जाता है।

(कक) विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा अंतर के लिए वसूली/प्रतिदेय तथा आयकर के लिए वसूली का लेखा-जोखा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों को टैरिफ अधिसूचनाओं के अनुसार मान्य किया जाता है। पावर स्टेशन के मामले में जहां टैरिफ अधिसूचित नहीं किए गए हैं, प्रोत्साहन को उनकी स्वीकृति की संभावना के निर्धारण के आधार पर अनंतिम रूप से मान्य किया जाता है।

(ग) विश्वव्यापी लेखों को अंतिम रूप दिए जाने से प्रत्युत्पन्न समायोजन, चाहे व महत्वपूर्ण न हो, अंतिम रूप दिए जाने के संबंधित वर्ष से प्रभावी किए जाते हैं।

(घ) ऋणों की अदायगी को सुगम बनाने के लिए आरंभिक वर्षों में टैरिफ के घटक के रूप में, मूल्यह्रास के प्रति दिए गए अग्रिम को बिक्री में से घटा दिया जाता है तथा इसे अनुवर्ती वर्षों में शामिल की जाने वाली आस्थगित आय माना जाता है।

11.2 लागत जमा/टर्न-की आधार पर संविदा कार्यों से राजस्व की, पूर्णता प्रतिशता पद्धति के रूप में निम्नानुसार पहचान की जाती है -

कार्य की प्रगति	राजस्व की पहचान
(क) 66.67% तक	शून्य
(ख) 66.67 से अधिक 90% तक	80%
(ग) 90% से अधिक	100%

संविदाओं में प्रत्याशित सहित हानियों की पहचान तुरंत की जाती है। ऐसे मामलों में आकस्मिकता हेतु प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जहाँ ऐसे किसी दावे को कवर करना आवश्यक समझा जाए जो त्रुटिपूर्ण देयता अवधि के दौरान उत्पन्न होगा।

11.3 परियोजना प्रबंधन/जमा/परामर्शी संविदाओं के संबंध में राजस्व की पहचान समझौते की शर्तों और संविदा के अंतर्गत किए गए कार्य की मात्रा के आधार पर की जाती है।

11.4 निवेशों पर ब्याज को प्रोदभूत आधार पर लेखा-बद्ध किया जाता है।

12. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आवंटन

निगम मुख्यालय के व्यय निम्नानुसार आवंटित किए जाते हैं -

(क) विद्युत केन्द्र पर, करों और शुल्कों को छोड़कर वर्ष के लिए ऊर्जा की बिक्री के 1 प्रतिशत की दर से।

(ख) निगम को दिए गए तथा इसके द्वारा निष्पादित निर्माण संविदा कार्यों के मामले में वर्ष के दौरान वहन किए गए परियोजना व्यय के 5% की दर से।

(ग) शेष व्यय को वर्ष के दौरान उपगत शुद्ध पूंजी व्यय के अनुपात में निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

13. स्व-बीमा

तुलन-पत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार पावर स्टेशन के सकल ब्लॉक का 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष लाभ तथा हानि लेखे में प्रभार द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर आकस्मिकताओं के लिए स्व-बीमा के तौर पर माना जाता है, जिसका उपयोग विनिर्दिष्ट आकस्मिकताओं हेतु परिसंपत्तियों की हानियों के लिए किया जाता है। निधि को विशेष प्रयोजन के लिए नियत किया जाएगा।

14. विविध

14.1 निगम द्वारा निरीक्षण तथा स्वीकृति लम्बित होने के कारण मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्यों किन्तु प्रमाणित नहीं के लिए देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

14.2 विद्युत स्टेशनों से निर्माणाधीन परियोजनाओं को आपूर्ति की गई विद्युत को सामान्य प्रशुल्क के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

14.3 50,000/-रूपए और इससे कम की मदों के पूर्व प्रदत्त व्ययों तथा पूर्वावधि व्ययों/ आय को स्वाभाविक लेखाशीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित किया जाता है।

14.4 बीमा दावों का लेखांकन वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है।

15. उधार लागत

स्थिर परिसंपत्तियों के निर्माण/पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। अन्य उधार लेने की लागतों की पहचान जिस अवधि में वे वहन की जाएं उसी अवधि में व्यय के रूप में की जाती हैं।

16. आय पर कर

16.1 चालू वर्ष के लिए आय पर करों का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

16.2 आस्थगित कर को वर्ष के लिए लेखाकरण आय तथा कर योग्य आय के बीच समयांतरों के आधार पर मान्य किया जाता है तथा तुलनपत्र की तिथि की स्थिति के अनुसार अधिनियमित या स्वायत्त अधिनियमित कानूनों तथा कर दरों का प्रयोग करते हुए उसका प्रमात्रात्मक निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य तथा अग्रेनीत किया जाता है जहां तक युक्तिसंगत निश्चितता है कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होंगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखे को भावी वर्षों में वास्तविक भुगतान आधार पर लाभानुभोगियों से प्रभार्य वर्तमान कर व्यय की सीमा तक क्रेडिट/डेबिट किया जाता है।

17. पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन व्यय

आप्लावित हो जाने वाली भूमि से संबंधित मुआवजों एवं अन्य व्ययों के लिए अनंतिम रूप से किया गया भुगतान पुनर्वास तथा पुनःर्स्थापन व्यय माना जाता है जिसे बांध लागत के रूप में पूंजीकृत किया जाता है

नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल

लेखे पर टिप्पणियां - अनुसूची-17

1. निम्न के संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है

विवरण	31.3.2005 को शेष (लाख रुपए)	31.3.2004 को शेष (लाख रुपए)
क. निगम के विरूद्ध दावे जिन्हें निम्न के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है		
- पूंजीगत कार्य	10,517	4,336
- भूमि मुआवजा मामले	64	857
- अन्य	227	227
कुल	**10,808**	**5420**
ख . किसी बाह्य प्रवाह से संबंधित अनिश्चितताओं को दर्शाना	यह प्रकट करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि अनिश्चितताएं तथा राशि का इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है	
ग. किसी प्रतिपूर्ति की संभावना		

2 (i) मैसर्स टेक्नोप्रोमेक्सपार्ट, मास्को, रूस के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए 835 लाख रूपए (विगत वर्ष 2752 लाख रूपए) के विदेशी साखपत्र।

(ii) मैसर्स वायथ सीमन्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में बैंकरों द्वारा खोले गए 41020 लाख रूपए (विगत वर्ष 59200 लाख रुपये) के विदेशी साख पत्र।

3. प्रावधान न किए गए पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि 98001 लाख रूपए (अग्रिमों का शुद्ध) (विगत वर्ष 142656 लाख रूपए)।

4. क. वर्ष के दौरान एनवीडीए द्वारा सूचित विभिन्न खातों पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1366 लाख रुपये (विगत वर्ष 1359 लाख रुपये) की राशि का व्यय किया। इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में 31.3.05 तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्यय के कारण निगम द्वारा समायोजित किया गया कुल व्यय 119465 लाख रुपये (विगत वर्ष 118099 लाख रुपये) है।

ख. उपर्युक्त टिप्पणी 4 (क) में वर्णित समायोजन के परिणाम स्वरूप इंदिरा सागर परियोजना के संबंध में एनवीडीए के खाते में 119465 लाख रुपये क्रेडिट किए गए और वर्ष के दौरान प्राप्त 21204 लाख रुपये (विगत वर्ष 5271 लाख रुपये) और 31.3.05 तक 30475 लाख रुपये निम्न प्रकार से समायोजित किए गए हैं -

i) 31.03.2005 तक मध्य प्रदेश सरकार को 65,99,999 इक्विटी शेयर के आवंटन के लिए 66000 लाख रूपए।

ii) पूंजी प्रारक्षित राशि में से इंदिरा सागर बांध के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आनुपातिक अंशदान के रूप में 34392 लाख रुपये (विगत वर्ष 25491 लाख रूपए सहित) जिन्हें 36352 लाख रूपए के कुल अनुदान के प्रति अनुदान का भाग माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए मंजूरी के अनुसार है।

iii) पूंजी प्रारक्षित राशि में सरदार सरोवर परियोजना के लिए आनुपातिक सबवेंशन के रूप में 43973 लाख रूपए (विगत वर्ष में 32572 लाख रूपए सहित) जिन्हें 46451 लाख रूपए के किए जाने वाले कुल अंशदान के प्रति आंशिक अनुदान माना गया है। यह दिनांक 28.03.2002 की सीसीईए स्वीकृति के अनुसार है।

iv) शेष 3308 लाख रूपए ओंकारेश्वर परियोजना के इक्विटी तथा सिंचाई संघटकों के लिए समायोजित कर दिए गए हैं।

v) 2267 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) को अनुदान के विरूद्ध अग्रिम के तौर पर दर्शाया गया है और उक्त का समायोजन बाद के वर्षों में सरदार सरोवर परियोजना तथा सिंचाई घटक के लिए किया जाएगा।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने एनवीडीए द्वारा सूचित किए विभिन्न लेखों पर वर्ष के दौरान 696 लाख रूपए (विगत वर्ष 177 लाख रूपए) की राशि वहन की है। ओंकारेश्वर परियोजना के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए व्यय के कारण निगम द्वारा समायोजित किया गया कुल व्यय में 31.3.2005 तक 6022 लाख रुपये (विगत वर्ष 5326 लाख रुपये तक) है।

(घ) 31.3.2005 तक एनवीडीए से प्राप्त राशि 26500 लाख रुपये, एनवीडीए द्वारा किया गया व्यय 6022 लाख रुपये और इंदिरा सागर परियोजना से समायोजित राशि 3308 लाख रुपये है जिसका कुल योग 35830 लाख रुपये (विगत वर्ष 16434 लाख रुपये) होता है , का ओएसपी हेतु एनवीडीए लेखे के प्रति लेखांकन निम्नानुसार है -

i. मध्य प्रदेश सरकार को 13,83,529 इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए 13835 लाख रूपए और शेष 16181 लाख रुपये शेयर पूंजी जमा के रूप में दर्शाया गया है।

ii. प्रारक्षित पूंजी में ओंकारेश्वर परियोजना के सिंचाई संघटक के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5440 लाख रूपए (विगत वर्ष 2598 लाख रुपये) का आनुपातिक अंशदान जिसे सीसीईए की दिनांक 29.05.2003 की संस्वीकृति के अनुसार 18280 लाख रूपए के कुल अनुदान में से आंशिक अनुदान माना गया है।

iii. 374 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) को अनुदान के प्रति अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और उक्त को बाद के वर्षों में सिंचाई घटक के प्रति समायोजित किया जाएगा।

5. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में 599 लाख रुपये (विगत वर्ष 599 लाख रुपये) शामिल हैं जो एनवीडीए से विद्युत तथा अन्य प्रभारों के प्रति देय हैं, जिसके निपटान हेतु पत्राचार जारी है।

6. (क) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर 31.3.2005 तक उपगत व्यय में आप्लावित भूमि की लागत, सड़कों के निर्माण, स्कूल भवन, अस्पताल भवन, कार्यालय भवन एवं अन्य अवसंरचनात्मक कार्य, विद्युतीकरण आदि पर किया गया 133943 लाख रूपए (विगत वर्ष 81152 लाख रूपए) का व्यय पूंजीगत चालू कार्य शीर्ष के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) रेल ट्रैंकों के विपथन के लिए किए गए 411 लाख रुपये की राशि के व्यय को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान आर एण्ड आर व्यय के प्रति समायोजित किया गया है और इसे वर्ष हेतु आर एण्ड आर व्यय माना गया है । इस प्रकार संचित आंकड़ा 28706 लाख रुपये (विगत वर्ष तक 28295 लाख रुपये) हो जाता है।

7. वित्तीय वर्ष के दौरान, इंदिरा सागर परियोजना (आईएसपी) की शेष चार यूनिटों ने क्रमशः 27.7.04, 1.11.2004, 7.1.2005 तथा 30.03.2005 को वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ कर दिया है। अन्य चार यूनिटों (कुल 8 यूनिटों में से) पहले ही वर्ष 2003-2004 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।

8 (क) वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने अपनी लागत का कुछ अंश उन यूनिटों के लिए पूंजीकृत कर दिया है जिन्होंने आरंभण की प्रत्येक तिथि को परियोजना द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया तथा तदनुसार लागत को पूर्ण किए गए कार्य की प्रतिशतता के आधार पर बांटा गया है।

(ख) "निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय" को संबंधित इकाइयों के चालू होने से पूर्व तथा पश्चात मशीन दिवसों के आधार पर विभाजित किया गया है।

9. क. नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर लाभ एवं हानि लेखा तथा आईईडीसी को प्रभारित किया गया है। कंपनी अधिनियम,1956 की अनुसूची-XIV में निर्धारित दरों की तुलना में वर्ष के लिए मूल्यह्रास 5614 लाख रूपए कम रहा (विगत वर्ष 272 लाख रुपये कम रहा) था।

ख. निगम ने निम्न मूल्य वाली परिसंपत्तियों के लेखांकन के संबंध में अपनी लेखांकन नीति में संशोधन किया है जिसमें 750 रुपये तक के मूल्य वाली मदों को राजस्व में प्रभारित किया जाता है । लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप कंपनी ने पिछले वर्षों में "मूल्यह्रास हेतु प्रावधान" और "स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक" दोनों से संबंधित 10 लाख रुपये को इस वर्ष कम कर दिया है।

ग. वर्ष के दौरान निगम ने कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के लेखांकन से संबंधित अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया है। 5 हजार रुपये तक के मूल्य वाली उन परिसंपत्तियों के मामले में जिनका पहले ही पूर्णतः मूल्यह्रास किया जा चुका

है परन्तु अभी तक छोड़ा अथवा समाप्त नहीं किया गया है को एक रुपये की दर से मूल्यह्रास करके पश्च लेखन किया जाएगा। यदि लेखांकन नीति में परिवर्तन नहीं किया गया होता तो मूल्यह्रास पर प्रभाव इस वर्ष 4140 रुपये से अधिक होता।

घ. वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान पूंजीकृत अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास का सकल ब्लाक तथा मूल्यह्रास पर दोहरा प्रभाव था। ऐसी स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक और मूल्यहास हेतु प्रावधान को इसलिए उस सीमा तक समायोजित कर दिया गया है। इसका निगम के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

10. (क) मध्य प्रदेश सरकार तथा गुजरात सरकार से इंदिरा सागर परियोजना एवं सरदार सागर परियोजना संघटकों के लिए प्राप्त अंशदान विगत वर्ष में पूंजी प्रारक्षित राशि में जमा कर दिया गया है। वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान को भी कारपोरेट कार्यालय में उक्त लेखों में समायोजित कर दिया गया है तथा परियोजना को अंतरित किया गया है और वर्ष के दौरान इंदिरा सागर एवं ओंकारेश्वर परियोजनाओं की बहियों में हिसाब में ले लिया गया है।

(ख) पूंजीगत राशि की सीमा तक अनुदान/सबवेंशन राशि समायोजित की गई,ऐसी राशि पर मूल्यह्रास प्रभार के समकक्ष राशि पूंजी प्रारक्षित राशि से अंतरित की गई है तथा लाभ एवं हानि लेखे में वर्ष के लिए कुल मूल्यह्रास में कटौती के रूप में मान्य की गई है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार तथा गुजरात सरकार से सिंचाई तथा सरदार सरोवर परियोजना घटकों के प्रति प्राप्त 20303 लाख रुपये (विगत वर्ष 58063 लाख रुपये) के अंशदान को पूंजीगत जमा में क्रेडिट कर दिया गया है । ऐसे पूंजीगत जमा में आईएसपी के संबंध में बांध पर मूल्यह्रास के अनुपात में 773 लाख रुपये (विगत वर्ष 65 लाख रुपये) की कमी की गई है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से सिंचाई घटक के प्रति प्राप्त 2842 लाख रुपये (विगत वर्ष 2598 लाख रुपये) के अंशदान को ओएसपी के संबंध में पूंजीगत जमा में क्रेडिट किया गया है।

11. एनएचडीसी के कर्मचारियों के संबंध में उपदान, अर्जित अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के लाभों के संबंध में प्रावधान बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। एनएचपीसी लि. से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों के संबंध में उक्त को एनएचपीसी लिमिटेड से प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों एवं एनएचपीसी कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

12. निगम के लेखे लेखांकन की प्रोदभूत पद्धति का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, सिवाय कर्मचारियों के अवकाश यात्रा रियायत पर व्यय के मामले में जिसकी पहचान प्रोंदभूत में अनिश्चितताओं के कारण प्राप्त किए जाने के वर्ष में की जाती है। लेखांकन नीति में संशोधन के कारण निगम की आईईडीसी/लाभ तथा हानि लेखे पर कोई प्रभाव नहीं हुआ है।

13. भारत सरकार द्वारा शाहगंज जलआपूर्ति योजना, भोपाल हेतु डीपीआर तैयार करने के संबंध में 92 लाख रूपये के दावे को भारत सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसे अब आईईडीसी के तौर पर इंदिरा सागर परियोजना पर प्रभारित किया जा रहा है।

14. (क) एमपीएसईबी को विद्युत की बिक्री अनंतिम दरों पर की गई थी। ये केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अंतिम अनुमोदन के अधीन है।

(ख) वर्तमान में विद्यमान अनंतिम दरों पर आंतरिक घिसावट के मूल्यह्रास अग्रिम का कोई तत्व नहीं है।

15. (क) निगम ने बैंकों से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज तथा वित्तीय प्रभारों के प्रति 10380 लाख रुपये (विगत वर्ष 5572 लाख रुपये) की राशि वहन की है, जिसमें से 3287 लाख रुपये (विगत वर्ष 4918 लाख रुपये) को प्रारम्भ होने से पूर्व मशीन दिवस के आधार पर प्रारम्भ-पूर्व अवधि हेतु आईईडीसी में लिया गया है और ऐसी इकाइयों के प्रारम्भ होने के पश्चात की अवधि से संबंधित 7093 लाख रुपये (विगत वर्ष 654 लाख रुपये) को आईएसपी हेतु लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित किया गया है और ओएसपी हेतु बैंकों से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज तथा वित्तीय प्रभार के प्रति 2899 लाख रुपये (विगत वर्ष 430 लाख रुपये) की राशि को आईईडीसी को प्रभारित किया गया है जैसा कि आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक एएस-16 ''उधार लागत'' में परिकल्पित है।

(ख) एमओडी/सावधि जमाओं की राशि पर अर्जित ब्याज को लाभ तथा हानि लेखे में क्रेडिट किया गया है जो कि 202 लाख रुपये (विगत वर्ष 72 लाख रुपये) की सीमा तक चालू करने की अवधि के पश्चात से संबंधित है और आईएसपी के संबंध में शेष 114 लाख रुपये को (विगत वर्ष 1124 लाख रुपये) को आईईडीसी में क्रेडिट किया गया है।

(ग) ओएसपी के संबंध में 2858 लाख रुपये (विगत वर्ष 128 लाख रुपये) के एमओडी/सावधि जमा की राशि पर अर्जित ब्याज को आईईडीसी को क्रेडिट किया गया है।

(घ) एमओडी/सावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि जिसे आईएसपी/ओएसपी को आवंटित नहीं किया गया है को निगमित कार्यालय के संबंध में 333 लाख रुपये (विगत वर्ष शून्य) हेतु निगमित कार्यालय प्रबंधन व्यय/आईईडीसी को क्रेडिट किया गया है।

16. (क) विद्युत उत्पादन निगम की मुख्य गतिविधि है। अन्य प्रचालन अर्थात ब्याज आय और परामर्श सेवाएं "खंड रिपोर्टिंग" पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार सूचित किए जाने योग्य खंड नहीं होता है।

(ख) निगम का वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित केवल एक विद्युत स्टेशन है। इसलिए भौगोलिक खंड लागू नहीं होते।

17. भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक-एएस-18-"संबंधित पक्ष प्रकटन" के अनुपालन में अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है -

1. <u>संयुक्त उद्यम</u>

(क) निगम एनएचपीसी लि. तथा मध्य प्रदेश सरकार के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। वर्ष के दौरान एनएचपीसी द्वारा किया गया निवेश 8316 लाख रुपये है (विगत वर्ष 19926 लाख रुपये)। एनएचपीसी का संचित निवेश 97242 लाख रुपये है (विगत वर्ष 88926 लाख रुपये)। एनएचपीसी को किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं -

	2004-2005	2003-04
(क) परामर्शी प्रभार	280 लाख रुपये	186 लाख रुपये
(ख) गारंटी शुल्क	342 लाख रुपये	522 लाख रुपये
(ग) ऋणों पर ब्याज	शून्य	853 लाख रुपये

(ख) विविध लेनदारों (अन्य) में धारक कंपनी एनएचपीसी लि. को देय 130 लाख रुपये (विगत वर्ष 215 लाख रुपये) शामिल हैं।

ii (क) **<u>निदेशक</u>** - श्री ए.के. गंगोपाध्याय, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी तथा एनएचडीसी, श्री ए.के. कुट्टी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव (हाइड्रो), भारत सरकार, श्री रणवीर सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा, वीसी, एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार, श्री एस.के. डोडेजा, मुख्य कार्यपालक निदेशक, श्री टी.एन. गोपालकृष्णन, श्री जे.के. तिवारी, सदस्य (इंजी.), एनवीडीए, मध्य प्रदेश सरकार तथा श्री राजेश डोंगरे।

(ख) (लाख रूपए)

	विवरण	2004-2005	2003-2004
	निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
(i)	वेतन तथा भत्ते	7	5
(ii)	भविष्य निधि में अंशदान	1	1
(iii)	आवासीय प्रवास हेतु किराया	-	-
(iv)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	2
(v)	बैठक शुल्क	-	-

(ग) वर्ष के अंत में पूर्ण का लिक निदेशकों पर बकाया अग्रिम राशि शून्य रूपये (विगत वर्ष 2 लाख रूपये)

18. कंपनी ने विभिन्न आवासीय एवं कार्यालय परिसर प्रचालन पट्टे पर लिए हैं। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है एवं इनकी अवधि सामान्यतया एक वर्ष से तीन वर्ष अथवा इससे अधिक है एवं इन्हें प्रायः आपसी सहमति से दोनों पक्षों को स्वीकार्य शर्तों पर नवीनीकृत किया जाता है। पट्टे पर किए गए भुगतान को निर्माण के दौरान किए गए प्रासंगिक व्यय पत्रक में अनुसूची-6 में पट्टा किराया कार्यालय तथा पट्टा किराया आवासीय लेखा शीर्ष में दर्ज किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखे के अंतर्गत अनुसूची-12 के अनुबंध में पट्टा किराया कार्यालय तथा पट्टा किराया आवासीय के अंतर्गत डाला जाता है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्थान द्वारा जारी एएस-19 'लीज़ीस' के अनुसार यथापेक्षित यह जानकारी दी गई है।

(लाख रूपए)

19.

	विवरण	2004-2005	2003-2004
	सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिया गया पारिश्रमिक		
क)	लेखापरीक्षा शुल्क	2	2
ख)	कर लेखापरीक्षा शुल्क	1	1
ग)	प्रमाणन	-	-
घ)	सेवा कर	-	-
ड.)	व्यय	1	1

20. (क) आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत यथाअपेक्षित, आय कर अधिनियम,1961 के लिए प्रावधान किया गया है।

(ख) आईसीएआई द्वारा "आय पर कर के लिए लेखांकन" संबंधी लेखांकन मानक-22 के अनुपालन में वर्ष के लिए आस्थगित कर देयता के लिए निम्न प्रकार प्रावधान किया गया है :-

(लाख रूपए)

	आस्थगित कर देयता/परिसम्पत्तियां	31.03.2005 को	31.03.2004 को
(i)	**आस्थगित कर देयता** :- मूल्यह्रास अंतर	18001	5071
(ii)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियां :** अग्रेनीत किए जाने वाला असमाहित मूल्यह्रास	16339	4473
(iii)	**शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पित्तियां/देयता**	(1662)	(597)

(ग) चूंकि करों की कोई भी राशि सीईआरसी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाभग्राहियों से वसूल की जा सकने वाली है इसलिए भविष्य में आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वसूले जाने को लगभग निश्चित माना गया है। परिणामस्वरूप आस्थगित कर संपत्तियों को अग्रेषित किए गए असमाहित मूल्यह्रास की कुल राशि हेतु सृजित किया गया है।

(घ) 1.10.2004 से प्रभावी आयकर अधिनियम में की गई नई प्रविष्ट धारा 194एलए के अनुसार एलएओ ने धारा 194एलए के अंतर्गत आयकर में कटौती नहीं की है जिसकी उनके द्वारा भू-वंचितों आदि को अदा की गई मुआवजा राशि में से कटौती किया जाना अपेक्षित था। तथापि, आयकर विभाग से एक नोटिस प्राप्त होने पर निगम ने आर एण्ड आर कार्यालय के माध्यम से आईएसपी तथा ओएसपी हेतु 52 लाख रुपये के योग वाली टीडीएस देयता अदा की है। इस प्रकार अदा की गई राशि को भू-वंचितों की शेष राशि और उनके बैंक खातों में उपलब्ध शेष से तथा समाहर्ता (कलैक्टर) के माध्यम से राजस्व प्राप्ति प्रमाण-पत्र जारी करके वसूला जाएगा।

21.

प्रमात्रात्मक ब्यौरे	2004-2005	2003-2004
लाइसेंसशुदा क्षमता (मेगावाट)	1520.000	1520.000
संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	1000.000	500.000
वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	1331.850	196.511
बिक्री (मि.यू.) अस्थिर विद्युत सहित	1318.100	183.238

22. विदेशी मुद्रा में व्यय

(लाख रुपये)

	2004-05	2003-04
संविदाओं के लिए अग्रिम	-	6296
संविदा कार्यों के लिए	16040	1156
यात्रा	12	8
अन्य	4	1

(लाख रुपये)

23.

	2004-05	2003-04
सीआईएफ का आयात मूल्य	शून्य	शून्य

(लाख रुपये)

24.

	2004-05	2003-04
विदेशी मुद्रा में अर्जन :	शून्य	शून्य

25. प्रचालन इकाइयों में उपभोग किए गए कलपुर्जों तथा घटकों का मूल्य -

(लाख रुपये)

	2004-05	2003-04
आयातित	शून्य	शून्य
स्वदेशीय	शून्य	शून्य

26. विगत वर्षों के आंकड़ों को यथावश्यक पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहबद्ध/पुनः तैयार किया गया है ।

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते ओ.पी. टोटला एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

एस.के.डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ओ.पी. टोटला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

वी.के. त्रिपाठी
उप-कंपनी सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक(वित्त व लेखा)

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2005

तुलन-पत्र का सार एवं कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा

पंजीकरण विवरण

I. पंजीकरण संख्या

1	0		1	4	3	3	7

राज्य कोड

1	0

तुलन-पत्र की तिथि

3	1	0	3	2	0	0	5

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **(लाख रुपए में)**

सार्वजनिक निर्गम

शू	न्	य

राईट निर्गम

शू	न्	य

बोनस निर्गम

शू	न्	य

निजी नियोजन*

2	4	4	9	7

*एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हिस्सा पूंजी जमाराशि शामिल है

III. निधियों के संग्रहण तथा नियोजन की स्थिति **(लाख रुपए में)**

कुल देयताएं

5	2	1	1	1	0

कुल परिसंपत्तियां

5	2	1	1	1	0

निधियों के स्त्रोत

प्रदत्त पूजी #

1	9	3	2	5	8

आरक्षित तथा अधिशेष $

8	7	8	4	5

आरक्षित ऋण

1	5	0	0	0	0

अनारक्षित ऋण

6	2	4	2	5

धारक कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड तथा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त 30023 लाख रूपए की हिस्सा पूंजी जमाराशि शामिल है।
$ 1285 लाख रूपए की राशि का आकस्मिकता हेतु स्व बीमा शामिल है ।

निधियों का प्रयोग

शुद्ध नियत परिसंपत्तियां

3	2	7	0	6	9

निवेश

शू	न्	य

शुद्ध चालू परिसंपत्तियां

4	9	4	9	0

विविध व्यय

1	6	4

संचित हानि

शू	न्	य

IV **कंपनी का कार्य निष्पादन (लाख रूपए में)**

टर्न ओवर

1	7	7	6	7

@

कुल व्यय

1	4	2	5	6

कर-पूर्व लाभ				कर पश्चात लाभ			
3	7	8	0	3	3	9	5

प्रति शेयर अर्जन रूपये में

2	0	.	8	0

लाभांश राशि

6	8	0

@ इसमें 269 लाख रूपए की अन्य आय शामिल नहीं है ।

V **कंपनी के तीन प्रधान उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम**

i) उत्पाद विवरण

जल विद्युत का उत्पादन

मद कोड संख्या

-

ii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

-

iii) उत्पाद विवरण

मद कोड संख्या

-

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

***कृते* ओ.पी. टोटला एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

ओ.पी. टोटला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
उप कंपनी सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2005

अनुसूची -18 कैश-फ्लो विवरण

(लाख रुपए)

		31.3.2005 को समाप्त वर्ष हेतु		31.3.2004 को समाप्त वर्ष हेतु	
क) प्रचालनात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह					
कर पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें		3,780		1,355	
जोड़ें : मूल्यह्रास		3820		379	
बट्टे खाते डाला गया आरंभिक व्यय		20		21	
आकस्मिकताओं के लिए स्व बीमा		1103		182	
		8723		1937	
पृथक माने गए ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		7,093		691	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ			15,816		1,246
कार्यशील पूंजी परिवर्तन					
विविध देनदारों में वृद्धि		(4,208)		(514)	
ऋणों एवं अग्रिमों में कमी		11		(90)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि		(344)		(1,046)	
चालू देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि		6,412	1,871	13,260	11,610
			17,687		12,856
घटाएं कर			(1521)		(494)
प्रचालनों से सृजित नकदी (क)			**16,166**		**12,362**
ख) निवेश गतिविधियों से कैश-फ्लो					
नियत परिसम्पत्तियां		(1,110)		(1192)	
चालू पूंजीगत कार्य		(1,22,057)		(85,459)	
निर्माण भंडार एवं अग्रिम		3,753		(23,623)	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)			**(1,19,414)**		**(1,10,274)**
ग) वित्तीय गतिविधियों से कैश-फ्लो					
अंश पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां		–		19,400	
हिस्सा पूंजी जमा से प्राप्तियां		24,497		5,526	
धारक कंपनी एनएचपीसी	रूपए 8316				
मध्य प्रदेश सरकार	रूपए 16181				
उधारों से प्राप्तियां		69,425		1,13,000	
आईएसपी एवं ओएसपी पर व्यय के समायोजन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त निधियां		23,145		3,179	
मध्य प्रदेश सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त निधियां		–		8,071	
अदा किया गया लाभांश		(271)		–	
प्रदत्त ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		(13,279)		(5609)	
वित्तीय गतिविधियों से कैश-फ्लो (ग)			**1,03,517**		**1,43,567**
नकदी एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी (क+ ख+ग)			**269**		**45,655**
नकदी एवं नकद समतुल्य (आरंभिक शेष)			65,883		20,228
नकदी एवं नकद समतुल्य (अन्त शेष)			66,152		65,883

हमारी संलग्न की गई समसंख्यक तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

कृते **ओ.पी. टोटला एंड कम्पनी**
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

निदेशक मंडल के लिए तथा की ओर से

ओ.पी. टोटला
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 11854

टी.एन. गोपालकृष्ण
निदेशक

एस.के. डोडेजा
मुख्य कार्यपालक निदेशक

ए.के. गंगोपाध्याय
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वी.के. त्रिपाठी
उप कंपनी सचिव

एन.के. चड्डा
महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.05.2005

अनुबंध-ग

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु नर्मदा हाइड्रोइलैक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. तुलन-पत्र	
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (अनुसूची-16) : लेखांकन नीति संख्या-5 लेखे पर टिप्पणियां (अनुसूची-17) : 9(ए) पर टिप्पणी	
31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जो विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनिगमन के परिणाम स्वरूप, जिसमें मूल्यह्रास की दरों के संबंध में कोई प्रावधान शामिल नहीं है, अपने वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु "उत्पादक तथा ट्रांसमिशन कम्पनियों" द्वारा पालन की जाने वाली मूल्यह्रास की दरों के लागू होने के संबंध में है।	कम्पनी भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कार्रवाई करेगी।
मामले को विद्युत मंत्रालय को संदर्भित किया गया था जिसने यह मत व्यक्त किया है कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रशुल्क नीति में अधिसूचित मूल्य ह्रास दरों को उत्पादन तथा ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में विद्युत अधिनियम, 2003 में भी अधिसूचित की जाने वाली दरें प्रशुल्क तथा साथ ही लेखे के प्रयोजनार्थ मान्य होगी। तथापि, विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार अधिसूचित होने वाली प्रशुल्क नीति के अनुसार इन मूल्यह्रास दरों के मान्य होने का मामला अबी सुलझा नहीं है।	
कम्पनी ने 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष हेतु अपने लेखे में मार्च, 2004 में सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए अनुसार मूल्यह्रास की दरों को मानना जारी रखा। इस वर्ष के दौरान प्रभारित किया गया मूल्यह्रास कम्पनी अधिनियम, 1956 में निर्धारित दरों की तुलना में 56.14 करोड़ रुपया कम है। वर्ष हेतु लाभ	

54.92 करोड़ रुपये अधिक है और चालू पूंजीगत कार्य (निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय) 1.22 करोड़ रुपये कम है।

2. लाभ एवं हानि लेखा वर्तमान वर्ष हेतु 20.80 रुपये की प्रति शेयर आधार आय (ईपीएस) और 19.60 रुपये का डिल्यूटेड ईपीएस (पिछले वर्ष क्रमशः 9.47 रुपये और 9.05 रुपये) लाभ तथा हानि लेखे में नहीं दर्शाया गया है जैसा कि एएस-20 में अपेक्षित है। ईपीएस की गणना हेतु न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को भी लेखे की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया है।	नोट किया गया

ह./-

(रेवती बेदी)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षक के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 28 जुलाई, 2005

540 मे.वॉ. चमेरा पावर स्टेशन-I
में वनरोपण

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-121 003 (हरियाणा)
वेबसाईट : http://www.nhpcindia.com

न्यूफील्ड्स एडवरटाइजिंग प्रा. लि. द्वारा डिजाइन और मेहता ऑफसेट प्रा. लि. द्वारा मुद्रित